

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2021

#### सूचना

क्रमांक-4575-अमृत-वि.यो.-14-ग्वालियर-नगानि-2021.- एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिए ग्वालियर विकास योजना, 2035 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/gwl2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप ग्वालियर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई-मेल आई.डी. [obj-sugg-gwalior@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-gwalior@mp.gov.in) में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> October 2021

#### NOTICE

No. 4575-Amrut-D.P.-14-gwalior-TCP-2021.- Notice is hereby given that the Draft Development Plan, 2035 for Gwalior Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website-<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/gwl2035.pdf> and at following offices during office hours namely:-

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector, District Gwalior
3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Gwalior
4. Joint Director, Town and Country Planning, District office, Gwalior.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Gwalior Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior or mail on Email-id-[obj-sugg-gwalior@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-gwalior@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gaazette for due conderation.

AJEET KUMAR, Commissioner-Cum-Director.



## प्रस्तावना

ग्वालियर देश के उन प्रमुख नगरों में सम्मिलित है, जिसकी बसाहट सामाजिक आर्थिक घटकों की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओं एवं युद्ध नीतियों से प्रेरित रही है। ग्वालियर की प्रारंभिक बसाहट पहाड़ी पर स्थित किले की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुई। लश्कर का विकास मराठा फौजों के कैम्प एवं मुरार का विकास सेना की छावनी के कारण हुआ। विभिन्न कालखण्डों में इन तीन बस्तियों के मध्य विकास को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय राजधानी के काउण्टर मैंगनेट के रूप में विकास के लिए चयनित किए जाने से ग्वालियर नगर महानगर के रूप में विकसित हो रहा है।

ग्वालियर नगर को स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना के लिए चयनित शहरों में सम्मिलित किए जाने से ग्वालियर विकास योजना, 2021 का पुनर्विलोकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ग्वालियर विकास योजना, 2035 में सुदूर संवेदन एवं जी. आई.एस. तकनीकी का उपयोग कर, क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति के आधार पर यातायात उन्मुख विकास, मिश्रित उपयोग, शहरी विरासत एवं प्राकृतिक स्रोतों का संवर्धन प्रस्तावित किया गया है।

ग्वालियर विकास योजना, 2035 विकासीय संभावनाओं को योजनाबद्ध रूप से साकार करने के लिये सर्वांगीण विकास की आधारशिला होगी। यह व्यापारिक, नागरिक सुविधाओं एवं पर्यावरणीय संभावनाओं को साकार रूप में परिवर्तित करेगी। नगरवासियों के सुझावों से विकास योजना प्रस्तावों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।

हस्ता./—

**अजीत कुमार,**

आयुक्त-सह-संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

मध्यप्रदेश भोपाल.

## योजना दल

संचालनालय	
राजेश नागल	संयुक्त संचालक
डॉ अमित गजभिये	संयुक्त संचालक
इन्दु त्रिपाठी	सहायक संचालक
कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला- ग्वालियर	
मुख्य योजना दल	
व्ही.के. शर्मा	संयुक्त संचालक
कृष्णकांत कुशवाह	सहायक संचालक
सावन कोचले	सहायक संचालक
कर्मचारीगण कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला- ग्वालियर	
शशि राय मानचित्रकार	पिंकी अरोरा सहायक मानचित्रकार
अशोक श्रीवास्तव सहायक मानचित्रकार	सखावत खान सहायक ग्रेड-2
महेश कुमार साल्वे उपयंत्री	जसवंत लकडा उपयंत्री
मृदुल जैन स्टैनोग्राफर ग्रेड-3	विवेक बरकडे सहायक ग्रेड-3
हाकिम सिंह जाटव ट्रेसर	प्रवीण कुमार सिंह अन्वेषक

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## म.प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल

डॉ. विवेक कटारे  
प्रमुख,  
भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,  
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

डॉ. देवानु भटनागर  
परियोजना समन्वयक, अमृत  
भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,  
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

तन्वी जैन

अनुसंधान सहयोगी  
भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,  
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

## अध्याय-1

### नियोजन दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली



भूमि सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट से संलग्न भूमि पर प्रभाव, भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इससे यह विदित होता है, कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक, भूमि का उपयोग, मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से या अनियोजित ढंग से किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है, कि द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का बेतरतीब फैलाव जनसंख्या वृद्धि के दबाव का कारण है, जिसके फलस्वरूप अधोसंरचना सुविधाओं में कमी आयी है। ग्वालियर नगर मेट्रो नगर के रूप में तेजी से उभर रहा है, जिस कारण नगर में विकास की सम्भावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

## गवालियर विकास योजना | 2035

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन हेतु भूमि का उपयोग, सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिये। उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है।

आर्थिक विकास के इंजन-के रूप में शहरी क्षेत्र, देश/प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए संजगार पैदा करने का कार्य करते हैं। शहर एवं आर्थिक विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों की उच्च उत्पादकता के कारण नगर आर्थिक गतिविधियों के उच्च केन्द्र होते हैं। यह वाँछनीय है कि मानव बसाहट की सुनियोजित वृद्धि द्वारा विकास गति को सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में शहरी जीवन की वाँछित गुणवत्ता प्राप्त किया जाना भी महत्वपूर्ण है।

शहरी परिवर्तन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विकास परियोजनाओं को कुशल, न्यायसंगत एवं लागत-प्रभावी बनाए जाने की भी आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति शहरी अधोसंरचना की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रावधानों द्वारा शहरी समस्याओं एवं शहर विकास की संभावनाओं का हल खोजने के लिए विकास योजना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रभावी की जाना आवश्यक है।




शहरी केन्द्रों के तर्क संगत एवं सुव्यवस्थित विकास की भूमिका एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार, शहरी केन्द्रों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में सुधार के उद्देश्यों की प्रक्रिया को कारगर बनाए जाने के लिए संकल्पित है। अव्यवस्थित विकास पर निगरानी के लिए भूमि उपयोग की योजना होना वाँछनीय है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार, नगरों के मार्गदर्शित विकास एवं नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधायें प्रदान करने के लिए विकास योजना तैयार करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के



**Gwalior : 1.1 Location Map**

**Gwalior**




Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

Landuse & Urban Survey Division

Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

चयनित शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र एवं सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोगिता के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने हेतु मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनायें तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग, सर्वेक्षण, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जाकर भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।



### 1.1 नियोजन हेतु प्रयास

नगर के नियोजन एवं विकास हेतु ग्वालियर नगर की प्रथम विकास योजना 1991, को वर्ष 1978 से प्रभावशील किया गया, जिसे पुनरीक्षित किया जाकर द्वितीय विकास योजना 2005 को, मार्च 1998 से तथा तृतीय विकास योजना 2021 को, पुनरीक्षण पश्चात् सितम्बर 2014 से प्रभावशील किया गया, जिसमें 2021 तक की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे। उक्त विकास योजना वर्तमान में भी प्रभावशील है।

**विकास योजना 2035 के उद्देश्य एवं लक्ष्य।**

- भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग।

- ऐसी परिवहन प्रणाली का विकास जिसमें यात्री एवं माल यातायात सुरक्षित एवं तीव्र गति से हो सके।
- मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ को कम करने हेतु उपनगरीय एवं सामुदायिक स्थलों पर वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास करना।
- जल प्रदाय, जलमल निकास, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का प्रावधान करना।
- प्राकृतिक भू-दृश्य एवं पर्यावरण संरक्षण।
- कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण एवं आवासीय क्षेत्रों एवं कार्य केन्द्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना का प्रावधान।
- नगर में उचित स्थानों पर, विशेषकर मध्यवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त वाहन विराम स्थलों का प्रावधान।

विकास योजना में निहित प्रस्तावों के अंतर्गत नगर का विस्तार, विकास योजना, क्रियान्वयन की पद्धति नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित है, जिसमें नियोजित विकास प्रक्रिया को समाहित किया गया है। विकास योजना में अन्य विभागों के स्वीकृत विकास के प्रस्तावों को भी समायोजित किया गया है। क्रियान्वयन की दृष्टि से विशिष्टता के आधार पर यह प्रस्ताव है कि भूमि के बड़े भू-भाग को विकसित किया जावे ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवा एवं सुविधायें उपलब्ध हो सकें।


## 1.2 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है। विकास योजना तैयार करना अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। ग्वालियर विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं।

ग्वालियर नगर की विकास योजना 2035 में सभी संबंधित विकास के पहलुओं में समन्वय, आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाना आवश्यक है। ग्वालियर नगर का विकास बहुआयामी पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, क्षेत्रीय माल वितरण केन्द्र तथा वाणिज्यिक, व्यापारिक, औद्योगिक सेवा केन्द्र आदि को ध्यान में रखकर किया जाना प्रस्तावित है। विकास योजना की रचना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।



चित्र 2 अमृत योजना में ग्वालियर शहर




स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं-

- भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस कर आधार मानचित्र तैयार करना।
- अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।

### 1.3.2 सुदूर संवेदन

इस तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र से प्राप्त वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये हैं।



## Image Standards

## सारणी 1-सा-1.

S.no	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 Meters or Better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	a. Monoscopic /Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic reviewed case. If the city is built on the terrain slope more than 15 degrees.
	b. Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases maximum up to 15 degrees view angle shall be allowed
	c. Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

### 1.3.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.)

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (Spatial Layers) को क्लास एवं सब-क्लास (Classes and Sub-classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

## Geo-Spatial Data Content Standards

सारणी 1-सा-2.

Sr. No	Spatial Layers	Source For Spatial Data Generation	Classification Based On Use & Attributes	
			Classes	Sub-Classes
1	2	3	4	5
1.	Base Layers	Very High Resolution Satellite Data	3	16
	Roads			
	Bridges			
	Water Bodies			
2.	Urban Land Use /Land Cover	Very High Resolution Satellite Data	22	48
3.	Building Footprints	Very High Resolution Satellite Data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	Carto DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	Planning Boundary	Town & Country Planning	1	1
	Municipal Boundary	Urban Local Bodies	1	1
	Hazard Prone Area	Department Of Seismology	1	

स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

#### 1.4 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

मध्यप्रदेश का संभागीय मुख्यालय ग्वालियर नगर 2011 की जनसंख्या के मान से प्रदेश का चौथा तथा देश का उनन्चासवाँ बड़ा नगर है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा की गई थी। लश्कर नगर सिंधिया राजवंश द्वारा तथा मुरार अंग्रेजों की छावनी के रूप में विकसित हुआ। ग्वालियर 26°13' उत्तरी अक्षांश व 78°11' पूर्वी देशांतर पर, समुद्रतल से 212 मीटर की औसत ऊँचाई पर स्थित है। ग्वालियर नगर स्वतंत्रता के पश्चात् मध्य भारत राज्य की राजधानी भी रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के काउण्टर मैगनेट के रूप में विकसित करने हेतु भी चयनित किया गया है।

ग्वालियर से तीन राष्ट्रीय राज्य मार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी), राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-719 (ग्वालियर-इटावा), राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-46 (ग्वालियर-बैतूल), जिनकी निवेश क्षेत्र में कुल लंबाई लगभग 68 कि.मी. है।

ग्वालियर नगर, मध्यप्रदेश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु होने के साथ पुरातन मूल्यों एवं वर्तमान आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। नगर के पूर्व विकास तथा वर्तमान विकास को जोड़कर एक सम्पूर्ण संगठित नगर के रूप में लाया जाना आवश्यक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक तथा निर्मित क्षेत्र के पर्यावरण को जोड़ते हुये परिवर्तन किया जाना है, जिससे नगर व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र बन सके। भौतिक अधोसंरचना, यातायात, पारिस्थितिकीय पर्यावरण (ईकोलोजिकल), आवास, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य संस्थागत सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अतिरिक्त नगर को सुनियोजित बनाने हेतु नियोजन प्रक्रिया एवं उससे संबंधित सुशासन एवं प्रबंधन का भी आधार सुदृढ़ किया जाना आवश्यक होगा। इसके लिये नगरीय सेवा एवं विकास करने वाली विभिन्न संस्थाओं के मध्य एक समन्वित एवं एकीकृत कार्यप्रणाली तथा नियोजन में स्थानीय स्तरों पर भागीदारी किया जाना आवश्यक होगा। ग्वालियर निम्न पाँच उपनगरीय केन्द्रों में विभाजित है:-

- पुराना शहर ग्वालियर
- लश्कर
- मुरार
- सिटी सेंटर
- डी.डी.नगर एवं शताब्दीपुरम

### 1.5 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना 2021 की क्रियान्वयन प्रक्रिया अनेक बार गुणात्मक मूल्यों के संदर्भ में प्रभावित हुई है जिसका प्रतिकूल प्रभाव मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा सुविधाओं एवं मूलभूत अधोसंरचना विकास पर पड़ा है। प्रबंधन के क्षेत्र में विकास निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है।

- भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन के लिए संस्थाओं में आवश्यक सामंजस्यता का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों के प्रोत्साहन में कमी।
- अवैध कालोनियों का विकास एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में वृद्धि।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## 1.6 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (पुस्तक अनुसार)

सारणी 1-सा-3.

क्रं.	भू-उपयोग	कुल प्रस्तावित भूमि वि.यो. 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		अन्तर (3-5)	क्रियान्वयन का प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	6400.00	47.06	4887.98	51.39	1517.02	76.29
2	वाणिज्यिक	700.00	5.15	477.21	5.01	222.79	68.14
3	औद्योगिक	1360.00	10.00	335.18	3.52	1024.82	24.65
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1800.00	13.24	1748.34	18.38	51.66	97.13
5	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधायें	300.00	2.21	109.84	1.15	190.16	36.61
6	आमोद-प्रमोद	1140.00	8.38	252.61	2.66	887.39	22.16
7	यातायात एवं परिवहन	1900.00	13.97	1699.41	17.87	200.59	89.44
	<b>योग</b>	<b>13600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9510.57</b>	<b>100.00</b>	<b>4089.43</b>	<b>69.93</b>

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 1-सा-4.

क्रं.	भू-उपयोग	कुल प्रस्तावित भूमि 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		अन्तर (3-5)	क्रियान्वयन का प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	13122.69	58.33	4887.98	51.39	8239.71	37.21
2	वाणिज्यिक	529.13	2.35	477.21	5.01	51.92	90.17
3	औद्योगिक	1719.12	7.64	335.18	3.52	1383.94	19.50
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	2685.40	11.94	1748.34	18.38	937.06	65.11
5	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधायें	67.61	0.30	109.84	1.15	-42.23	162.46
6	आमोद-प्रमोद	2128.27	9.46	252.61	2.66	1875.66	11.87
7	यातायात एवं परिवहन	2245.76	9.98	1699.41	17.87	546.35	75.67
	<b>योग</b>	<b>22497.98</b>	<b>100.00</b>	<b>9510.57</b>	<b>100.00</b>	<b>12987.41</b>	<b>42.27</b>

नोट:- (1) वर्ष 2021 में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 16.00 लाख अनुमानित थी।

**टीप :-**

विकास योजना 2031 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना (पुस्तक) एवं विकास योजना (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं। उपरोक्त सारणियों में विकास योजना (पुस्तक) एवं विकास योजना (मानचित्र) से प्राप्त क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है लेकिन विकास योजना का मुख्य आधार, मानचित्र होता है, मानचित्र के आधार पर ही योजना का क्रियान्वयन होता है।

अतः विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए किया गया है।

### 1.6.1 आवासीय

विकास योजना 2021 में 13122.69 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी थी, जबकि वर्ष 2020 तक की स्थिति में 4887.98 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग में लाई गई है। यह कुल आवासीय विकास का 37.12 प्रतिशत है। नगर में भूमि का विकास मुख्यतः ग्वालियर विकास प्राधिकरण, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल तथा निजी कॉलोनाइजर्स द्वारा किया गया है। निजी कॉलोनाइजर्स द्वारा किया जाने वाला अधिकांश विकास अप्राधिकृत कालोनियों के रूप में है। शासकीय संस्थाओं के पास भूमि अधिग्रहण एवं विकास हेतु आवश्यक पूंजी निवेश की कमी, आवासीय क्षेत्र के लक्ष्यों के प्राप्त न होने का प्रमुख कारण है। नए आवासीय क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं होने के फलस्वरूप पूर्व से निर्मित क्षेत्र में आवासीय घनत्व में वृद्धि हुई है, जिसके कारण निर्मित क्षेत्र में यातायात पर दबाव बढ़ा है।

### 1.6.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2021 में 529.13 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक विकास हेतु प्रस्तावित थी। नगर में वर्ष 2020 में 477.21 हेक्टेयर वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित हुआ है। वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों एवं कृषि उपज मण्डी तथा पुराने आवासीय उपयोग की भूमियों को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन करने से हुआ है। विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियों में से यातायात नगर, थोक बाजार आदि का विकास नगण्य रहा है। यह कुल वाणिज्यिक विकास का 90.17 प्रतिशत है। नगर में वाणिज्यिक विकास के अध्ययन से

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

विगत तीन दशकों में मुख्य मार्ग के दोनों ओर आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

## वाणिज्यिक विकास

## सारणी 1-सा-5.

क्र.	विवरण	स्थान	विकास की वर्तमान स्थिति
1	यातायात नगर	शंकरपुर, बेला की बावडी, झाँसी रोड, भिण्ड मार्ग	शंकरपुर अर्द्ध विकसित शेष अविकसित
2	कृषि उपज मण्डी	दीनारपुर	विकसित
3	वाणिज्यिक उप नगरीय केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र	थाटीपुर, शताब्दीपुरम, गोले का मंदिर, चंद्रवदनी नाका एवं शिंदे की छावनी	अर्द्ध विकसित

## 1.6.3 औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत विकास योजना में ग्राम में 1719.12 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। नगर में वर्ष 2020 में 335.18 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कुल प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग का 19.50 प्रतिशत है। यह प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग की भूमि पर नगण्य है। नगर की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार एवं रोजगार के साधनों के सृजन हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यक पूर्ति ग्वालियर से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित बानमौर, मालनपुर, सीतापुर एवं पिपरसेवा औद्योगिक केन्द्रों से होती है।

## 1.6.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 2685.40 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जबकि 2020 तक की स्थिति में 1748.34 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग में लायी गई। इस उपयोग के अन्तर्गत विकसित भूमि प्रस्तावित भूमि का 65.11 प्रतिशत है। विकास योजना के प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है।

## 1.6.5 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

विकास योजना 2021 में इस उपयोग के अन्तर्गत 67.61 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से 109.84 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जो प्रस्तावित भूमि का 162.46 प्रतिशत

है। इस उपयोग में कम भूमि विकसित होने के कारण वर्तमान परिसरों में उपलब्ध रिक्त भूमि में कार्यकलापों का विस्तार एवं निर्माण है।

### 1.6.6 आमोद-प्रमोद

विकास योजना 2021 में इस उपयोग के अन्तर्गत 2128.27 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जबकि 2020 तक की स्थिति में 252.61 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग में लायी गई। इस उपयोग के अन्तर्गत विकसित भूमि प्रस्तावित भूमि का 11.87 प्रतिशत है। आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत भूमि के विकास की कमी पर ध्यान देना आवश्यक है।

### 1.6.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत 2245.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। जबकि 2020 तक की स्थिति में 1699.41 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग में लाई गई। इस उपयोग के अन्तर्गत विकसित भूमि प्रस्तावित भूमि का 75.67 प्रतिशत है। मुख्य मार्गों का निर्माण विकास योजना के अन्तर्गत हुआ है, लेकिन वृत्तखण्ड स्तर एवं उपवृत्त खण्ड स्तर के मार्गों का विकास नहीं हुआ है। नये प्रस्तावित यातायात नगर भी विकसित नहीं हुए हैं।

### 1.6.8 उप नगरीय केंद्र

ग्वालियर विकास योजना 2021 में ग्वालियर, मुरार, थाटीपुर एवं सिटी सेंटर को चार उप-शहरी केंद्रों के रूप में प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थानों पर आवासीय क्षेत्र विकसित होना पाया गया है, साथ ही आवासीय उपयोग की भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होना पाया जा रहा है।

### 1.6.9 यातायात नगर

बेला की बावडी, झाँसी रोड अंडरपास एवं भिण्ड मार्ग पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगरों को विकसित नहीं किया गया है।

### 1.6.10 औद्योगिक क्षेत्र

रायरू के समीप औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव का भी क्रियान्वयन नहीं हो सका। जिसके कारण गिरवाई एवं शंकरपुर में अवैध रूप से उद्योगों की स्थापना हुई।

### 1.6.11 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

शिवपुरी लिंक मार्ग एवं झाँसी मार्ग पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक स्थानों के तहत निजी स्कूल और निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। लेकिन पुरानी छावनी एवं बडागांव की ओर प्रस्तावित PSP क्षेत्र में अवैध रूप से आवासीय एवं गोदामों का विकास हुआ है।

### 1.6.12 असंगत भूमि उपयोग एवं उनका स्थानांतरण

असंगत उपयोग और इसके पुनर्स्थापन से संबंधित प्रस्तावों का आंशिक कार्यान्वयन ग्वालियर विकास योजना 2021 में भी किया गया है।

### 1.6.13 प्रस्तावित सड़कें

ग्वालियर विकास योजना 2021 में 579.55 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास का प्रस्ताव किया गया था। योजना अवधि के दौरान, विकास योजना की प्रस्तावित सड़कों में से केवल 400 किलोमीटर ही विकसित की जा सकीं।

## 1.7 क्रियान्वयन संस्थायें

### 1.7.1 ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38 के तहत ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA) का गठन निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। प्राधिकरण द्वारा शताब्दीपुरम, शील नगर, यातायात नगर, विनय नगर, आनंद नगर, मयूर मार्केट, माधव प्लाजा आदि योजनाओं का क्रियान्वयन कर विकास किया गया है।

### 1.7.2 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (MPHIDB)

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा ग्वालियर विकास योजनाओं के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए दीनदयाल नगर, डोंगरपुर एवं गिरगाँव में आवासीय विकास कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, बोर्ड ने निवेश क्षेत्र में अनेक स्थानों पर पुनर्घनत्वीकरण योजनाएं भी प्रस्तावित की हैं। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में थाटीपुर के पुराने सरकारी आवासों के स्थान पर नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास प्रस्तावित किया गया है।

### 1.7.3 नगर पालिक निगम ग्वालियर (GMC)

ग्वालियर नगर निगम ने ग्वालियर विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना, राजीव आवास योजना (RAY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत सभी के लिए आवास प्रदान किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 1.7.4 निजी संस्थायें

बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा किये जाने में आवासीय कॉलोनियों, आवास इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को विकसित करने में निजी कॉलोनाइजर्स और हाउसिंग सोसायटीओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

## 1.8 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

### 1.8.1 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

कार्य सम्पादन विशेषताओं के आधार पर कौन से भूमि उपयोग आसपास के क्षेत्रों के भूमि उपयोग से सामंजस्य नहीं रखते हैं, इसका अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि नगर में कुछ ऐसे भूमि उपयोग हैं जो असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे भू-उपयोगों/गतिविधियों को उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। असंगत भूमि उपयोग एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## असंगत भूमि एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 1-सा-6.

क्र.	विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3
<b>असंगत भूमि उपयोग</b>		
1	शासकीय मुद्रणालय, जीवाजी चौक	अक्रियान्वित
2	केन्द्रीय जेल, बहोडापुर	अक्रियान्वित
3	गोरखी कलेक्ट्रेट	कलेक्ट्रेट ओहदपुर में स्थानांतरित होकर क्रियान्वित
4	थोक बाजार, दाल बाजार, नया बाजार, जीवाजीगंज	आंशिक क्रियान्वित
5	कबाडी बाजार, दौलतगंज	आंशिक क्रियान्वित
6	आरामिल, दालमिल, ब्रास मिल एवं मध्य क्षेत्र में कार्यरत अन्य औद्योगिक इकाईयां	आंशिक क्रियान्वित
7	वाहन मरम्मत दुकानें, जिंसी नाला	अक्रियान्वित
8	अग्नि, आतिश कार्य, दौलतगंज एवं हुजरात	स्थानांतरित होकर क्रियान्वित
<b>अकार्यक्षम भूमि उपयोग</b>		
1	गांधी मार्ग, रेस कोर्स मार्ग, झांसी मार्ग, पडाव, सिचाई कॉलोनी, कृषि कॉलोनी, पुलिस लाईन में आवासो से संलग्न भूमि रिक्त है, इन शासकीय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण करने पर सभी कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी, इसके साथ ही शासन को अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी। जिससे विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।	अक्रियान्वित
2	हुजरात एवं जनकगंज कोतवाली, गोरखी, शासकीय मुद्रणालय, आबकारी कार्यालय, सेन्ट्रल वर्कशॉप, पी.डब्ल्यू.डी. वर्कशॉप आदि	आंशिक क्रियान्वित
3	गोरखी स्कूल, महारानी विद्यालय, गजराजा, जनकगंज एवं हरिदर्शन स्कूल	अक्रियान्वित

**1.9 योजना अवधारणा**

ग्वालियर विकास योजना 2035 में नगर स्तर के थोक एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक केन्द्र, प्रशासनिक एवं मनोरंजन केन्द्र आदि के प्रस्ताव दिए गए हैं। मार्ग संरचना में सुगम यातायात की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में क्षेत्रीय/नगर स्तर के 80 /45/30 मीटर चौड़े मार्गों से लेकर वृत्तखण्ड/उप वृत्तखण्ड स्तर के 24 से 18 मीटर तक के मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं। ग्वालियर नगर से 90 किलोमीटर दूर झाँसी के समीप देश के प्रमुख पूर्वी-पश्चिमी यातायात कॉरीडोर एवं उत्तरी-दक्षिण यातायात कॉरीडोर का मिलान बिन्दु होने के कारण, नगर में औद्योगिक एवं वेयर हाउसिंग आदि की मांग में वृद्धि के साथ अन्य उपयोगों में भी भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग

प्रस्तावित किए गए हैं। विकास योजना 2035 की अवधारणा के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

- युक्ति-युक्त भूमि उपयोग द्वारा नियोजित शहरी विकास।
- प्राकृतिक वन, पहाड़ियों, नालों आदि संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण।
- एकीकृत जल प्रदाय, जल-मल निकास एवं वर्षाकाल की जल निकासी की व्यवस्था।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों की सघनता को कम करने के लिए विकास नियमनों को सरल एवं लचीला बनाना।
- शहर के घने क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार।
- व्यवसाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

### 1.10 उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली

विकास योजना 2035 का प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त, नगरीय क्षेत्र का विकास करना है। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट पर विचार करना आवश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी व पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने हेतु नगर एवं परिक्षेत्र, प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग, यातायात क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:-

#### ● क्षेत्रीय विशेषतायें

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषतायें, मिट्टी की विशेषतायें एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषतायें**

संख्या, आयु, लिंग, आब्रजन वितरण, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर और व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्यायें एवं संभावनायें, वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं।

- **यातायात विशेषतायें**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमतायें, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषतायें**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकतायें, एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवायें**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवाहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवायें।

- **सार्वजनिक सुविधायें**

शैक्षणिक संस्थायें, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवायें, वाणिज्यिक क्षेत्र, पूजा स्थल।

एकत्रित जानकारी, एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्ड व्यू-II (World View- II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित हैं, जिसमें URDPFI गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा में सम्मिलित है।

### 1.10.1 उद्देश्य

#### ➤ भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना:

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी, द्वारा नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

#### ➤ बसाहट के विस्तार का मानचित्र

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर के विभिन्न समयावधि में हुए विकास का मानचित्र तैयार करना ।

- संपूर्ण नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।
- नैसर्गिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकंप से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना ।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

#### ➤ जनगणना के आंकड़े


अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आंकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

### 1.10.2 उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली

नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली, चित्र में दी गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन किया गया। अमृत मानकों के अनुसार आंकड़े एकत्रित करने एवं सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार

मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली विवरण निम्नानुसार है—

**चित्र 1. उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली**



### 1.10.3 जनसंख्या आंकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आंकलन करने हेतु, वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र की जाकर विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों (I) अंक गणितीय वृद्धि पद्धति (II) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (III) दर वृद्धि पद्धति (IV) घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुए, 2035 की जनसंख्या प्रगणित की गई है।

### 1.10.4 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये, इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलु, अधोसंरचना, जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल-मल निकास, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित जानकारी इत्यादि सम्मिलित हैं।

### 1.11 थिमेटिक मानचित्रीकरण

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिसका उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली आकृति में स्पष्ट की गई है।

#### 1.11.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें मानकों को, वर्गीकृत किया जाकर, निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

**Road - Geo Spatial Data Content**

सारणी 1-सा-7.

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-07		Ring Road
	01-09		Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road
	01-16		Foot path

**Bridges/Flyovers - Geo Spatial Data Content**

सारणी 1-सा-8.

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	03-01	Bridges	Culvert
	03-04		Over Bridge
	03-06		Road Bridge Across Rail

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## 1.11.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

एन.आर.एस.सी. से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

## Building Footprint - Geo Spatial Data Content

सारणी 1-सा-9.

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
			Polytechnic
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
7	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8	13-01	State Govt. Property	Office
9	15-02	Public & Semi- public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guesthouse/Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
15-25	Public/Community Toilet		

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	15-28		Old Age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

### 1.11.3 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology से प्राप्त Digital Elevation Model के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया है। इसका विश्लेषण अध्याय-3 में किया गया है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

### 1.11.4 मृदा

संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग (SLUSI) से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली, मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण, मिट्टी की उपयोगिता एवं मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र का उपयोग किया गया है।

### 1.11.5 बाढ़ आपदा

बाढ़ आपदा की जानकारी हेतु ढलान, जलाशय मानचित्र से प्राप्त आंकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण कर मानचित्र तैयार किया गया है।

### 1.11.6 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित है :-

#### Water Bodies-Geo Spatial Data Content

सारणी 1-सा-10.

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-02	Water Bodies	Stream
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-06		Lake
	05-09		Reservoir

स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

### 1.11.7 भूकंप आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकंप आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है।

### 1.11.8 भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की जाकर, भूमि मूल्य की वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है।

**1.11.9 ग्राम/वार्ड सीमा**

राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का Spatial Adjustment किया गया। ग्राम मानचित्रों का Spatial Adjustment करने के पश्चात निवेश क्षेत्र सीमा निर्धारित की गयी है। नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया है। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:30000 का तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया है। उक्त मानचित्र, एकीकृत वार्ड आधारित जानकारी से तैयार किए गए हैं। जनसंख्या के आंकड़े, भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये हैं, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली निम्न सारणी में उल्लेखित है:-

**Administrative Boundaries**

सारणी 1-सा-11.

**Administrative Boundaries**

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary

स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

**Planning Boundaries & Municipal Boundaries**

सारणी 1-सा-12.

**Planning Boundaries**

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-08		National Park/ Sanctuary / Conservation Area

**Municipal Boundaries**

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

स्रोत :- अमृत मार्गदर्शिका

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत, उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर Remote Sensing Classification का उपयोग कर Digitize किये जाकर, निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं। क्षेत्र के सांख्यिकीय आंकड़े, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं।

### 1.12 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता प्रणाली

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया, कि कौन सी भूमि का विकास, किस प्रकार किया जाये, भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषतायें, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर भी निर्भर होता है। भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होना चाहिए (1) भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है (2) प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन (3) संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है, इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण एवं भूमि का नियोजित विकास करना है। भूमि पर आर्थिक दबाव रहने की दशा में उपयुक्तता के आधार पर अग्राह भूमि, का विकास होगा। इससे स्पष्ट है कि मापदण्डों की अधिक श्रेणियां बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग के निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है।

इस विश्लेषण में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके

परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ है। नगर के संदर्भ में Composite Land Suitability Analysis पद्धति अपनाई गई है। इस प्रक्रिया को अध्याय-3 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखी जाना है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

- वर्तमान भूमि उपयोग
- मिट्टी का प्रकार
- ढलान का प्रतिशत
- बाढ़ आपदा
- जलाशय
- मार्ग संरचना
- जिओमॉर्फोलॉजी
- भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से निर्धारित होती है। अगर ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (पैसा, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी, इसी प्रकार की अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी होती है।

उपरोक्त सभी घटकों के विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि एवं पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों से विश्लेषित जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये हैं।

### 1.13 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण, भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित URDPFI गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंगीकृत उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में, उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली के आधार पर ग्वालियर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण किया जाकर प्रस्तावित विकास की दिशा का निर्धारण एवं विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर, विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

#### 1.14 विकास योजना प्रारूप के लिए हितधारकों से परामर्श

ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 हेतु हितधारकों से, विभिन्न चरणों में निम्नानुसार सुझाव प्राप्त किए गए।

- आयुक्त ग्वालियर संभाग की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय/अर्द्ध-शासकीय विभागों के साथ दिनांक 15.01.2021 को बैठक आयोजित कर सुझाव प्राप्त किये गये। दिनांक 12.07.2021 को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति की बैठक आयोजित की जाकर फीडबैक प्राप्त किया गया एवं प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा, विभिन्न संस्थानों के साथ व्यापक परामर्श भी किया गया है।
- ग्वालियर चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों से दिनांक 06.05.2020 को समूह चर्चा आयोजित कर सुझाव प्राप्त किए गए।
- क्रेडाई ग्वालियर के साथ दिनांक 25.06.2020 को चर्चा की जाकर सुझाव प्राप्त किये गये।



## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इण्डिया ट्रेडर्स के साथ दिनांक 30.06.2020 को चर्चा की जाकर सुझाव प्राप्त किये गये।
- ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट मोटर्स एसोसिएशन ग्वालियर के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21.01.2021 को चर्चा आयोजित कर उनके सुझाव प्राप्त किये गये।
- नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21.01.2020 को चर्चा आयोजित कर उनके सुझाव प्राप्त किये गये।
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ऑर्किटेक्ट एवं प्लानर्स के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव प्राप्त किये।



## अध्याय-2

### अध्ययन एवं विश्लेषण



#### 2.1 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

##### 2.1.1 क्षेत्रीय परिदृश्य

मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम, 1973 की धारा-4 के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 8 रीजन में विभक्त किया गया है। यह क्षेत्र ग्वालियर एग्री रीजन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय यातायात का महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण कोरीडोर क्षेत्र के तीन जिलों मुरैना, ग्वालियर एवं दतिया से होकर गुजरता है, यह कोरीडोर पूर्व-पश्चिम यातायात कोरीडोर को दतिया जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. तथा ग्वालियर शहर से 85 कि.मी. की दूरी पर जोड़ता है।

### 2.1.2 क्षेत्रीय संदर्भ में महत्व

ग्वालियर का विकास न सिर्फ आसपास के शहरी क्षेत्र की, बल्कि वृहद् रूप से क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय गतिविधियों तथा अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित है। क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय उत्पादकता महानगर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है तथा इसके फलस्वरूप नगर को विकास एवं रोजगार के अवसर, सेवा एवं सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इससे स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र का नियोजन पृथक रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भौतिक विकास गतिविधियों एवं कार्यकलापों के आधार पर परिवर्तनशील होना चाहिये।

#### ग्वालियर नगर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 2-सा-1.


Nearest Town	Distance
JHANSI	102 km
AGRA	120 km
INDORE	470 km
BHOPAL	450 km
SAGAR	310 km

### 2.2 निवेश क्षेत्र

ग्वालियर निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) के अन्तर्गत वर्ष 1974 में किया गया था जिसमें नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र के साथ आस-पास के 28 गाँव भी सम्मिलित थे तत्समय निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20699.41 हेक्टेयर (207 वर्ग किलोमीटर) था।

वर्ष 1999 में ग्वालियर का संशोधित निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसमें पुराने निवेश क्षेत्र के अतिरिक्त 19 गाँव और सम्मिलित किये गये थे। ग्वालियर निवेश क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं में वर्ष 2007 में पुनः वृद्धि कर अतिरिक्त 20 गाँवों को सम्मिलित करते हुये संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमारयें म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69/2007/बत्तीस दिनांक 21 सितम्बर 2007 द्वारा परिनिश्चित की गई।

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-37/2016, भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016 द्वारा ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र के



## ग्वालियर विकास योजना | 2035

अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के 22 ग्रामों को सम्मिलित कर ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि की है। जिसके फलस्वरूप ग्वालियर निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 53420.57 हेक्टेयर है, जिसे निम्न सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है।

## ग्वालियर निवेश क्षेत्र

सारणी 2-सा-2.

क्रमांक	गाँव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या (2011)
1	2	3	4
<b>(अ) नगर निगम क्षेत्र</b>			
1	ग्वालियर नगर (2011)	12955.02	1069276
2	अकबरपुर (मुजा)	235.93	603
3	अजयपुर	84.48	8328
4	भोंडेरी	236.78	237
5	चक गिरवाई-1	110.50	517
6	गिरवाई	1168.86	9770
7	भदरोली	463.00	2063
8	गिरगाँव	698.50	1970
9	गंगापुर	223.05	844
10	जलालपुर	152.10	1915
11	जगनापुरा	65.86	313
12	जमाहर	433.24	2459
13	खेरिया भान	140.28	465
14	कोटा वीरान	15.15	10
15	सोहनपुर	181.70	340
16	महाराजपुरा गिर्द	306.76	703
17	मदनपुर	152.16	290
18	मालनपुर	393.00	1503
19	मोहनपुर	67.34	2429
20	मऊ	419.04	1557
21	रायरू	723.01	1732
22	पुरानी छावनी	479.16	10219
23	सेंथरी	622.02	1534
24	रुद्रपुरा	246.45	1738
25	शेखपुरा	319.15	140

## ग्वालेयर विकास योजना | 2035

क्रमांक	गाँव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या (2011)
1	2	3	4
26	शंकरपुरा	545.27	6705
27	टिलहरी	198.70	768
28	सिरोल	458.74	3302
29	विक्रमपुर	198.84	906
30	थर	100.44	678
31	वीरपुर	97.27	6140
32	लखनौती खुर्द	214.08	446
33	जोनपुर	140.02	392
34	बरौआ पिछोर	302.71	417
35	हबीपुर	227.83	566
36	नौगांव	947.37	1909
37	तुरारी	284.30	766
38	चंदौहा खुर्द	242.08	10
39	खेरिया भृत्य	205.58	57
40	बड़ागाँव	962.34	2676
41	जारगा	1087.39	1441
42	बरौआ नूराबाद	851.86	3371
43	चक जगरूपुरा	35.00	313
44	कुंवरपुरा	181.00	594
45	खिरिया पदम	मुरार के क्षेत्र में सम्मिलित	2033
46	खुरैरी	570.50	2020
47	खेरियामोदी	200.32	889
48	नैनागिरि	186.96	924
49	जिरैना	308.78	576
50	सिकरौदा बडौरी	214.08	525
51	लखनौती कलां	190.20	453
52	चकरायपुर	230.64	953
53	खिरियामिर्धा	267.50	680
54	बेहटा	771.33	1653
55	मैथाना	144.47	653
56	चक केशोपुर	272.76	1911
57	जहांगीरपुरा	294.21	952

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्रमांक	गाँव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या (2011)
1	2	3	4
58	छौंदा	325.47	988
59	खिरिया कछाई	99.07	1383
60	नोनेरा	114.83	बेचिराग
61	सिकरोदी	71.36	671
62	कुशराजपुर	817.34	527
63	पुरासानी	1062.88	1099
64	तिलेथा	484.97	333
65	बड़ोरी	211.52	544
66	नागौर	235.85	862
67	लोडरा	148.16	95
68	अडूपुरा	196.13	1021
69	रमौआ	259.94	983
70	गणेशपुरा	71.92	1053
71	बनारपुरा	107.88	227
72	सूरो	386.18	916
73	चंद्रपुरा	365.13	542
74	करिगवाँ खुर्द	122.52	453
75	पिपरौली	316.62	997
	<b>योग</b>	<b>37222.85</b>	<b>1179328</b>
<b>(ब) मुरार केन्टोन्मेन्ट</b>		<b>1333.00</b>	<b>48464</b>
<b>(स) ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	लक्ष्मणगढ़	139.62	553
2	बरेठा	579.51	1395
3	सालूपुरा	275.19	1100
4	सुसेरा	917.02	2987
5	सोनारपुरा	259.00	185
6	करगंवा	121.81	453
7	नरेश्वर	294.00	357
8	टीकरी	568.00	725
9	सातरु	1264.56	698
10	डांग सरकार	3051.53	बेचिराग
11	अलीनगर	156.50	164

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्रमांक	गाँव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या (2011)
1	2	3	4
12	रवार	337.61	606
13	रोरा	1713.49	2505
14	बस्तरी	468.95	892
15	सौसा	1627.29	1979
16	बंधौली	1057.13	1931
17	उदयपुरा	347.22	1186
18	हिर्सी	217.96	371
19	सिंघारपुरा	85.03	725
20	सुनारपुरा	293.62	360
21	धनेली	469.57	958
22	वीरमपुरा	446.90	682
<b>योग</b>		<b>14691.56</b>	<b>20812</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>		<b>53274.41</b>	<b>1248604</b>
<b>जी.आई.एस. आधारित क्षेत्रफल</b>		<b>53420.57</b>	

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011

**नोट :-**

ग्वालियर निवेश क्षेत्र हेतु विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 53274.41 हेक्टेयर है, विकास योजना 2035 हेतु ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्रों के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 53420.57 हेक्टेयर प्राप्त हुआ है।

यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार तैयार की जा रही है। इसलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से सेटेलाइट इमेज से प्राप्त 53420.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिये गये हैं।

## 2.3 नगर पालिक निगम क्षेत्र

सन् 1898 में ग्वालियर में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। जिसमें 46.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया जाकर 18 वार्डों में विभाजित किया गया था। 4 नवम्बर 1954 को नगर पालिक निगम का गठन किया गया, जिसमें मुरार सिविल क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाकर नगर निगम क्षेत्र 34 वार्डों में विभाजित किया गया। वर्तमान में नगर निगम सीमा 66 वार्डों में विभाजित है, नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल 372.22 वर्ग किलोमीटर है।



## 2.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का अंतिम लक्ष्य है। आर्थिक संसाधनों का कुशलतम भू-उपयोग, नगर नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के कारण नगरीय अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिपेक्ष्य में निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

1. क्षेत्रीय व्यापार तथा वाणिज्यिक केन्द्र
2. औद्योगिक केन्द्र
3. पर्यटन केन्द्र
4. शैक्षणिक केन्द्र
5. प्रशासनिक केन्द्र

### 2.4.1 क्षेत्रीय व्यापार तथा वाणिज्यिक केन्द्र

ग्वालियर नगर ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के लिए क्षेत्रीय व्यापार का केन्द्र है। मध्य क्षेत्र में स्थित थोक बाजारों से समीपवर्ती जिलों के व्यक्ति सामान खरीद कर अपने नगरों में विक्रय करते हैं।

## 2.4.2 औद्योगिक केन्द्र

नगर में बिरला नगर, जडेरूआ, बाराघाटा, तानसेन नगर एवं गिरवाई औद्योगिक केन्द्र स्थित है। जिनमें ब्रिटानिया समूह की जे.बी. मंगाराम फेक्टरी सहित कई उद्योग कार्यरत है। जे.सी. मिल के बंद होने के बाद अधिकांश उद्योग बामौर एवं मालनपुर में शिफ्ट हुए है।


## 2.4.3 पर्यटन केन्द्र

महत्वपूर्ण नदियाँ, झील जलाशय, पहाडियाँ, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक महत्व के स्थलों पर पर्यटन स्थल विकसित किए जा सकते हैं। ग्वालियर में ग्वालियर किला, गूजरी महल, बाड़ा, मोती महल, जयविलास पैलेस आदि बड़े विरासत स्थल है, यह वास्तुकला की उत्कृष्ट संरचना होने के कारण, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं।

### (i) क्षेत्रीय पर्यटन स्थल

ग्वालियर के ऐतिहासिक किले, महलों एवं पुरातत्व संग्रहालय के कारण देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आना लगा रहता है, ग्वालियर के आसपास शिवपुरी, चंदेरी, ओरछा, दतिया, ककनमठ मंदिर एवं भित्ति चित्रों की गुफायें, मिलावली, पडावली, बटेश्वर (मुरैना), कूनो अभ्यारण (श्योपुर) आदि पर्यटन स्थल 150 कि.मी. तक की दूरी पर स्थित है। ग्वालियर में दिसम्बर-जनवरी में लगने वाला ऐतिहासिक मेला भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। ग्वालियर के आसपास बाँधो एवं पहाडियों की श्रंखला के कारण साहसिक पर्यटन की भी संभावनाये है। ग्वालियर के पास स्थित मालनपुर, बानमोर एवं सीतापुर औद्योगिक केन्द्रों एवं क्षेत्रीय वाणिज्यिक केन्द्र व्यवसायिक पर्यटनों के आकर्षण के भी केन्द्र है। प्रमुख क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्वालियर से 20 कि.मी. की दूरी पर उत्तर की ओर बटेश्वर, मितावली एवं पढावली में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल है। जहाँ प्राचीन मंदिरों के खंडहर मौजूद हैं। यहाँ का स्थापत्य शिल्प बेजोड है, यहाँ स्थित राग रागनियों के मंदिर का शिल्प संसद भवन, नई दिल्ली के समान है।



2. बटेश्वर के समीप ही शनि पर्वत पर प्राचीन द्वारिका धीश का मंदिर एवं प्रसिद्ध प्राचीन शनि मंदिर भी स्थित है। इस शनि मंदिर पर प्रत्येक शनिवार को हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। शनीचरी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, रेलवे द्वारा इस अवसर पर विशेष रेलगाड़ियों का भी संचालन किया जाता है।
3. ग्वालियर से 100 कि.मी. की दूरी पर शिवपुरी के समीप माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें विविध वन्यजीवों के साथ ही ब्रिटिश कालीन संरचनाये भी दर्शनीय है।
4. ग्वालियर से 200 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक चंदेरी का किला प्राकृतिक परिवेश में स्थित है। चंदेरी साडीयाँ हस्तशिल्प की विशेषता के कारण प्रसिद्ध है।
5. ग्वालियर से लगभग 100 कि.मी. की दूरी पर ओरछा में प्रसिद्ध राम मंदिर प्राकृतिक परिवेश में स्थित है, ओरछा के किले को भी हेरिटेज होटल में परिवर्तन किया गया है।
6. ग्वालियर 80 कि.मी. की दूरी पर दतिया में माँ पीताम्बरा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है

## (ii) नगरीय पर्यटन स्थल

पंद्रहवीं शताब्दी में महाराज मानसिंह के कार्यकाल में ग्वालियर किले पर नगर नियोजन का कार्य प्रारंभ हुआ। सिंधिया रियासत के कार्यकाल में महाराज बाडा के आसपास विकसित वाणिज्यिक केन्द्र एवं फूलबाग परिसर नगरीय रूपांकन के प्रयासों एवं नियोजन की अभिज्ञता के उत्तर उदाहरण है, ग्वालियर नगर ऐतिहासिक प्रतिवेश एवं नगरीय परिवेश के उच्च तत्वों के कारण विख्यात है। ग्वालियर नगर के ऐतिहासिक स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। निवेश क्षेत्र में स्थित मुख्य स्मारकों एवं आकर्षक स्थलों की जानकारी निम्नानुसार है :-

### 1. मोहम्मद गौस का मकबरा

नगर की उत्तरी दिशा में सोलहवीं सदी के विख्यात पीर मोहम्मद गौस का मकबरा पुरातन मुगल शिल्प का उत्तम नमूना है, वर्गाकार मकबरे के दोनों पर षटकोणीय मीनार छोटे गुम्बदों से ढककर बनाए गए हैं, मकबरे के चारों ओर पत्थर की नक्काशी की हुई जाली की दीवार है।

## 2. तानसेन का मकबरा

संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप स्थित है। यह स्मारक एक सारे सफेद रंग के निचले ओटले पर स्थित है। मकबरों के समीप एक जंगली इमली का पेड़ है जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि इसकी पत्तियाँ खाने से आवाज सुरीली बनती है।

## 3. महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि

फूलबाग से स्टेशन मार्ग पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि एवं अश्वारूढ़ लड़ाई की वेषभूषा में एक प्रतिमा स्थित है।

## 4. गूजरी महल

ग्वालियर दरवाजे के समीप स्थित गूजरी महल महाराज मानसिंह तोमर द्वारा 15 वीं सदी में किले के समीप निर्मित छः महलों में से एक है। यह महल दो मंजिला एवं भव्य चौखुटे आकार का बना हुआ है। महल के बाहरी हिस्से की सादगी, गुम्बदाकार के कंगूरों, हाथियों के चित्रों एवं मीनाकारी से निर्मित बनावट में देखी जा सकती है। वर्तमान में इस महल में पुरातत्व वस्तुओं का संग्रहालय है।

## 5. राजा मानसिंह महल

पंद्रहवीं सदी का राजपूत महल शिल्पकला का उत्तम उदाहरण है। महल के बाहरी हिस्से की मीनाकारी लगभग 500 वर्षों से सुरक्षित बनी हुई है। महल के अंदर पत्थर से निर्मित शिल्प की बनावट पर्यटकों को मोहित कर देती है।

## 6. सास बहू का मंदिर

यह मंदिर किले पर स्थित दो मनोहारी भवनों में से एक है। इसके मध्य में एक चौखुटा हाल स्थित है, जिसके तीनों दिशाओं में मण्डप स्थित है, इसका शिल्प मध्ययुगीन अलंकृत भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

### 7. तेली का मंदिर

यह मंदिर किले पर स्थित सभी भवनों में ऊँचा है। इसकी ऊँचाई 30 मीटर है तथा रूपांकन की दृष्टि से नौवीं सदी का विशिष्ट मंदिर है।

### 8. ग्वालियर किला

पहाड़ी पर स्थित किला नगर का प्रमुख दर्शनीय स्थल होने के साथ-साथ देश के विख्यात किलों में से एक है। यह किला रेत के पत्थर की पहाड़ी पर लगभग 100 मी. की ऊँचाई पर उत्तर से दक्षिण की ओर 3 कि.मी. लम्बाई में स्थित है। इसकी चौड़ाई पूर्व व पश्चिम तक विभिन्न भागों में 200 से 900 मीटर तक है। किले पर ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विषयों से संबंधित स्थान एवं वस्तुयें स्थित हैं।

### 9. जैन शिल्प कला

किले के उरवाई दरवाजे एवं किले के पूर्वी भाग की दीवारों के भाग में जैन तीर्थकारों की पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति समूह स्थित है, ये छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बैठी एवं खड़ी अवस्था में गुफाओं एवं ताखों में स्थित हैं। संख्या एवं भव्यता की दृष्टि से यह शिल्प उत्तरी भारत में अनोखा है।

### 10. सूरज कुण्ड

छठवीं शताब्दी में किले के पूर्वी भाग में आयताकार आकार का पूर्वी दरवाजों की ओर जाने वाले मार्ग पर सूरज कुण्ड स्थित है। किवदंती के अनुसार इस कुण्ड के पानी से राज सूरज सेन को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलकर स्वास्थ्य लाभ हुआ था।

### 11. जयविलास पैलेस राजमहल

1872 से 1874 में निर्मित जयविलास पैलेस की गणना भारत के सुंदर राजमहलों में की जाती है। यह राजमहल बड़े उद्यान में स्थित है, यहाँ छायादार वृक्ष, सुंदर मार्ग, कृत्रिम तालाबों के कारण शोभायान है। इस महल का दरबार हॉल 100 फीट लम्बा तथा 50 फीट चौड़ा तथा 40 फीट ऊँचा है। यह स्वर्ण से अलंकृत है, यहाँ फानूस एवं आइने लगे हुए हैं।

## 12. मोती महल

इस महल के कुछ कमरों में पच्चीकारी का कार्य किया गया है। जिसमें हिन्दू पुराणों, राग-रागनियों, औपचारिक दरबारों, जल समारोहों एवं महाराजा जीवाजीराव द्वारा खेले गए शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं।

## 13. महाराज बाडा राजमहल

ग्वालियर में गोरखी के नाम से मशहूर सबसे पुराना राजमहल नगर के मध्य लश्कर में स्थित है, इस का निर्माण महाराजा दौलत राव सिंधिया द्वारा 1811 में कराया गया था। सुंदरता से नक्काशित प्रवेश द्वार रेतीले पत्थर से निर्मित किया है।

## 14. कम्पू कोठी

1865 में निर्मित इस महल की छतों एवं दीवारों पर किया गया चित्रण उल्लेखनीय है।

## 15. छत्रियाँ स्मारक

सिंधिया राजवंश के दिवंगत महाराजो की छत्रीयाँ का वास्तुशिल्प पुरानी शैली के पत्थर की नक्काशी से निर्मित है, यहाँ पर कुछ भिती चित्र भी बनाए गए हैं।

## 16. जियाजी चौक

ग्वालियर नगर की हृदय स्थली पर नगरीय सीमांकन एवं वास्तुविदीय लालित्य के लिये विख्यात यह चौक महाराज वाडा के रूप में जाना जाता है। चौक के मध्य महाराजा जियाजी राव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित है। इस चौक के चारों ओर देशी एवं विदेशी वास्तुविदीय शैली निर्मित इमारतें जैसे टाउन हॉल, जनरल पोस्ट ऑफिस, विक्टोरिया मार्केट, शासकीय मुद्रणालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि के सुंदर भवन निर्मित हैं।

### 17. जामा मस्जिद

मुगल काल की यह भव्य मस्जिद किले के ग्वालियर दरवाजे के समीप बाहर स्थित है।

### 18. फूलबाग परिसर

इटालियन गार्डन, बैजा तालाब, वन्यप्राणी अभ्यारण, संग्रहालय, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, एवं संग्रहालय स्थित है। सुंदर गार्डन तथा पेड़ों से घिरा यह सार्वजनिक मनोरंजन का स्थल है।

### 19. अन्य आकर्षण

देवखों, तिघरा बाँध, सागर ताल, कटोराताल, जनकताल आदि महत्वपूर्ण संरचनाये पर्यटकों को आकर्षण का केन्द्र होने के साथ ग्वालियर के शानदार इतिहास की साक्षी है।

#### 2.4.4 शैक्षणिक केन्द्र

ग्वालियर नगर में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के साथ मध्यप्रदेश के बुंदेल खण्ड एवं राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तरप्रदेश के इटावा से भी छात्र अध्ययन के लिए आते हैं, ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान भी कार्यरत हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन संस्थान, महिला एन. सी.सी. कॉलेज, सिंधिया फोर्ट स्कूल, सिंधिया कन्या विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, महाराजा मानसिंह तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय आदि सम्मिलित हैं।

#### 2.4.5 प्रशासनिक केन्द्र

ग्वालियर नगर ग्वालियर संभाग का मुख्यालय होने के कारण अनेक संभागीय कार्यालय यहाँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य स्तरीय कार्यालय भी संचालित हैं।

जिनमें आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, राजस्व मण्डल, आयुक्त ट्रांसपोर्ट एवं आयुक्त आबकारी तथा महालेखाकार मध्यप्रदेश प्रमुख हैं।

## 2.5 नगरीय विस्तार

नगरीय बसाहट का फैलाव (विस्तारीकरण) एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नैसर्गिक संसाधन, ऐतिहासिक घटनायें, महत्वपूर्ण प्रशासकीय एवं नीतिगत निर्णय, भौतिक अधोसंरचना तथा विकास के प्रयत्न, बसाहट के आकार एवं संरचना को स्थाई रूप से प्रभावित करते हैं, जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है।


### नगरीय विस्तार

सारणी 2-सा-3.


क्रं.	नाम एवं स्थान	स्थापना वर्ष
1	2	3
1.	महाराजा बाड़ा (गोरखी) एवं बाड़ा के आसापास स्थित बस्ती	1811
2.	जयविलास पैलेस	1872-74
3.	एम.एल.बी. कॉलेज बिल्डिंग (विक्टोरिया कॉलेज)	1887
4.	शासकीय मुद्रणालय (दरबार मुद्रणालय)	1895-96
5.	तिगरा जलप्रदाय योजना	1904-14
6.	जियाजी कॉटन मिल	1921
7.	फूलबाग	1922
8.	ग्वालियर रेयान मिल	1947
9.	महाराजपुर हवाई अड्डा	1967

## 2.6 स्थलाकृति एवं भूमि दृष्टव्यता

ग्वालियर नगर किला पहाड़ी, तदोपरांत हनुमान पहाड़ी, गुप्तिश्वर पहाड़ी, गुडा-गुडी पहाड़ी एवं आमखो पहाड़ी के मध्य पठार पर तीन उप-नगरों के रूप में विकसित हुआ है। यद्यपि ये पहाड़ियां पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में नगरीय विकास की निरंतरता में बाधक हैं, तथापि ये नगरीय ढांचे का एक रोचक भू-दृश्य आकार है। ये पहाड़ियां एक मनभावन दृश्य उत्पन्न करती हैं, पश्चिमी पहाड़ियों की ऊंचाई 212 मीटर से 355 मीटर के मध्य है। इन पहाड़ियों का प्राकृतिक दृष्टि मूल्य है तथा नगरीय उद्यानों एवं वनों के विकास हेतु ये अत्यंत उपयुक्त हैं। दक्षिणी पहाड़ियों की श्रृंखला में चारों ओर से घिरे हुये कटोरानुमा स्थान जैसे सखिया विलास तथा कैंसर अस्पताल के क्षेत्र भी स्थित हैं।



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal



## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## भूमि आकार तथा दृष्टव्य विश्लेषण

सारणी 2-सा-4.

क्र.	मूल्य	तुल्य क्षेत्र
1	2	3
1	क्षितिज पार्श्व दृश्य, जैसे स्तर पर पठार, सुन्दर स्तरता।	किला, गुप्तेश्वर तथा हनुमान पहाड़ियां
2	रोचक प्राकृतिक भौगोलिक स्थल	गुड़ा-गुड़ी पहाड़ी, आमखो पहाड़ी
3	शहर के नगरीय ढांचे का विशेष दृष्टव्य मूल्य	सत्य नारायण पहाड़ी, कटीघाटी एवं कैँसर अस्पताल पहाड़ी
4	अच्छे सतही जल निकासी वाले तत्व से अत्याधिक समतल	किला पहाड़ी एवं मुरार तथा किला पहाड़ी एवं हनुमान पहाड़ी के मध्य क्षेत्र

## 2.7 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

## 2.7.1 जनसंख्या विश्लेषण

ग्वालियर, मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर संभाग का संभागीय मुख्यालय है। संभाग के अन्य जिला मुख्यालयों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

## संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात

सारणी 2-सा-5.

क्र.	जिला एवं तहसील	कुल जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश	72626809	37612306	35014503	931
2.	ग्वालियर जिला	2032036	1090327	941709	864
3.	गुना जिला	1241519	649362	592157	912
4.	दतिया जिला	786754	420157	366597	873
5.	शिवपुरी जिला	1725050	919795	806255	877
6.	अशोक नगर जिला	845071	443837	401234	904

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्य-प्रदेश राज्य में महिला एवं पुरुष लिंग-अनुपात 1000 से कम है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिलों में सबसे कम लिंगानुपात ग्वालियर जिले का है।

ग्वालियर नगर

ग्वालियर नगर की जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,69,276 लाख है। अमृत योजना के मानकों के अनुसार वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## वार्ड वार जनसंख्या

सारणी 2-सा-6.


Ward No. and Name	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates Population		
	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Gwalior (M Corp.) Ward No.-1	19913	10562	9351	2826	1503	1323	3367	1782	1585	466	257	209	11577	6780	4797
2 Gwalior (M Corp.) Ward No.-2	17133	9132	8001	2187	1171	1016	2682	1416	1286	108	59	49	11410	6620	4790
3 Gwalior (M Corp.) Ward No.-3	28009	15665	12344	2554	1416	1138	1376	826	550	436	308	128	22207	12669	9538
4 Gwalior (M Corp.) Ward No.-4	22760	12051	10709	2950	1571	1379	4435	2328	2107	108	54	54	15943	9146	6797
5 Gwalior (M Corp.) Ward No.-5	26920	14206	12714	3467	1845	1622	4550	2363	2187	462	249	213	19084	10759	8325
6 Gwalior (M Corp.) Ward No.-6	17055	9040	8015	2063	1114	949	735	393	342	1762	928	834	11115	6559	4556
7 Gwalior (M Corp.) Ward No.-7	15456	8240	7216	1936	1051	885	2921	1531	1390	77	35	42	11358	6565	4783
8 Gwalior (M Corp.) Ward No.-8	17107	9305	7802	2325	1280	1045	1421	770	651	344	182	162	12193	7245	4948
9 Gwalior (M Corp.) Ward No.-9	16159	8601	7558	1848	977	871	3150	1667	1483	783	411	372	11827	6775	5052
10 Gwalior (M Corp.) Ward No.-10	14625	7944	6681	1656	879	777	1005	547	458	56	31	25	10436	6092	4344
11 Gwalior (M Corp.) Ward No.-11	15534	8349	7185	1637	896	741	4249	2278	1971	178	90	88	11472	6627	4845
12 Gwalior (M Corp.) Ward No.-12	15616	8350	7266	1666	900	766	3241	1735	1506	130	70	60	12390	7037	5353
13 Gwalior (M Corp.) Ward No.-13	14921	7853	7068	1497	807	690	2200	1157	1043	47	26	21	12012	6635	5377
14 Gwalior (M Corp.) Ward No.-14	16932	8970	7962	2022	1086	936	3300	1771	1529	86	43	43	11649	6663	4986
15 Gwalior (M Corp.) Ward No.-15	17820	9607	8213	2412	1299	1113	3112	1661	1451	196	101	95	12581	7491	5090
16 Gwalior (M Corp.) Ward No.-16	13329	7098	6231	1515	832	683	5426	2913	2513	77	39	38	10073	5772	4301
17 Gwalior (M Corp.) Ward No.-17	16115	8636	7479	1737	974	763	3719	1962	1757	130	70	60	12575	7210	5365
18 Gwalior (M Corp.) Ward No.-18	39833	21751	18082	4581	2572	2009	4267	2294	1973	424	223	201	31199	17812	13387
19 Gwalior (M Corp.) Ward No.-19	25459	13726	11733	2862	1633	1229	2623	1431	1192	123	66	57	19810	11317	8493


## गवालियर विकास योजना 2035


Ward No. and Name	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literate Population		
	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gwalior (M Corp.) Ward No.-20	28655	15342	13313	3552	1950	1602	5368	2868	2500	661	357	304	21333	12315	9018
Gwalior (M Corp.) Ward No.-21	24070	13010	11060	2562	1447	1115	5406	2947	2459	397	229	168	18731	10745	7986
Gwalior (M Corp.) Ward No.-22	19621	10523	9098	1917	1064	853	6568	3533	3035	271	145	126	16041	9019	7022
Gwalior (M Corp.) Ward No.-23	20730	11150	9580	2764	1495	1269	14288	7697	6591	379	200	179	13707	8340	5367
Gwalior (M Corp.) Ward No.-24	10511	5568	4943	879	503	376	1760	962	798	192	102	90	9007	4904	4103
Gwalior (M Corp.) Ward No.-25	17857	9457	8400	1575	876	699	1241	677	564	166	91	75	14796	8158	6638
Gwalior (M Corp.) Ward No.-26	16265	8768	7497	1852	1049	803	3029	1615	1414	34	17	17	12438	7117	5321
Gwalior (M Corp.) Ward No.-27	15167	8021	7146	1554	853	701	1394	715	679	251	154	97	12319	6773	5546
Gwalior (M Corp.) Ward No.-28	22701	12194	10507	2817	1561	1256	10328	5538	4790	700	364	336	15722	9342	6380
Gwalior (M Corp.) Ward No.-29	24128	12792	11336	2582	1452	1130	2179	1129	1050	149	91	58	18746	10331	8415
Gwalior (M Corp.) Ward No.-30	18110	9400	8710	1521	845	676	1385	752	633	102	49	53	15598	8190	7408
Gwalior (M Corp.) Ward No.-31	13386	7107	6279	1325	727	598	2878	1560	1318	124	66	58	10692	5902	4790
Gwalior (M Corp.) Ward No.-32	16650	8690	7960	1331	711	620	3090	1642	1448	107	57	50	13794	7480	6314
Gwalior (M Corp.) Ward No.-33	30555	16112	14443	3365	1743	1622	5354	2798	2556	929	456	473	21489	12315	9174
Gwalior (M Corp.) Ward No.-34	12520	6570	5950	1151	609	542	2270	1197	1073	84	46	38	9797	5351	4446
Gwalior (M Corp.) Ward No.-35	18421	9662	8759	1885	994	891	3301	1751	1550	682	349	333	13803	7633	6170
Gwalior (M Corp.) Ward No.-36	13561	7055	6506	1457	757	700	3350	1783	1567	0	0	0	9547	5334	4213
Gwalior (M Corp.) Ward No.-37	24970	13327	11643	3438	1877	1561	7583	4101	3482	142	76	66	15479	9013	6466
Gwalior (M Corp.) Ward No.-38	27498	14835	12663	3617	2003	1614	5187	2809	2378	159	85	74	18320	10905	7415
Gwalior (M Corp.) Ward No.-39	14715	7716	6999	1511	810	701	3407	1754	1653	36	19	17	10869	5992	4877
Gwalior (M Corp.) Ward No.-40	9257	4832	4425	893	494	399	2072	1105	967	40	23	17	7373	4030	3343

## ग्वालियर विकास योजना 2035

Ward No. and Name	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literate Population		
	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2															
41	11751	6167	5584	1048	593	455	616	317	299	23	13	10	9827	5245	4582
42	9669	4974	4695	835	444	391	450	242	208	2	0	2	8461	4406	4055
43	12319	6430	5889	1072	591	481	504	260	244	0	0	0	10687	5652	5035
44	11229	5869	5360	1041	566	475	678	341	337	99	60	39	9404	5040	4364
45	12962	6787	6175	1226	657	569	1542	823	719	12	7	5	10871	5851	5020
46	11486	5944	5542	1161	619	542	1755	910	845	137	66	71	9064	4862	4202
47	11940	6261	5679	1127	621	506	1677	909	768	56	44	12	9486	5182	4304
48	14519	7554	6985	1432	750	682	1586	822	764	262	140	122	11471	6253	5218
49	17322	9169	8153	1911	1032	879	2051	1085	966	303	158	145	13013	7276	5737
50	11232	5776	5456	995	543	452	366	176	190	9	5	4	9671	5035	4636
51	16167	8642	7525	1869	995	874	1897	1008	889	33	16	17	11643	6638	5005
52	26342	14241	12101	3043	1710	1333	3107	1678	1429	64	35	29	18885	10977	7908
53	14297	7397	6900	1494	797	697	3134	1620	1514	44	25	19	10931	5990	4941
54	12512	6490	6022	1240	675	568	1119	559	560	134	65	68	10009	5408	4601
55	23385	12241	11144	3170	1634	1536	1354	707	647	27	14	13	15108	8664	6444
56	21159	11149	10010	2552	1375	1177	3827	2020	1807	559	299	260	14996	8567	6429
57	12546	6620	5926	1322	721	601	2023	1078	945	69	30	39	9502	5263	4239
58	14979	7685	7294	1273	684	589	1346	604	742	148	77	71	12874	6673	6201
59	9138	5201	3937	1129	634	495	705	392	313	427	273	154	6205	3943	2262
60	24278	13189	11089	3184	1774	1410	6430	3514	2916	360	189	171	16574	9853	6721
<b>Total</b>	<b>1069276</b>	<b>569003</b>	<b>500273</b>	<b>119413</b>	<b>65041</b>	<b>54375</b>	<b>185384</b>	<b>98823</b>	<b>86561</b>	<b>14366</b>	<b>7734</b>	<b>6631</b>	<b>799194</b>	<b>451741</b>	<b>347453</b>







## 2.8 वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

ग्वालियर नगर में जनसंख्या लिंगानुपात वार्ड क्र. 42, 46, 50, 53 एवं 58 में 930 से अधिक, तथा वार्ड क्र. 3 एवं 59 में 810 से भी कम प्राप्त हुआ है। शिशु लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 24 में 750 से कम तथा वार्ड क्रमांक 33 एवं 35 में 930 से अधिक प्राप्त हुआ है। जिसकी जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गई है।

### वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 2-सा-7.

क्र.	श्रेणी	वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	< 810	02	59, 3
2	810-840	02	18, 8
3	840-870	14	60, 10, 52, 21, 38, 19, 15, 26, 23, 11, 28, 22, 17, 20
4	870-900	21	12, 51, 37, 7, 2, 16, 9, 31, 1, 29, 6, 14, 24, 25, 4, 49, 27, 5, 57, 33, 56
5	900-930	16	13, 41, 34, 35, 47, 39, 45, 55, 44, 40, 43, 32, 48, 36, 30, 54
6	> 930	05	46, 53, 42, 50, 58

### वार्ड वार शिशु लिंगानुपात

सारणी 2-सा-8.

क्र.	श्रेणी	वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	<750	01	24
2	750-780	06	19, 26, 41, 21, 29, 52
3	780-810	11	59, 18, 17, 60, 25, 30, 22, 3, 28, 38, 40
4	810-840	13	43, 47, 8, 16, 20, 27, 31, 11, 37, 50, 57, 54, 44
5	840-870	13	7, 23, 12, 49, 6, 13, 56, 15, 58, 14, 39, 45, 2
6	870-900	12	32, 53, 46, 4, 51, 5, 1, 42, 10, 34, 9, 35
7	900-930	02	48, 36
8	>930	02	33, 55

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## 2.9 वार्ड वार शिशु जनसंख्या

ग्वालियर नगर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 1 में 14 प्रतिशत से अधिक तथा वार्ड क्र. 32 में शिशु जनसंख्या 8 प्रतिशत से कम प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 2-सा-9.

WARD WISE CHILD POPULATION			
क्र.	प्रतिशत	कुल वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	<08	01	32
2	08-09	08	24, 30, 58, 42, 43, 25, 50, 41
3	09-10	10	3, 34, 44, 47, 45, 40, 22, 48, 31, 54
4	10-11	13	13, 46, 35, 27, 39, 53, 57, 11, 21, 12, 29, 36, 17
5	11-12	11	49, 33, 19, 10, 16, 26, 9, 18, 52, 51, 14
6	12-13	09	56, 6, 59, 20, 28, 7, 2, 5, 4
7	13-14	07	60, 38, 23, 15, 55, 8, 37
8	>14	01	1

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

**2.10 वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या प्रतिशत**

ग्वालियर नगर में अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18.68 प्रतिशत है। उक्त जनसंख्या सम्पूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक 16, 23, एवं 28 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है एवं वार्ड क्र. 42, 43 एवं 50 में यह जनसंख्या 5 प्रतिशत से भी कम है। अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है।


## अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या प्रतिशत


सारणी 2-सा-10.


क्र.	जनसंख्या प्रतिशत	वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	<05	03	50, 43, 42
2	05-20	37	41, 55, 3, 44, 10, 25, 30, 29, 58, 54, 8, 19, 27, 18, 51, 45, 52, 59, 48, 49, 47, 6, 13, 2, 46, 57, 15, 24, 5, 34, 26, 32, 1, 7, 38, 4, 14
3	20-40	17	33, 56, 20, 12, 35, 53, 31, 40, 39, 17, 21, 9, 36, 60, 11, 37, 22
4	40-60	02	16, 28
5	>60	01	23

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011









## 2.11 वार्ड वार साक्षरता प्रतिशत

ग्वालियर नगर क्षेत्र में साक्षरता दर 74.74 प्रतिशत है। शहर के वार्ड क्रमांक 1 में साक्षरता दर 60 से कम एवं वार्ड क्रमांक 24, 30, 42, 43, 50 एवं 58 में साक्षरता दर 85 प्रतिशत से अधिक पाई गई। साक्षरता दर निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है।

### साक्षरता प्रतिशत

सारणी 2-सा-11.

क्र.	प्रतिशत	कुल वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	<60	01	1
2	60-65	02	37, 55
3	65-70	08	6, 23, 2, 38, 59, 60, 14, 28
4	70-75	16	4, 33, 36, 15, 56, 5, 8, 10, 52, 51, 9, 7, 11, 39, 20, 35
5	75-80	19	49, 16, 57, 53, 26, 29, 19, 21, 17, 34, 18, 46, 48, 3, 12, 47, 40, 31, 54
6	80-85	08	13, 27, 22, 32, 25, 41, 44, 45
7	>85	06	24, 58, 50, 30, 43, 42

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## 2.12 वार्ड वार कार्यशील जनसंख्या सहभागिता प्रतिशत

ग्वालियर नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न होकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सबसे अधिक कार्य सहभागिता प्रतिशत वार्ड क्रमांक 40 एवं 50 में 34 प्रतिशत से अधिक पाई गयी है। सबसे कम सहभागिता प्रतिशत वार्ड क्रमांक 15, 19 एवं 20 में 28 प्रतिशत से कम पाई गयी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर की व्यवसायिक संरचना निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## कार्यशील सहभागिता प्रतिशत 2011

सारणी 2-सा-12.

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	कुल वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	< 28	03	15, 19, 20
2	28 - 29	06	7, 10, 21, 23, 26, 28
3	29 - 30	08	5, 8, 17, 24, 25, 27, 29, 60
4	30 - 31	08	6, 12, 18, 22, 29, 31, 52, 56
5	31 - 32	07	32, 34, 38, 39, 45, 46, 57
6	32 - 33	17	1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 58
7	33 - 34	09	9, 16, 30, 33, 42, 47, 48, 49, 51
8	> 34	02	40, 50

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011


## 2.13 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व


ग्वालियर नगर क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः समतल, उपजाऊ भूमि क्षेत्र एवं नदी-नाले के कारण सामान्य है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व की जानकारी को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। जिसके अनुसार नगरपालिक निगम क्षेत्र में सम्मिलित सम्पूर्ण वार्डों के क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व का विवरण निम्नानुसार है :-

## आवासीय घनत्व- वार्डवार

सारणी 2-सा-13.

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011	आवासीय घनत्व प्रतिव्यक्ति प्रति हेक्टेयर
1	2	3	4	5
1.	गरगज वार्ड	1176.12	19913	16.93
2.	सिंधिया वार्ड	71.51	17133	239.59
3.	शब्दप्रताप आश्रम वार्ड	154.87	28009	180.85
4.	कोटेश्वर वार्ड	94.70	22760	240.34
5.	तामेश्वर वार्ड	813.07	26920	33.11
6.	मंगलेश्वर वार्ड	38.47	17055	443.33
7.	इंदिरा वार्ड	244.77	15456	63.14
8.	श्रमिक वार्ड	72.86	17107	234.79
9.	काशी नरेश वार्ड	36.20	16159	446.38
10.	शहीद भानूस्वरूप दुबे वार्ड	40.53	14625	360.84





## ग्वालियर विकास योजना | 2035

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011	आवासीय घनत्व प्रतिव्यक्ति प्रति हेक्टेयर
1	2	3	4	5
11.	चंद्रशेखर वार्ड	32.78	15534	473.89
12.	सुभाष वार्ड	57.51	15616	271.54
13.	संगीत सम्राट तानसेन वार्ड	38.43	14921	388.26
14.	सेवा नगर वार्ड	62.80	16932	269.62
15.	माधवी वार्ड	96.60	17820	184.47
16.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	66.08	13329	201.71
17.	छत्रपति शिवाजी वार्ड	116.58	16115	138.23
18.	तिलक वार्ड	1914.91	39833	20.80
19.	महाराणा प्रताप वार्ड	284.49	25459	89.49
20.	डॉ. हरीराम चंद्र देवकर वार्ड	201.72	28655	142.05
21.	पंचशील वार्ड	522.34	24070	46.08
22.	कबीर वार्ड	230.26	19621	85.21
23.	द्वारिकाधीश वार्ड	55.40	20730	374.19
24.	स्वामी दयानन्द वार्ड	56.77	10511	185.15
25.	शहीद भगत सिंह वार्ड	106.13	17857	168.26
26.	डॉ. हरीहर निवास द्विवेदी वार्ड	66.38	16265	245.03
27.	श्यामलाल पाण्डवी वार्ड	41.11	15167	368.94
28.	शांति निकेतन वार्ड	61.80	22701	367.33
29.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	229.92	24128	104.94
30.	कैप्टन रूप सिंह वार्ड	257.40	18110	70.36
31.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	49.05	13386	272.91
32.	वीरांगना बाई वार्ड	89.67	16650	185.68
33.	रविदास नगर वार्ड	23.96	30555	1275.25
34.	महात्मा गांधी वार्ड	22.30	12520	561.43
35.	लाला लाजपत राय वार्ड	47.82	18421	385.22
36.	राजीव नगर वार्ड	36.05	13561	376.17
37.	उस्ताद हाफिज अली वार्ड	66.67	24970	374.53
38.	अम्बेडकर वार्ड	202.45	27498	135.83
39.	तात्याटोप वार्ड	27.68	14715	531.61
40.	महाराज डोली बुआ मठ वार्ड	18.12	9257	510.87
41.	हेमाकलोनी वार्ड	33.69	11751	348.80
42.	संत झूलेलाल वार्ड	20.42	9669	473.51
43.	शहीद अमरचंद्र बठिया वार्ड	31.15	12319	395.47
44.	मैथलीशरण गुप्त वार्ड	33.17	11229	338.53
45.	अचलेश्वर वार्ड	52.93	12962	244.89
46.	भीकमचंद्र जैन वार्ड	25.07	11486	458.16
47.	पं. कृष्णराव शंकरराव वार्ड	21.00	11940	568.57
48.	कैप्टन गौर वार्ड	44.06	14519	329.53
49.	महात्मा ज्योतिबा फूले वार्ड	82.00	17322	211.24
50.	मसूर शाह दत्ता वार्ड	30.23	11232	371.55

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम	वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011	आवासीय घनत्व प्रतिव्यक्ति प्रति हेक्टेयर
1	2	3	4	5
51.	अशफाकउल्ला वार्ड	47.06	16167	343.54
52.	जगजीवन वार्ड	379.43	26342	69.43
53.	मेजर करतार सिंह वार्ड	58.39	14297	244.85
54.	जवाहर वार्ड	90.90	12512	137.65
55.	मकबूल अहमद वार्ड	319.09	23385	73.29
56.	लोहिया वार्ड	254.99	21159	82.98
57.	संजय गांधी वार्ड	100.88	12546	124.37
58.	महादजी सिंधिया वार्ड	358.70	14979	41.76
59.	हरीसिंह दर्शन वार्ड	1419.63	9138	6.44
60.	पं. रविशंकर वार्ड	1725.95	24278	14.07
<b>योग</b>		<b>12955.02</b>	<b>1069276</b>	<b>82.53</b>

स्रोत:— नगर पालिक निगम ग्वालियर


उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के अध्ययन से स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी के घनत्व में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 33 में जनसंख्या घनत्व 1275.25 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जबकि वार्ड क्रमांक 59 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 6.44 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

## वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 2—सा—14.

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	कुल वार्डों की संख्या	वार्ड क्रमांक
1	2	3	4
1	<100	08	18, 60, 58, 21, 5, 30, 1, 22
2	100-200	16	7, 29, 19, 57, 52, 54, 17, 55, 20, 25, 38, 3, 15, 24, 32, 56
3	200-300	12	16, 8, 2, 4, 53, 45, 26, 59, 49, 14, 12, 31
4	300-400	13	48, 44, 51, 41, 10, 28, 27, 50, 23, 36, 35, 13, 43
5	400-500	06	37, 6, 9, 46, 42, 11
6	500-600	04	40, 39, 34, 47
7	>600	01	33

स्रोत:— भारत की जनगणना 2011



## 2.14 नगर जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न-भिन्न कारणों से होता है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है।

### जनसंख्या परिवर्तन (नगर निगम क्षेत्र)


सारणी 2-सा-15.

क्र.	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर (Decadal Growth Rate)
1	2	3	4
1	1951	2.38	32.30
2	1961	2.98	25.21
3	1971	4.01	34.56
4	1981	5.39	34.41
5	1991	6.90	28.01
6	2001	8.27	19.85
7	2011	10.69	29.26

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ग्वालियर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर में 1971 से 2001 तक गिरावट दर्ज की गई, जबकि 2001 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि पाई गई।

चित्र 4. दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर



**2.15 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या**

ग्वालियर निवेश क्षेत्र में ग्वालियर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अलावा लगे हुए 22 ग्रामों को शामिल किया गया है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 में निम्नानुसार थी।

**निवेश क्षेत्र जनसंख्या (2011)**

सारणी 2-सा-16.

वर्ष	जनसंख्या		योग
	नगर पालिक निगम क्षेत्र की जनसंख्या	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या	निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या
1	2	3	4
2011	1069276	179328	1248604

ग्वालियर नगर पालिक क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2041 के लिए जनसंख्या का अनुमान विभिन्न गणितीय पद्धति से किया गया है, जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

**जनसंख्या अनुमानित पद्धति**

सारणी 2-सा-17.

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2041
1	2	3	4	5
1.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	1425000	1596000	1770000
2.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	1606860	2057534	2636607
3.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Progression Method)	1471280	1688560	2047680
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Progression Method)	1644998	2156567	2829403

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्ष 2031 एवं वर्ष 2041 के मध्य आंकलित जनसंख्या वृद्धि के मान से, वर्ष 2035 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है:-

**विकास योजना 2035- अनुमानित जनसंख्या**

सारणी 2-सा-18.


क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	1666000
2.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	2272731
3.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Progression Method)	1834822
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Progression Method)	2404634

## ग्वालियर विकास योजना 2035

ग्वालियर नगर की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 2404634 अनुमानित की गई है जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 1666000 अनुमानित की गई है।

सामान्यतः जनसंख्या अनुमान अंगीकरण हेतु उपरोक्त पद्धतियों में से वृद्धिशील पद्धति का उपयोग किया जाता है। पूर्ववर्ती वर्षों की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण एवं उनके अध्ययन से जनसंख्या अनुमान लगभग 18.50 लाख आता है। ग्वालियर नगर में विगत दशक में शैक्षणिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आई.टी. सेक्टर के लिये आसपास के छोटे कस्बों तथा ग्रामों से आब्रजन (Migration) परिलक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर में पर्यटन एवं क्षेत्रीय शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिये अस्थिर जनसंख्या (Floating Population) को दृष्टिगत रखते हुये ग्वालियर विकास योजना 2035 के लिये निवेश क्षेत्र हेतु जनसंख्या **23.00 लाख** अनुमानित की गई है।

चित्र 5. जनसंख्या आंकलन



स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश

## 2.16 गंदी बस्तियाँ

ग्वालियर में नगर पालिक निगम द्वारा अधिसूचित 243 गंदी बस्तियों के 64072 आवासों में 229644 जनसंख्या निवासरत है। नगर पालिक निगम द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूल-भूत सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया गया है, इनमें से कुछ बस्तियाँ जलग्रहण क्षेत्रों में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत भी विकसित हुई हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

- भवन निर्माण उपविधि में संशोधन एवं परिक्षेत्रक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय-सीमा में उसी वर्ग के लिए विकास।
- गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
- जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीनस्थल पर पुनर्स्थापना करना।

## 2.17 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता के लिए प्राकृतिक घटकों का परस्पर महत्व एवं संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक घटकों का विवरण एवं विश्लेषण परिणाम के साथ प्रस्तुत है।

### 2.17.1 वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र

ग्वालियर शहर का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित इकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है। उपरोक्त सारणी में दर्शित भूमि उपयोग डिजीटल विश्लेषण तकनीकी एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है—



## वर्तमान भूमि उपयोग क्षेत्रफल (वर्ष 2020)

सारणी 2-सा-19.

क्र.	भूमि उपयोग	विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		भूमि उपयोग यू.आर.डी.पी.एफ. आई. मार्गदर्शिका अनुसार
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1	आवासीय	4887.98	51.39	36-38
2	वाणिज्यिक	477.21	5.01	5-6
3	औद्योगिक	335.18	3.52	7-8
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1748.34	18.38	10-12
5	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधायें	109.84	1.15	-
6	आमोद-प्रमोद	252.61	2.66	14-16
7	यातायात एवं परिवहन	1699.41	17.87	12-14
	<b>योग (अ)</b>	<b>9510.57</b>	<b>100.00</b>	
8	कृषि भूमि	30134.67	56.41	Balance
9	वन क्षेत्र	13172.59	24.66	--/--
10	जलाशय	602.74	01.13	--/--
	<b>योग (ब)</b>	<b>43910.00</b>		
	<b>योग (अ) + (ब)</b>	<b>53420.57</b>		

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश

## 2.17.2 भू-संरचना विज्ञान (GEOMORPHOLOGY) उपखण्ड

ग्वालियर निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। निवेश क्षेत्र को पेडीप्लेन तथा शेष भाग विच्छेदित पहाड़ियां व संरचनात्मक घाटी में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गयी है।

## भू-संरचना विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-20.

क्र.	GEOMORPHOLOGY	Area (Hectare)
1	2	3
1.	Alluvial Plain	38074.91
2.	Pediment	1473.87
3.	Valley	155.44
4.	Residual Hill	14.46
5.	Butte	160.71
6.	Mesa	258.86
7.	Cuesta	404.63
8.	Homocline	317.94
9.	Highly Dissected Hills and Valleys	11546.36
10.	Moderately Dissected Hills and Valleys	359.40
11.	Active Query	217.82
12.	Waterbody	436.17
	<b>Total</b>	<b>53420.57</b>

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.17.3 मिट्टी की जानकारी

ग्वालियर निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी MPCST (Madhya Pradesh Council of Science & Technology) भोपाल के आधार पर अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है। इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है।

#### मिट्टी की संरचना

सारणी 2-सा-21.

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	Loamy Skeletal	11143.56
2.	Laomy	4380.45
3.	Fine Loamy	14663.23
4.	Fine	18821.98
5.	Fine Silty	3975.18
6.	Waterbody	436.17
	<b>Total</b>	<b>53420.57</b>

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.17.4 ढलान


ग्वालियर निवेश क्षेत्र में, ऊंचाई के आधार पर निर्धारित ढलान की विशेषताएं दर्शाने वाला मानचित्र Contour एवं Carto-DEM के आधार पर तैयार किया गया है।

#### ढलान के विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल


सारणी 2-सा-22.

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	<1	27319.63
2.	1-3	12771.90
3.	3-5	4846.92
4.	5-10	6884.47
5.	10-15	1317.10
6.	<15	280.54
	<b>Total</b>	<b>53420.57</b>


स्रोत :- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण



**Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal**







### 2.17.5 भूकंप (आपदा) परिक्षेत्र

क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र, जिसमें फाल्ट तथा छोटे मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र, मिट्टी की स्थिति, भूगर्भीक फाल्ट्स का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। उक्त आधार पर निवेश क्षेत्र का भूकम्प सम्भावना युक्त क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है। जिसके अनुसार ग्वालियर नगर, जोन-2 के अंतर्गत भूकम्प की कम संभावना वाले क्षेत्रों में आता है।

### 2.17.6 जल स्रोत बफर

ग्वालियर निवेश क्षेत्र में मुख्यतः नदी, नहर तथा नाला सम्मिलित किये गये हैं। भू-जल संभावना एवं जल स्रोत बफर की जानकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गयी है।

#### जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-23.

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	15 M	437.18
2.	30 M	426.75
3.	45 M	416.26
4.	60 M	408.41

स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.17.7 भूमि अवक्रमण

ग्वालियर निवेश क्षेत्र अंतर्गत नाली, बीहड़ एवं खड्ड के रूप में मृदा अपरदित भूमि एवं बंजर पथरीली भूमि के होने से भूमि का अवक्रमण पाया गया।

#### भूमि अवक्रमण

सारणी 2-सा-24.

क्र.	भूमि अवक्रमण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	Saline Sodic - Moderate	662.17
2.	Saline Sodic - Slight	834.39
3.	Water erosion - Gullies	48.47
4.	Water erosion - Sheet - Moderate	4256.47
5.	Water erosion - Sheet - Severe	1687.48

स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.17.8 मार्ग संरचना

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु क्षेत्रीय एवं नगरीय दोनों मार्गों को सम्मिलित किया जाकर बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। जोन के अन्तर्गत मार्ग संरचना के बफर की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है।

#### मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-25.

क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	200 M	8665.45
2	500 M	10653.34
3	1000 M	11814.48

स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.17.9 रेलवे स्टेशन


ग्वालियर निवेश क्षेत्र में ग्वालियर जंक्शन, बिरला नगर, रायरू तथा सिथोली रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली-चैन्नई रेलवे लाइन पर स्थित है।


### 2.17.10 भूमि मूल्य


ग्वालियर निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत 66 वार्ड (छः वार्ड 2011 के बाद गठित) सम्मिलित हैं। भूमि मूल्य की गणना नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता के लिए की गई है। निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र एवं व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि के मूल्यों की श्रेणी को गणना के लिए लिया गया है।

### 2.18 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प


ग्वालियर निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि सीमित होने के कारण नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्पों का विश्लेषण कर उपयुक्त विकल्प प्रस्तावित किया गया है।




















## Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-1]

सारणी 2-सा-26.

Landuse, Geomorphology and Slope Given More Weightages

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1.	LANDUSE	18	Vacant Land	9
2.			Waste Land	8
3.			Agriculture	7
1.	GEOMORPHOLOGY	18	Fluori - Older Alluvial Plain	9
2.			Pediment	7
3.			Residual Hill	3
4.			Homocline	2
5.			Mesa	2
6.			Butte	1
7.			Cuesta	1
8.			Active Query	1
9.			Strori - Highly Dissected Hills and Valleys	1
10.			Strori - Moderately Dissected Hills and Valleys	1
11.			Valley	1
1.	GROUND WATER PROSPECTS	8	Very Good	9
2.			Good	7
3.			Moderate	5
4.			Poor	3
1.	SOIL TEXTURE	8	Loamy Skeletal	9
2.			Loamy	8
3.			Fine Loamy	7
4.			Fine	6
5.			Fine Silty	5
1.	ROAD BUFFER	10	200 m	9
2.			500 m	7
3.			1000 m	5
1.	WATERBODIES BUFFER	10	>60 m	9
2.			60 m	8
3.			45 m	6
4.			30 m	3
5.			15 m	2
1.	SLOPE	18	0-1 %	9
2.			1-3 %	8
3.			3-5 %	5
4.			5-10 %	2
5.			10-15%	1
6.			15-35%	1
1.	LAND VALUE	10	<18000	9
2.			18000-20000	8
3.			20000-40000	6
4.			40000-60000	5

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-2]

सारणी 2-सा-27.

Landuse, Road Buffer, Waterbody Buffer and Slope Given More Weightages

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1.	LANDUSE	15	Vacant Land	9
2.			Waste Land	8
3.			Agriculture	7
1.	GEOMORPHOLOGY	10	Fluori - Older Alluvial Plain	9
2.			Pediment	7
3.			Residual Hill	3
4.			Homocline	2
5.			Mesa	2
6.			Butte	1
7.			Cuesta	1
8.			Active Query	1
9.			Strori - Highly Dissected Hills and Valleys	1
10.			Strori - Moderately Dissected Hills and Valleys	1
11.			Valley	1
1.	GROUND WATER PROSPECTS	10	Very Good	9
2.			Good	7
3.			Moderate	5
4.			Poor	3
1.	SOIL TEXTURE	10	Loamy Skeletal	9
2.			Loamy	8
3.			Fine Loamy	7
4.			Fine	6
5.			Fine Silty	5
1.	ROAD BUFFER	15	200 m	9
2.			500 m	7
3.			1000 m	5
1.	WATERBODIES BUFFER	15	>60 m	9
2.			60 m	8
3.			45 m	6
4.			30 m	3
5.			15 m	2
1.	SLOPE	15	0-1 %	9
2.			1-3 %	8
3.			3-5 %	5
4.			5-10 %	2
5.			10-15%	1
6.			15-35%	1
1.	LAND VALUE	10	<18000	9
2.			18000-20000	8
3.			20000-40000	6
4.			40000-60000	5

## Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-3]

सारणी 2-सा-28.

Equal to all Layers

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1.	LANDUSE	14	Vacant Land	9
2.			Waste Land	8
3.			Agriculture	7
1.	GEOMORPHOLOGY	12	Fluori - Older Alluvial Plain	9
2.			Pediment	7
3.			Residual Hill	3
4.			Homocline	2
5.			Mesa	2
6.			Butte	1
7.			Cuesta	1
8.			Active Query	1
9.			Strori - Highly Dissected Hills and Valleys	1
10.			Strori - Moderately Dissected Hills and Valleys	1
11.			Valley	1
1.	GROUND WATER PROSPECTS	12	Very Good	9
2.			Good	7
3.			Moderate	5
4.			Poor	3
1.	SOIL TEXTURE	12	Loamy Skeletal	9
2.			Loamy	8
3.			Fine Loamy	7
4.			Fine	6
5.			Fine Silty	5
1.	ROAD BUFFER	14	200 m	9
2.			500 m	7
3.			1000 m	5
1.	WATER BODIES BUFFER	12	>60 m	9
2.			60 m	8
3.			45 m	6
4.			30 m	3
5.			15 m	2
1.	SLOPE	12	0-1 %	9
2.			1-3 %	8
3.			3-5 %	5
4.			5-10 %	2
5.			10-15%	1
6.			15-35%	1
1.	LAND VALUE	12	<18000	9
2.			18000-20000	8
3.			20000-40000	6
4.			40000-60000	5

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश

टीप:- विकल्प 2 (एल.एस.आर.डब्ल्यू) : भूमि उपयोग, ढलान, जलाशय बफर एवं मार्ग बफर को मूल्यांकन में वरीयता प्रदान की गई है।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई है, जो 8 मानचित्रों के एकीकरण का परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई उपयुक्त पॉलीगॉन निर्मित हुए हैं। उक्त पॉलीगॉन के संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल, संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर, एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर की गई है। सी.एस.आई. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात की सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में न्यूनतम या अधिकतम है।

सी.एस.आई. मूल्यांकन का अधिक होना, नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घोटक है, जबकि कम सी.एस.आई. मूल्यांकन की नगर विकास हेतु कम वरीयता परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता होगी। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता, तीन श्रेणी में विभाजित है।

## Land Suitability Area |Model-1|

सारणी 2-सा-29.


S.NO.	CLASS	AREA (ha)	Percentage
1.	HIGHLY SUITABLE	18193.08	34.06 %
2.	MODERTLY SUITABLE	8048.79	15.06 %
3.	NOT SUITABLE (Existing Built-up area + Forest)	27178.70	50.88 %
	<b>TOTAL</b>	<b>53420.57</b>	<b>100 %</b>

## Land Suitability Area |Model-2|

सारणी 2-सा-30.


S.NO.	CLASS	AREA (ha)	Percentage
1.	HIGHLY SUITABLE	15241.46	28.54 %
2.	MODERTLY SUITABLE	11000.41	20.59 %
3.	NOT SUITABLE (Existing Built-up area + Forest)	27178.70	50.87 %
	<b>TOTAL</b>	<b>53420.57</b>	<b>100 %</b>

<p><b>GWALIOR</b> Urban Land Suitability (Model-1)</p>
<p>Map No. 2.28</p>
<p><b>Legend</b></p>
<p><b>SUITABILITY</b> (Landuse, Geomorphology &amp; Slope given more weightage)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #4CAF50; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Highly Suitable (18193.08 ha)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFCDD2; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Moderately Suitable (6048.79 ha)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 2px solid red; margin-right: 5px;"></span> National Highway</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 2px solid black; margin-right: 5px;"></span> State Highway</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 2px solid gray; margin-right: 5px;"></span> Roads</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 2px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Railway Line (Broad Gauge)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 2px dashed gray; margin-right: 5px;"></span> Railway Line (Narrow Gauge)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #C8E6C9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Forest</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFF9C4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Builtup Area</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #B2EBF2; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Waterbody</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Planning Area Boundary</li> </ul>
<p>Scale 0 1 2 3 4 5 6 7 Km</p>
<p>District Gwalior Planning Area</p>
<p>Landuse &amp; Urban Survey Division Remote Sensing Application Centre, (IPRST, Bhopal)</p>
<p>Source: Database Layers</p>



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal





## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## Land Suitability Area | Model-3|

## सारणी 2-सा-31.

S.NO.	CLASS	AREA (ha)	Percentage
1.	HIGHLY SUITABLE	12939.17	24.22 %
2.	MODERTLY SUITABLE	13302.70	24.90 %
3.	NOT SUITABLE (Existing Built-up area + Forest)	27178.70	50.88 %
	<b>TOTAL</b>	<b>53420.57</b>	<b>100 %</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model-1, Model-2 एवं Model-3 तैयार किए जाकर ऊपर उल्लेखित सारणी में दर्शाया गया है।

उपरोक्त दिये गये मॉडलों में से Model-1 में HIGHLY SUITABLE एरिया का प्रतिशत सर्वाधिक प्राप्त होता है, जिस कारण ग्वालियर विकास योजना 2035 के लिये Model-1 का चयन किया गया है।

**अध्याय—3****प्रस्तावित परिवहन तंत्र एवं नगरीय अधोसंरचना**

महाराज बाड़ा

**3.1 यातायात संरचना**

विगत दशकों में वाहनों की बढ़ती संख्या से शहर के यातायात में वृद्धि हुई है, इसके परिणाम स्वरूप यातायात, परिवहन और पार्किंग संबंधी समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि सड़क दुर्घटनाओं, प्रदूषण और धीमी गति से चलने वाले यातायात और यातायात जाम के लिए उत्तरदायी है। ग्वालियर शहर प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय वाणिज्यिक केन्द्र के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन एवं राष्ट्रीय राजधानी के काउण्टर मैगनेट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के कारण आबादी को और अधिक आकर्षित करेगा, जिससे यातायात के नियोजन की आवश्यकता होगी।

शहर वायुमार्ग द्वारा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण

रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर सड़कों का इंटरसिटी और इंट्रासिटी नेटवर्क उपलब्ध है, तीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, NH-46 और NH-719 भी ग्वालियर से होकर गुजरते हैं।

परिवहन संरचना, शहर की मूल आवश्यकता का आधार होने से वाहन, जल-मल, अपशिष्ट, विद्युत, टेलीफोन आदि जन-सुविधाओं के संबंध का कार्य भी परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है।

नगरीय विकास/विस्तार के लिये प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, जिससे नगरीय आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है। कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है:-

- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।
- नगर के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना।
- नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना।
- नगर की बसाहटों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप संगठित मार्ग संरचना।

यातायात प्रणाली की कार्य-कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है-

- (1) अंतर्नगरीय यातायात      (2) नगरीय यातायात

### 3.2 अंतर्नगरीय यातायात

ग्वालियर से अंतर्नगरीय यातायात सड़क, रेल एवं वायुमार्ग द्वारा होता है, लेकिन सड़क यातायात ही मुख्यतः नगर की यातायात संरचना को प्रभावित करता है। सड़क यातायात के अध्ययन के लिए नगर वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा क्षेत्रीय यातायात का नगरीय मार्गों पर संचरण भी प्रभावित करता है।

### 3.2.1 वाहन वृद्धि

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), ग्वालियर से वाहनों की वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है, कि विगत वर्षों में दो पहिया वाहनों की वृद्धि अत्यधिक हुई है। वर्ष 2020 में पंजीकृत वाहन 66612 थे, जिनमें से 47353 दो पहिया वाहन हैं। यह कुल पंजीकृत वाहनो का 71 प्रतिशत है।

#### वाहन वृद्धि

सारणी 3-सा-1.

Year	Two Wheeler	Four Wheeler	Goods Vehicle	Trucks	Other Vehicle	Total	वृद्धि दर (%)
2016-17	34593	6168	1553	1209	889	44412	-
2017-18	41274	7636	1970	2008	1042	53930	(+) 21.43
2018-19	46331	9285	2551	2779	1268	62214	(+) 15.36
2019-20	47353	12044	2592	3279	1344	66612	(+) 7.07
2020-21	33824	10266	1536	813	2188	48627	(-) 27.00

स्रोत- जिला परिवहन कार्यालय ग्वालियर।

### 3.2.2 बाह्य क्षेत्र पर यातायात सर्वेक्षण एवं विश्लेषण

निवेश क्षेत्र में क्षेत्रीय यातायात आंकलन हेतु बाहरी घेरा (Outer Cordon) बिन्दु पर निम्नानुसार सर्वेक्षण किए गए:-

- वर्गीकृत यातायात गणना
- सड़क किनारे साक्षात्कार द्वारा मूल-गंतव्य सर्वेक्षण

वर्गीकृत यातायात गणना के प्रारूप में निर्दिष्ट समय अंतराल में सर्वेक्षण बिन्दु को पार करने वाले वर्ग द्वारा वाहनों की संख्या की गणना के लिए प्रावधान सहित सर्वेक्षण स्टेशन के स्थान एवं आवागमन की दिशा, वाहन का प्रकार, वाहनों की संख्या आदि सम्मिलित है।

मूल-गंतव्य सर्वेक्षण के प्रारूप में वाहन का प्रकार, मूल स्थान तथा गंतव्य स्थान, यात्रीयों की संख्या, यात्रा का उद्देश्य, आवृत्ति, माल की किस्म, यात्रा आदि को रिकार्ड करने के साथ सर्वेक्षण स्थल एवं आवागमन की दिशा एवं समय सम्मिलित किए गए।

**सर्वेक्षण स्थल—**

सर्वेक्षण का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के साथ बाहरी यातायात का आंकलन करना है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 44 पर निवेश क्षेत्र में आने एवं जाने के बिन्दु पर नमूना सर्वेक्षण के लिए निम्न स्थान चयनित किया गया।

NH 44	ग्वालियर निरावली चौक के पास (रायरू)	ओ.सी. (25.02.2015) (OC- Outer Cordon)
-------	-------------------------------------	--

सड़क किनारे मूल-गंतव्य सर्वेक्षण हेतु पुलिस की सहायता से वाहनों को रोककर सर्वेक्षण नमूना आधार पर किए जाकर गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है।

**माल एवं यात्री वाहन—**

बाहरी घेरा बिन्दुओं पर किए गए सर्वेक्षण में व्यक्तिगत वाहन, बस यात्री वाहन तथा माल वाहनों के यातायात का नमूना निम्नानुसार पाया गया।

स्थान	व्यक्तिगत वाहन	माल	बस
रायरू- निरावली	7%	37%	86%

स्रोत:- साडा काउण्टर मैगनेट का सर्वेक्षण

**यातायात प्रवाह:-**

एक सामान्य कार्य दिवस में किए गए नमूना सर्वेक्षण में लगभग 75,100 वाहनों द्वारा क्षेत्र में प्रवेश किया गया तथा 74,300 वाहन क्षेत्र से बाहर की ओर गए। बाहरी घेरा बिन्दु पर कुल यातायात प्रवाह निम्नानुसार पाया गया।

स्थान	वाहन	पी.सी.यू	पी.सी.यू / मात्रा
OC	24250	34109	1.41

स्रोत:- साडा काउण्टर मैगनेट का सर्वेक्षण

(PCU- Passenger Car Unit)

यातायात प्रवाह के विश्लेषण में पाया गया कि क्षेत्रीय यातायात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का प्रवाह 72% है। विभिन्न दिशाओं में यातायात प्रवाह के विभाजन की स्थिति निम्नानुसार है—

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

दिशा	निवेश क्षेत्र की ओर		निवेश क्षेत्र से बाहर की ओर		कुल यातायात	
	वाहन	पी.सी.यू.	वाहन	पी.सी.यू.	वाहन	पी.सी.यू.
उत्तर	10155	13723	14025	20386	24250	34109
दक्षिण	6327	10068	5088	7425	11415	17493

स्रोत:- साडा काउण्टर मैगनेट का सर्वेक्षण

उपरोक्त स्थिति से ज्ञात होता है कि NH-44 पर आगरा की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या बम्बई की ओर जाने वाले वाहनों से लगभग आधी है।

## यातायात संयोजन:-

सामान्य कार्य दिवस में बाहरी घेरा बिंदुओं पर वाहनों का प्रतिशत संयोजन निम्नानुसार पाया गया।

क्र.	वाहनों का प्रकार	OC
1	Trucks	23%
2	Buses	3%
3	Light Vehicles/Mini Buses	13%
4	Car/Jeep	24%
5	Tractors	1%
6	Two Wheelers	32%
7	Other	4%
योग		100%

स्रोत:- साडा काउण्टर मैगनेट का सर्वेक्षण

प्रातः एवं अपरान्ह में व्यस्ततम समय में यातायात की स्थिति निम्नानुसार पाई गई।

स्थान	प्रातः			अपरान्ह		
	व्यस्त समय	वाहन	पी.सी.यू.	व्यस्त समय	वाहन	पी.सी.यू.
OC	10 से 11	1569	1935	4 से 5	1408	1696

स्रोत:- साडा काउण्टर मैगनेट का सर्वेक्षण

यात्रा करने की आवृत्ति के अनुसार बाहरी घेरे पर यात्री वाहनों (बसों को छोड़कर) में दैनिक यात्राये 49%, साप्ताहिक 17% एवं सामयिक 34% पाई गई। यात्री वाहनों में निवेश क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन 37%, बाहर जाने वाले 43% एवं निवेश क्षेत्र में रुके बिना सीधे जाने वाले निजी यात्री वाहन 20% पाए गए। जबकि माल वाहनों

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

के आवागमन यात्री वाहनों से विपरीत रहा माल वाहनों में से निवेश क्षेत्र की सीमा में 10% वाहनो का आना रहा, सीमा से बाहर जाने वाले वाहन 11% तथा सीमा मे रूके बिना सीधे जाने वाले वाहनों 79% पाया गया।

क्षेत्रीय यातायात के महत्वपूर्ण जंक्शनों पर किए गए व्यस्ततम समय के यातायात की स्थिति निम्नानुसार पाई गई।

नाम	जंक्शन का प्रकार	सर्वेक्षण अवधि	कुल वाहन	PCU	व्यस्ततम समय में PCU	
					प्रातः 10 से 11	शाम 6 से 7
निरावली चौक	तिराहा	12 घंटे	19556	25942	2434	2221

स्रोत:- साडा काउण्टर मैग्नेट का सर्वेक्षण

अति व्यस्ततम समय में चौराहे पर यातायात चौराहे की क्षमता से अधिक होने के कारण फलाई ओवर आवश्यक है।

### 3.3 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात मुख्यतः मार्ग संगमों पर यातायात अवरोध तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में वाहन पार्किंग की उपलब्धता से प्रभावित होता है। मार्ग संगमों एवं पार्किंग स्थलो के अध्ययन का विश्लेषण निम्नानुसार है।

#### 3.3.1 मार्ग संगमों पर यातायात

नगर के विभिन्न तिराहों एवं चौराहों पर यातायात संबंधी अध्ययन से पता चलता है कि सड़क की ज्यामिति में सुधार एवं यातायात प्रबंधन से मार्ग संगमों पर यातायात के प्रवाह को सुचारु किया जा सकता है। यातायात संगमों पर किए गए अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है—

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## मार्ग संगमों पर यातायात

## सारणी 3-सा-2.

क्र.	मार्ग संगम का नाम एवं संगम पर एकजीकरण मार्गों के नाम	बाया यातायात (प्रतिशत में)	दाया यातायात (प्रतिशत में)	सीधा यातायात (प्रतिशत में)	मार्ग संगम पर बायें यातायात का औसत (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1	उपकुलपति चौराहा -सिटी सेंटर मार्ग -कलेक्ट्रेट -डी.बी. सिटी -गोविन्दपुरी	40.43 35.80 22.02 32.54	27.13 24.69 35.12 28.99	32.45 39.51 42.86 38.46	32.63
2	माधव नगर चौराहा -सिटी सेंटर -माधव नगर -साईंस कॉलेज -हरीशंकरपुरम	00.00 46.15 05.93 34.11	13.29 53.85 00.00 55.04	86.71 00.00 94.07 10.85	21.54
3	7 नम्बर चौराहा -गोला का मंदिर -मुरार -6 नम्बर चौराहा -सी.पी. कॉलोनी	9.40 63.11 38.07 30.19	42.95 30.87 7.39 38.68	47.65 6.01 54.55 31.13	35.19
4	गोले का मंदिर चौराहा -कालपी ब्रिज -डी.डी. नगर -सिमको -स्टेशन	30.69 32.36 27.18 26.01	27.08 22.81 32.05 29.04	42.24 44.83 40.77 44.95	29.06
5	चेतकपुरी तिराहा -चेतकपुरी कॉलोनी -जीवाजी क्लब -साईंस कॉलेज	29.89 6.21 75.51	22.99 23.29 4.08	47.13 70.50 20.41	37.20
6	नदी गेट तिराहा -इंदरगंज -ऊषा किरन पैलेस होटल -फूलबाग	0.00 58.09 37.70	30.79 41.91 00.00	69.21 00.00 62.40	31.93
7	थाटीपुर तिराहा -गोविन्दपुरी -हॉस्पिटल -मुरार	00.00 36.23 15.93	14.15 63.77 00.00	85.85 00.00 84.10	17.38
8	कालपी रोड तिराहा -गोला का मंदिर -इंद्रमणी नगर -7 नम्बर चौराहा	00.00 54.01 26.10	27.62 45.99 00.00	72.38 00.00 73.90	26.70

## ग्वालियर विकास योजना 2035

9	बस स्टैण्ड तिराहा				
	-पडाव	00.00	31.87	68.13	
	-आकाशवाणी	52.43	47.57	00.00	29.12
	-गोले का मंदिर	34.93	00.00	65.07	
10	आकाशवाणी तिराहा				
	-पडाव	00.00	36.45	63.55	
	-स्टेशन	48.29	51.71	00.00	28.07
	-मेला मैदान	35.92	00.00	64.08	

स्रोत:- स्मार्ट सिटी का सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बायी ओर जाने वाला यातायात, चौराहों एवं तिराहों पर कुल यातायात का 17 से 37 प्रतिशत तक है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि तिराहो एवं चौराहो की ज्यामितीय में सुधार एवं वाहनो के यातायात प्रबंधन द्वारा तिराहे एवं चौराहों पर यातायात के दबाव को लगभग 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

### 3.3.2 पार्किंग परिदृश्य

प्रस्तावित और वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था के साथ पार्किंग मैनेजमेंट प्लान और पार्किंग की उपलब्धता को भी नियोजित करने की आवश्यकता है। चयनित सड़क खंडों पर पार्किंग वाहनों को प्रतिबंधित करने की भी आवश्यकता है। पार्किंग व्यवस्था को सुनियोजित किये जाने हेतु वाणिज्यिक केंद्रों पर, नगर में सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल में पहचान किए गए पार्किंग सर्वेक्षण के साथ पार्क किए गए प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की संख्या नोट की गई है।

शहर में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) है, लेकिन यह बहुत कुशल नहीं होकर, Inter Mediate Public Transport पर आधारित है। इस कारण जन-समुदाय निजी वाहनों से यात्रा करना पसंद करते हैं। निजी वाहनों के विकास को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार की आवश्यकता है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग, जेब्रा क्रॉसिंग आदि की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यातायात विषम समस्याओं के लिए जिम्मेदार है और सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से पुराने ग्वालियर में सड़क पर पार्किंग, ट्रैफिक जंक्शन, सड़क चौड़ीकरण, भारी वाहनों के टर्मिनल, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस और ओवर ब्रिज जैसी सुविधाओं के प्रावधान और विस्तार की आवश्यकता है।

उक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर के प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थानों की कमी है। सभी मार्केटप्लेस में मल्टी-लेवल पार्किंग के विकास की पहल करना आवश्यक है।

### पार्किंग की आवश्यकता

सारणी 3-सा-3.

S. No.	Parking location	Parking Demand (in ECS)	Parking Availability (in ECS)	Parking Availability (in % age)
1	कटोरा ताल	150	50	33.3
2	बाडा	400	190	47.5
3	एम.एल.बी. कॉलेज	180	50	0.3
4	जयेन्द्रगंज	200	76	38.0
5	सिटी सेंटर	360	260	72.2

स्रोत:-- नगर निगम ग्वालियर।

(ECS- Equivalent Car Space)

### 3.3.3 सार्वजनिक पार्किंग

पार्किंग कमी की पूर्ति हेतु ग्वालियर नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल की पहचान की जाकर 26 स्थानों को सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र हेतु चिह्नित किया गया है।

### 3.4 परिभ्रमण संरचना

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनों ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र जैसे संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कृषि उपज मण्डी, यातायात नगर, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक केन्द्र से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है:—

- नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास।

- मुख्य मार्ग केन्द्रों जैसे यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गों का विकास।
- विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास।
- समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल।
- नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ़ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।

### 3.4.1 मार्गों का श्रेणी क्रम

#### (क) क्षेत्रीय मार्ग

निवेश क्षेत्र से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44, 46 एवं 719 के साथ जिला एवं राज्य मार्ग इनके द्वारा नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क स्थापित होता है।

#### (ब) बायपास मार्ग

निवेश क्षेत्र के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु नगर के पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में बायपास निर्मित है, तथा पश्चिमी भाग में भी साडा क्षेत्र से बायपास मार्ग का विकास प्रस्तावित किया गया है, जिसकी चौड़ाई 80 मीटर प्रस्तावित की गई है। पश्चिमी बायपास मार्ग के निर्माण से नगर के चारों ओर रिंग के अंदर विकास हो सकेगा। नगर के प्रमुख भागों से बायपास मार्ग तक लिंग मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं।

#### (स) प्रमुख नगर मार्ग

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षण संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र इन्हीं मार्गों पर स्थित होने से इन मार्गों की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौड़ाई 40-60 मीटर प्रस्तावित की गई है।

#### (द) वृत्त खण्ड मार्ग

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये हैं, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करेंगे, इनकी चौड़ाई 30-36 मीटर प्रस्तावित की गई है।

**(इ) उपवृत्त खण्ड मार्ग**

इन मार्गों द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेंगी तथा इन मार्गों को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गों से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों की चौड़ाई 24 मीटर प्रस्तावित की गई है।

**(फ) स्थानीय मार्ग**

यह मार्ग मुख्यतः आवासीय खण्डों में परिभ्रमण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तावित है, इन मार्गों के किनारे फुटपाथ, भूमिगत मल निकास एवं विद्युत प्रदाय हेतु लाईन का प्रावधान होता है। इनकी चौड़ाई 18 मीटर प्रस्तावित की गई है।

**3.5 मार्गों की चौड़ाई**

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है, निम्न सारणी में नगर के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय एवं नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निर्धारित की गई है।

**वर्तमान मार्गों की चौड़ाई**

सारणी 3-सा-4.

क्र.	मार्ग का नाम	वि.यो. 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	लम्बाई (मीटर)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	उत्तर-दक्षिण कोरीडोर बायपास (NH 44)	80	46820	4 लेन निर्मित
2	ग्वालियर-वैतूल मार्ग (NH 46)	80	12340	4 लेन निर्मित
3	ग्वालियर-इटावा मार्ग (NH 719)	60	8536	गोले के मंदिर से एयरफोर्स स्टेशन तक 4 लेन निर्मित एवं शेष भाग 2 लेन निर्मित
4	आगरा-मुम्बई मार्ग (पुराना) i. गोल पहाडिया से बहोडापुर ii. शेष भाग	40	3492	2 लेन निर्मित
		60	24673	4 लेन निर्मित
5	झौंसी मार्ग i. फारेस्ट नर्सरी से रेलवे स्टेशन ii. शेष भाग	40	5432	4 लेन निर्मित
		60	7836	4 लेन निर्मित
6	शिवपुरी लिंक मार्ग	60	7954	4 लेन निर्मित

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वि.यो. 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	लम्बाई (मीटर)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
7	विश्वविद्यालय मार्ग i. गांधी रोड से डोंगरपुर तक ii. डोंगरपुर से बायपास	40 60	4674 2110	4 लेन निर्मित 4 लेन निर्मित
8	तिगरा मार्ग	60	5856	4 लेन निर्मित एवं क्षतिग्रस्त
9	मिलिटरी हॉस्पिटल	40	916	4 लेन निर्मित
10	बेहट मार्ग	60	5577	4 लेन निर्मित
11	गांधी रोड	40	4310	4 लेन निर्मित
12	रेसीडेंसी मार्ग	40	1708	4 लेन निर्मित
13	रेस कोर्स मार्ग	60	3333	4 लेन निर्मित
14	एम.एल.बी. मार्ग	40	1473	4 लेन निर्मित
15	सुसेरा मार्ग	60	9960	सागर ताल से AB लिंक रोड तक 4 लेन शेष भाग 1 लेन
16	मोती झील से तिगरा मार्ग (बायपास)	60	6806	6 लेन निर्मित
17	माधवराव सिंधिया मार्ग	40	2053	4 लेन निर्मित
18	चेतकपुरी चौराहे से ए.जी. ऑफिस मार्ग तक	24	129	3 लेन निर्मित
19	फूलबाग से सेवानगर	30	1704	खेडापति कालोनी तक 4 लेन शेष भाग 2 लेन निर्मित
20	सेवा नगर से किला गेट	18	753	2 लेन निर्मित
21	हजीरा से पडाव	30	2614	4 लेन निर्मित
22	न्यू हाईकोर्ट मार्ग	30	831	4 लेन निर्मित
23	हजीरा से सागरताल ए.बी. रोड	30	4211	4 लेन निर्मित
24	चार शहर का नाका से AB लिंक मार्ग	30	1206	4 लेन निर्मित
25	पडाव न्यू ओवर ब्रिज से मोतीमहल-नदी गेट	30	2338	4 लेन/2 लेन निर्मित
26	जयेन्द्रगंज-शिंदे की छावनी-रोटरी पार्क तक	30	514	4 लेन/2 लेन निर्मित
27	कम्पू- चंद्रवदनी नाका मार्ग	30	1864	2 लेन निर्मित
28	जिन्सी नाला (1, 2 एवं 3)	30	2474	4 लेन निर्मित
29	रामदास घाटी से बहोडापुर	30	1924	4 लेन निर्मित
30	रामदास घाटी से कोटेश्वर	30	2267	4 लेन निर्मित
31	लीला फाटक मार्ग	30	1386	4 लेन निर्मित
32	बहोडापुर-आनंद नगर से सागर ताल	30	1728	4 लेन निर्मित
33	रेयान तिराहे से चार शहर का नाका	30	1122	4 लेन निर्मित
34	राजपायगा मार्ग	30	859	4 लेन निर्मित
35	बारादरी से हुरावली तिराहा, सिंगपुर	40	4147	4 लेन निर्मित
36	विश्वविद्यालय- हुरावली बायपास	40	4767	4 लेन निर्मित
37	पिंटो पार्क मार्ग	40	2385	4 लेन निर्मित

## ग्वालियर विकास योजना 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वि.यो. 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	लम्बाई (मीटर)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
38	6 नंबर से सदर बाजार- बारादरी तक	30	1432	4 लेन निर्मित
39	7 नंबर से बारादरी तक	30	1302	4 लेन निर्मित
40	कमला राजा से एस.ए.एफ. ग्राउण्ड मार्ग	30	1420	4 लेन निर्मित
41	कम्पू पेट्रोल पम्प- सिंधी कालानी- गुडागुडी का नाका तक	30	2131	4 लेन निर्मित
42	मुरार रिंग रोड	30	5065	4 लेन निर्मित
43	हजीरा से ग्रासिम चौराहा	40	856	4 लेन निर्मित
44	सराफा बाजार मार्ग	30	420	3 लेन निर्मित
45	पाटनकर बाजार मार्ग	24	395	4 लेन निर्मित
46	नई सड़क मार्ग	24	993	3 लेन निर्मित
47	हनुमार चौराहे से ए.बी. रोड	24	507	3 लेन निर्मित
48	बाडा से जनकगंज	18	595	2 लेन निर्मित
49	मोर बाजार मार्ग	18	231	2 लेन निर्मित
50	फालका बाजार मार्ग	18	757	2 लेन निर्मित
51	लोहिया बाजार मार्ग	18	691	3 लेन निर्मित
52	डीडवाना ओली मार्ग	18	314	2 लेन निर्मित
53	माधोगंज- तारागंज- स्काउट चौराहा- खासगी बाजार	18	1202	2 लेन निर्मित
54	हुजरात मार्ग	18	637	2 लेन निर्मित
55	कम्पू बाडा मार्ग	18	1345	2 लेन निर्मित
56	दौलतगंज मार्ग	18	891	2 लेन निर्मित
57	दाल बाजार मार्ग	20	668	2 लेन निर्मित
58	टकसाल मार्ग	24	516	2 लेन निर्मित
59	छत्री बाजार मार्ग	18	768	2 लेन निर्मित
60	आदर्श मिल रोड	18	784	2 लेन निर्मित
61	सैनिक पेट्रोल पम्प तानसेन लिंक मार्ग	18	937	2 लेन निर्मित
62	हजीरा चौराहे से किलागेट	18	941	2 लेन निर्मित
63	व्ही.सी. हाई स्कूल मार्ग	18	516	2 लेन निर्मित
64	ओहदपुर गाँव मार्ग	18	913	2 लेन निर्मित
65	ए.बी. रोड से लक्ष्मीगंज शमशान मार्ग	18	617	2 लेन निर्मित
66	ठंडीसड़क से मुरार शमशान मार्ग	18	1651	2 लेन निर्मित
67	सनातन धर्म मंदिर से हास्पिटल मार्ग	30	635	4 लेन निर्मित
68	मुर्गी केन्द्र से सिकंदर कम्पू	24	804	2 लेन निर्मित
69	रामदास घाटी से रायल टाकीज	18	374	2 लेन निर्मित
70	सिंधी कालोनी मार्ग	24	724	2 लेन निर्मित
71	कैंसर पहाडी मार्ग	30	3715	2 लेन निर्मित
72	भारत टाकीज से नौगंजा मार्ग	18	823	2 लेन निर्मित

## ग्वालियर विकास योजना 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वि.यो. 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	लम्बाई (मीटर)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
73	जीवाजीगंज मार्ग	18	774	2 लेन निर्मित
74	किला गेट से घासमंडी कोटेश्वर तक	18	1354	2 लेन निर्मित
75	शिंदे की छावनी- रामदास घाटी तक	24	846	3 लेन निर्मित
76	लक्कड खाना मार्ग	18	615	2 लेन निर्मित
77	रोशनी घर मार्ग	24	532	3 लेन निर्मित
78	बसंत बिहार मार्ग (LIC से झाँसी रोड)	18	745	3 लेन निर्मित
79	पडाव-डी.आर.डी.ई. ओवरब्रिज रंगमहल गार्डन (पुराना झाँसी रोड)	40	1023	2 लेन निर्मित
80	चंद्रवदनी नाका-कलेक्ट्रेट से डोंगरपुर	40	4843	4 लेन निर्मित
81	चेतकपुरी- विजयानगर, बसंत बिहार	18	1295	2 लेन निर्मित
82	रामदास घाटी-घोसीपुरा- ए.बी. रोड	18	980	2 लेन निर्मित
83	गुडा नाके से सिकंदर कम्पू- वीरपुर बाँध- ए.बी. रोड	24	3582	2 लेन निर्मित
84	गोले के मंदिर से सूर्य मंदिर रोड	18	913	2 लेन निर्मित
85	मयूर मार्केट, दुल्लपुर शमशान मार्ग	18	1503	2 लेन निर्मित
86	आकाशवाणी- मेला ग्राउण्ड- बैंक कालोनी रेसीडेसी मार्ग	30	3145	4 लेन निर्मित
87	महलगौव करौली मंदिर मार्ग	18	2288	2 लेन निर्मित
88	एस पी. ऑफिस से विश्वविद्यालय मार्ग	18	1260	2 लेन निर्मित
89	शिंदे की छावनी- लक्ष्मण तलैया- शब्दप्रताप आश्रम	18	735	2 लेन निर्मित
90	पाताली हनुमान- काँचमिल, बिरला नगर	18	1917	2 लेन निर्मित
91	दीनदयाल नगर- शताब्दीपुरम	40	1812	4 लेन निर्मित
92	दीनदयाल नगर- जडेरूआ बाँध- लालटिपारा -छावनी	30	3406	2 लेन निर्मित
93	आई.टी. मार्ग- मंडी- शताब्दीपुरम	30	1179	2 लेन निर्मित
94	मैदामिल से बायपास मार्ग	30	942	2 लेन निर्मित
95	लोहामंडी से खेडापति मार्ग	12	755	1 लेन निर्मित
96	लोहामंडी से तानसेन नगर	12	965	1 लेन निर्मित
97	ब्लू लोटस कालोनी से अलापुर बाँध	18	1276	2 लेन निर्मित
98	तानसेन रोड से जिला आवकारी कार्यालय मार्ग	18	300	3 लेन निर्मित
99	केन्टोनमेंट से बेहट मार्ग	60	3125	2 लेन निर्मित

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण।



## ग्वालियर विकास योजना 2035

## प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

सारणी 3-सा-5.

क्र.	कहाँ से कहाँ तक	चौड़ाई मीटर में	लम्बाई (मीटर)
1	2	3	4
1	शताब्दीपुरम से ए.बी. रोड	40	4465
2	एयर पोर्ट से ए.बी. रोड	40	6021
3	एयर पोर्ट- महाराजपुर डाँग बेहटा बायपास तक	30	6068
4	भिण्ड रोड से दीनारपुर मंडी	40	1581
5	स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर	12	7615
6	मुरार नदी के दोनों ओर	12	3063
7	बाराघाटा अंडरपास- अलापुर रमोआ	30	3163
8	छावनी रिंग रोड- खिरिया मिर्धा	30	8540
9	मोतीझील बायपास से जिगसोली	45	6963
10	तिगरा रोड- रामपुरा से गोकुल गाँव	45	4722
11	गुडा गुडी का नाका- पिपरोली बायपास	30	5086
12	नीमचंदोहा से सातऊ	30	10682
13	मालखेडी- केदारपुर- नौगाँव- बेला	40	10154
14	बहोडापुर से बरा बायपास तक	18	2674
15	शिवपुरी लिंक रोड से पिपरोली बायपास तक	40	5126
16	शिवपुरी लिंक रोड से सातऊ (शीतला माता मार्ग)	40	7031

टीप:-

- वर्तमान मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई जिस उपखण्ड में प्रस्तावित से अधिक उपलब्ध होगी उसे कम न करते हुये भूमि का उपयोग वाहन विराम हेतु सुरक्षित रखा जावेगा।
- विद्यमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का क्रियान्वयन, भूमि के उपलब्ध होने, भवनों के पुनर्निर्माण अथवा नवीनीकरण के समय किया जावेगा।

## 3.6 यातायात अवसान केन्द्र

## 3.6.1 माल अवसान केन्द्र

## (अ) रेलवे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से रायरू स्थित गुड्स यार्ड पर्याप्त है।

## (ब) यातायात नगर/लॉजिस्टिक पार्क/कंटेनर डिपो

ग्वालियर नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु ग्राम शंकरपुर में विद्यमान यातायात नगर के विस्तार हेतु 20.00 हेक्टेयर भूमि लॉजिस्टिक पार्क

हेतु प्रस्तावित की गई है। जिसमें थोक व्यवसायों एवं भवन निर्माण सामग्री के व्यावसायिक के लिये भूखण्डों का विकास तथा माल वाहनों की पार्किंग के लिए सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम रायरू में कंटेनर डिपो तथा ग्राम पिपरौली, नीम चंदोहा एवं लक्ष्मणगढ़ में भी लॉजिस्टिक पार्क हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है।

### 3.6.2 यात्री आवसान केन्द्र

इस बस टर्मिनल को ISBT (Inter State Bus Terminal) के रूप में जाना जाता है, जो रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस टर्मिनल पर झाँसी, आगरा, रीवा, गुना आदि के लिए बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। यह भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, नया ISBT (Inter State Bus Terminal) मुरैना लिंक मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है।

### 3.6.3 इंट्रासिटी बस टर्मिनल एवं मार्ग


शहर के भीतर बस परिवहन का संचालन और प्रबंधन इंट्रासिटी बस टर्मिनलों द्वारा निम्न मार्गों पर किया जा रहा है:-


- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. दीनदयाल नगर से इंदरगंज         | 4. मालनपुर से कम्पू             |
| 2. आई.आई.आई.टी.एम. से कलेक्ट्रेट  | 5. पुरानी छावनी से जौरासी       |
| 3. एयरफोर्स स्टेशन से गिरवाई नाका | 6. मुरैना लिंक मार्ग से नदी गेट |

### 3.6.4 हवाई अड्डा

ग्वालियर एयरपोर्ट शहर के उत्तर की ओर स्थित है। इसे कम घनत्व वाले क्षेत्रों में निर्बाध वायु स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है।

टर्मिनल में दो रनवे हैं, दोनों रनवे एयर फोर्स के अधीन हैं। आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की व्यस्ततम समय की मांग को समायोजित करने के लिए यात्री हैंडलिंग क्षमता जिसमें प्रस्थान और आगमन हॉल, प्रतीक्षा स्थान और पार्किंग स्थान जैसी





सुविधाएं सम्मिलित है, इन सुविधाओं के लिए टर्मिनल के स्थान में वृद्धि के लिए आलू अनुसंधान केन्द्र की लगभग 100 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

### 3.7 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

शहर के किसी भी परिवहन नेटवर्क में सार्वजनिक परिवहन एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्वालियर शहर में सिटी बस, मिनी बस, विक्रम और टाटा मैजिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड का प्रमुख रूप है। सिटी बसें ग्वालियर स्मार्ट सिटी (ट्रांसपोर्ट) लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती हैं।

शहर में एक ऑपरेशनल बस सेवा है। हालांकि, शहर की बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम, सर्वाधिक व्यस्ततय मार्गों के लिए प्रस्तावित है। वर्तमान में व्यस्ततम मार्ग निम्नानुसार है :-

1. मुरार-बाडा
2. मुरार-हजीरा
3. हजीरा-बाडा
4. मुरार-कम्पू
5. दीनदयाल नगर-बाडा
6. स्टेशन-कम्पू
7. मोतीझील-कम्पू
8. दीनदयाल नगर-मुरार

#### 3.7.1 पैदल यात्री एवं साइकिल मार्ग

भारत में किए गए अधिकांश परिवहन अध्ययनों में यात्रा के लिए पद-पथ सबसे अधिक प्रभावी बताया गया गया है। पैदल पद हेतु अधिकृत पथ एवं साइकिल नेटवर्क पथ निर्दिष्ट होना चाहियें। पद प्रचलन एवं साइकिल नेटवर्क निर्दिष्ट नहीं होने से शहरी सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश दुर्घटना पैदल यात्री ही होते हैं। ग्वालियर शहरी क्षेत्र के लिए, महत्वपूर्ण पैदल यात्री स्थानों की पहचान और सर्वेक्षण अध्ययन किया गया है। वर्तमान वर्ष के आंकड़ों और भविष्य में अपेक्षित प्रवाह के आधार पर, प्रमुख स्थानों पर पैदल यात्री

सुविधाओं की अनुशंसाये की जानी चाहिए। इनके अतिरिक्त, प्राथमिक नेटवर्क के साथ फुटपाथ का प्रावधान अनिवार्य किया जाकर सभी सिग्नल वाले चौराहों के पास पैदल यात्री रेलिंग होनी चाहिए और जेबरा क्रॉसिंग के साथ-साथ पैदल यात्री प्रवाह को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

### 3.8 यातायात प्रबंधन योजना

ग्वालियर में प्रति वर्ष पंजीकृत वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक है। विगत दशक में इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रों के बढ़ते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिग्नल, रोटरी, ज्यामितीय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, चौराहों फुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सड़कों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना, नागरिकों को यातायात की जानकारी, स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

#### 3.8.1 चौराहों का विकास

नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्क्रोनाइज किया जाने तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है। भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाय ओवर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.8.2 पुलों का निर्माण

नगर से गुजरने वाली नदी/नालों तथा रेलवे लाइन के ऊपर विद्यमान पुलों का चौड़ीकरण एवं नवीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

### 3.9 जलापूर्ति प्रणाली

निवेश क्षेत्र की जलापूर्ति प्रणाली मुख्य रूप से सतही जल पर निर्भर है। सतही तल के लिए तिगरा बाँध एवं उससे ऊपर बड़े हुए पेहसारी, ककेटो एवं अपर ककेटो बाँध से पानी तिगरा बाँध में लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः भू-जल पर निर्भर है। शहरी क्षेत्र में भी आंशिक भाग में जल आपूर्ति भू-जल के स्रोतों ट्यूबनल एवं हेण्डपम्प द्वारा की जाती है। चंबल नदी भी निवेश क्षेत्र की सीमा से 70 कि.मी. दूर बहती है। इस कारण ग्वालियर में चंबल नदी से जल आवर्धन योजना प्रस्तावित है।

वर्ष 2035 के लिए पानी की आपूर्ति का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

- 24x365 प्राप्त करने के लिए (पूरे दिन और वर्ष में निरंतर पानी की आपूर्ति)।
- पानी की सुरक्षित और पीने योग्य गुणवत्ता।
- पाइप जलापूर्ति के माध्यम से 100% कवरेज।
- वित्तीय रूप से स्थायी जल आपूर्ति प्रणाली।
- उच्च उपभोक्ता संतुष्टि।
- टैरिफ, नीति और मॉनिटर सेवा तय करने के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण।
- पंपिंग स्टेशनों, पाइपलाइनों और जल उपचार संयंत्रों का सुदृढीकरण/उन्नयन का प्रावधान।
- 10% से कम यूएफडब्ल्यू (unaccounted for water) को प्राप्त करने के लिए पूरे शहर में रिसाव का आंकलन, पता लगाना और मरम्मत करना।
- उपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरे का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग।

#### 3.9.1 मांग का अनुमान

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन, मेगा शहरों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति की अनुशंसा करता है। जबकि नेशनल बिल्डिंग कोड, प्रति दिन न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति की अनुशंसा करता है।

ग्वालियर विकास योजना-2035 में प्रति दिन 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति सतही जल स्रोतों के माध्यम से की जाएगी, जिसे भूजल स्रोतों से वृद्धि करते हुए प्रति दिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति तक किया जाएगा। सतही जल स्रोतों के लिए 2035 तक 324 एमएलडी पानी की आवश्यकता होगी, ट्रांसमिशन और वितरण का नुकसान 15% तक सीमित होंगे। इस प्रकार, घरेलू खपत के लिए सतही जल स्रोतों से पानी की आवश्यकता वर्ष 2035 तक 372 एमएलडी अनुमानित है। घरेलू पानी की आपूर्ति के अलावा, वास्तविक खपत पैटर्न के आधार पर संस्थागत और औद्योगिक पानी की मांग की भी आपूर्ति की जाएगी।

### 3.9.2 जल आपूर्ति स्रोत

ग्वालियर शहर को वर्तमान पानी की आपूर्ति तिघरा से 233 MLD और भूजल से 17 MLD है। वर्ष 2035 हेतु चल रही वृद्धि के चलते ग्वालियर की जल उत्पादन क्षमता 2035 तक 472 MLD हो जाएगी, साथ ही औद्योगिक, संस्थागत और बड़े जल उपभोक्ताओं को पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जल स्रोतों की क्षमता 2035 की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन ग्वालियर में वर्षा कम होने के कारण तिघरा जलाशय का जल स्तर अधिकतम जल स्तर (MWL) तक प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता है। इस कारण चंबल नदी से पानी लाने की जल आवर्धन योजना प्रस्तावित की गई है।


#### स्रोत अनुसार जल की उपलब्धता


सारणी 3-सा-6.

S. No.	Source	Million Liters Per Day		
		Present Capacity	Proposed Augmentation	Total Available Water
1	Tighra	236	-	236
2	Upper kaketo/ kaketo	155	-	155
3	Ground Water Sources	17	-	17
4	Pehsari	64	-	64
<b>Total</b>		<b>472</b>	<b>-</b>	<b>472</b>

स्रोत:- नगर निगम ग्वालियर।







### 3.9.3 जल वितरण प्रणाली

वर्ष 2035 हेतु जल वितरण प्रणाली को शहर की 100% जनसंख्या तक पाइप जल आपूर्ति प्रणाली के तहत कवर किया जाएगा। वर्तमान में शहर की लगभग 80% आबादी तक पाइप से जलापूर्ति उपलब्ध है। वर्तमान में एक घंटे प्रतिदिन की जल आपूर्ति के स्थान पर प्रतिदिन 24 घंटे की निरंतर जल आपूर्ति प्रणाली, पानी की गुणवत्ता सहित सुनिश्चित की जाएगी। इससे पानी का अपव्यय भी कम होगा। ग्वालियर नगर निगम के नियमित संचालन और रखरखाव कार्यों में 300 मिमी से कम व्यास के पाइपों में रिसाव का पता लगाने हेतु नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जिससे तत्काल मरम्मत की जाकर पानी के रिसाव को रोका जा सकें।

### 3.10 सीवरेज

घरेलू सीवेज और स्टॉर्म सीवर के जल प्रवाह को ले जाने के लिए सेनेटरी सीवर से युक्त पृथक सीवर उपलब्ध कराए जाएंगे। सीवरेज प्रणाली निम्नानुसार उद्देश्य का निर्धारण प्रस्तावित है :-

- खुले में शौच मुक्त शहर, सभी घरों में शौचालय।
- 100% शहर को कवर करने के लिए सीवरेज सिस्टम।
- सीवरेज सिस्टम से कनेक्टिविटी को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक रूप से स्थायी सीवरेज सिस्टम।
- नालियों में केवल बारिश के पानी का प्रवाह होना चाहिए, सभी सीवेज स्रोतों से एसटीपी तक सीवर लाईन की सुनिश्चितता।
- सीवरों डिस्चार्ज करने से पहले औद्योगिक अपशिष्ट का प्राथमिक उपचार किया जाना सुनिश्चित करना।
- वाणिज्यिक स्थानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना प्रस्तावित है।

### 3.10.1 अपशिष्ट जल प्रवाह का अनुमान

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर, जल आपूर्ति की दर और भूजल रिसने की दर पर निर्भर करती है। प्रायः पानी की खपत का 80% अपशिष्ट, जल प्रवाह में योगदान देता है। सभी क्षेत्रों में पाइपलाइनों को भूजल स्तर से ऊपर रखने का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे भूजल रिसने की संभावना नहीं है। भूजल रिसने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन पर आधारित परियोजना रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति में भी रिसाव नहीं होने देने के आधार पर तैयार की जाना प्रस्तावित है। शहर से वार्षिक अपशिष्ट का उत्पादन लगभग 1550 मीट्रिक टन 2035 तक होना अनुमानित है।

### 3.10.2 वर्तमान जल निस्सारण प्रणाली

नगर निगम क्षेत्र में लगभग 977.03 किमी भूमिगत सीवर नेटवर्क है, जो 222 MLD की उपचार सुविधा के साथ लगभग 80% आबादी की सेवा करता है। ग्वालियर में सीवर नेटवर्क को विभिन्न चरणों में विकसित किया गया है। सीवर उपचार संयंत्रों की वर्तमान क्षमता निम्नानुसार है :-

#### मल-जल शोधन संयंत्र का विवरण

सारणी 3-सा-7.

S. No.	Sewerage Treatment Plant	Capacity (MLD)
1	Morar	65
2	Sewage Farm	145
3	D D Nagar	08
4	Laliapura	04
Total		222


### 3.10.3 अमृत योजना में प्रस्तावित जल निस्तारण संरचना

नया सीवेज नेटवर्क और वर्तमान सीवरेज नेटवर्क का नवीनीकरण नीचे दिया गया है:

#### अमृत योजना में प्रस्तावित जल निस्तारण संरचना

सारणी 3-सा- 8.

Old Sewerage Network	700 km
New Network in Amrut Scheme	277.03 km
Old Sewer Connection	15098
New Connection Amrut Project	31790
Trunk Sewer Line (350mm to 1800mm)	17 km



### 3.10.4 पानी का पुनर्चक्रण

- शहरी क्षेत्र की स्थल आकृति, कुशल सीवरेज नेटवर्क के विकास की दिशा में बाधा है। इस कारण सीवरेज नेटवर्क को एसटीपी तक ले जाने के लिए पंपिंग सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- वर्तमान सीवरेज नेटवर्क केवल 80% शहर के हिस्सों में विद्यमान है, शेष 20 प्रतिशत हिस्से से सीवर का पानी नालों में प्रवाहित होता है या सेप्टिक टैंकों में डाला जाता है।

अतः यह प्रस्तावित है कि संस्थागत एवं आवासीय समूह (सोसाइटीज) अपने सीवर का उपचार कर उपचारित जल का उद्यान एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में उपयोग करें अथवा प्राथमिक उपचार करने के पश्चात् ही मुख्य सीवरेज प्रणाली में प्रवाहित करें, जिससे सीवर शोधन संयंत्रों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो सकें।

### 3.11 जल निकासी प्रणाली

अध्ययन क्षेत्र में वर्षा जल निकासी प्रणाली में द्वितीयक और तृतीयक दोनों नालियां शामिल हैं, डेटा की उपलब्धता की, सीमाओं के कारण विश्लेषण मैक्रों (Macro) स्तर तक ही सीमित है। वर्षा जल निकासी के लिए, सीवेज और जल निकासी प्रणाली को पृथक करते हुए सुदृढीकरण करने की आवश्यकता है।

#### 3.11.1 प्रमुख जल निकाय


मुख्य जल निकाय के रूप में शहर के अंदर स्वर्णरेखा एवं मुरार नदी है। इसके अतिरिक्त कुछ बाँध (जलाशयों) में भी पानी का भंडारण किया जाता है। प्रमुख बाँधों में, रमौआ बाँध, अलापुर बाँध, जडेरूआ बाँध, वीरपुर बाँध, हनुमान बाँध तथा तालाबों में सागर ताल, मोती झील, जनक ताल, लक्ष्मण ताल, सूरज कुण्ड तथा कटोरा ताल सम्मिलित है। उपरोक्त जल निकाय/भंडारण मुख्यतः भू-जल स्तर को बढ़ाने का कार्य करते हैं।


### 3.12 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रायः यह देखा गया है कि 60 प्रतिशत अपना अपशिष्ट कूड़ेदान में फेंकते हैं, 30 प्रतिशत अपना अपशिष्ट खुले स्थान पर फेंकते हैं, तथा 10 प्रतिशत अपना अपशिष्ट सड़क किनारे फेंकते हैं। सड़कों और खुले स्थानों पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति के कारण, निवेश क्षेत्र में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण की सुविधा की कमी भी है। जनसंख्या के 73 प्रतिशत के लिए कचरा साफ करने की आवृत्ति साप्ताहिक है, 10 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा कचरा पखवाड़े (15 दिवस) में साफ किया जाता है और जनसंख्या के 17 प्रतिशत के लिए कचरा साफ करने की कोई विशेष अवधि नहीं है।

ग्वालियर नगर में ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत आवासीय बसाहट, वाणिज्यिक संस्थान, होटल एवं जल-पान गृह है। इस ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम की है। जबकि हॉस्पिटल एवं औद्योगिक कचरे के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होती है। वर्तमान में नगर से 450 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के मान से लगभग 550 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। नगर पालिक निगम द्वारा लगभग 80 प्रतिशत कचरा उठाया जाता है, शेष 20 प्रतिशत कचरा गलियों एवं खुले स्थानों पर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिससे आवासीय क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित होता है। कचरे का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन एवं उपचार केदारपुर संयंत्र में किया जाता है।

ग्वालियर में अपशिष्ट पदार्थों की सही मात्रा और विशेषता ज्ञात नहीं है, लेकिन नगर निगम की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है, कि शहरी क्षेत्र में 550T/दिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। अधिकांश कचरे को खुली भूमि पर या कंटेनरों के बाहर फेंक दिया जाता है। नगरपालिक निगम के वाहनों द्वारा कचरा शहर से 15 किमी दूर केदारपुर ट्रेडिंग ग्राउंड (लगभग 100 एकड़) में डंप किया जाता है। केदारपुर में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र संचालित किया गया है, जिसकी जैव उर्वरक की स्थापित क्षमता 100 मीट्रिक टन/दिन है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट शासकीय और निजी अस्पतालों से अलग-अलग बैग में एकत्र किए गए कचरे को बंद वाहनों में केदारपुर ले जाया जाता है। केदारपुर संयंत्र में जैव कचरे का प्रबंधन होता है।





**GWALIOR**  
**SOLID WASTE TRANSFER STATION**

Map No. 3.9

**Legend**


- Dry Waste Processing Plant
- Sanitary Waste/ Domestic Hazardous Waste Transfer Point
- Wet Waste Processing Plant
- National Highway
- State Highway
- Roads
- Railway Line (Broad Gauge)
- Railway Line (Narrow Gauge)
- Waterbody
- Planning Area Boundary
- Village Boundary



Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: Ground Verification

Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal



### 3.13 विद्युत आपूर्ति

#### 3.13.1 वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान बिजली का स्रोत नेशनल ग्रिड सिस्टम से बिजली की आपूर्ति द्वारा विभिन्न उपयोगों के बीच किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- औद्योगिक- 4%
- वाणिज्यिक- 5%
- आवासीय- 66%
- विविध- 25%

#### 3.13.2 विद्यमान विद्युत अधोसंरचना क्षेत्र

वर्तमान विद्युत प्रणाली की क्षमता को 2035 की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जाएगा। सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली आपूर्ति की योजना का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित योजना में 20 साल की जरूरत के लिए कंपनी द्वारा प्रस्ताव को दो चरणों में विकसित किया जाएगा।

#### 3.13.3 मांग विश्लेषण

पिछले पांच वर्षों के दौरान बिजली की खपत के प्रचलित पैटर्न के अनुसार, यह पाया गया है कि खपत की दर 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है। तदनुसार, वर्ष 2035 के लिए अनुमानित खपत 3550 MKWH (Million Kilo Watt Hour) प्रति वर्ष होगी।

### 3.14 सामाजिक अधोसंरचना

सामुदायिक सुविधाओं के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, अग्निशमन सुविधा, सुरक्षा आदि सम्मिलित है।

### 3.14.1 शिक्षा

नगर की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर में निम्नानुसार शैक्षणिक सुविधायें वर्तमान में उपलब्ध हैं।


1	विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित)	—	9
2	कॉलेज	—	114
3	स्कूल (प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक)	—	435


उपरोक्त शैक्षणिक सुविधायें, ग्वालियर नगर की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त हैं, ग्वालियर में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित हैं, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, महिला एन.सी.सी. कॉलेज, अटल बिहारी बाजपेई राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन संस्थान, पर्यटन प्रबंधन संस्थान, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, आई.पी.एस. विश्वविद्यालय, सिंधिया स्कूल (फोर्ट), सिंधिया कन्या विद्यालय आदि सम्मिलित हैं।

ग्वालियर में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनेकों कोचिंग सेन्टर भी कार्यरत हैं। जिनसे नगरीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 2035 की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित करने के साथ, मिश्रित उपयोग एवं आवासीय उपयोगों में भी कतिपय गतिविधियाँ स्वीकार की गई हैं।

### 3.14.2 स्वास्थ्य

ग्वालियर में नगरीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख केन्द्र मेडीकल कॉलेज का जयारोग्य अस्पताल, माधव डिस्पेंसरी तथा मुरार जिला अस्पताल है। ग्वालियर में कुल 24 शासकीय अस्पताल तथा 152 निजी अस्पताल/नर्सिंग होम कार्यरत हैं। यह वर्तमान आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। लेकिन






**GWALIOR  
HEALTH SERVICES**

Map No. 3.13

**Legend**


-  Government Hospital
-  Private Hospital
-  National Highway
-  Roads
-  Railway Line (Broad Gauge)
-  Railway Line (Narrow Gauge)
-  Waterbody
-  Planning Area Boundary
-  Village Boundary

Scale  
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5  
Kms



Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: Ground Verification



 Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अधिकांश निजी अस्पताल/नर्सिंगहोम आवासीय कॉलोनियों के भू-खण्डों पर संचालित है। 2035 की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत इन्हें स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है।

### 3.14.3 संचार

नगरीय अर्थ व्यवस्था में संचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्ध में देश की संचार सेवाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। मोबाइल, टेलिफोन अब प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। टेलिफोन पर ब्राड-बैंड की सुविधा द्वारा सम्पूर्ण भू-मंडल, संचार सेवाओं से जोड़ने में सक्षम हो गया है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय गेट-वे सुविधा के विस्तार के साथ आई.टी. पार्क भी उपलब्ध है, इसके लिये प्रशिक्षित मानव शक्ति के स्रोत के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान एवं अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध है।

ग्वालियर नगर में दूर संचार अधोसंरचना में टेलीफोन केन्द्र एवं ओ.एफ.सी. (Optical Fibre Cable) का विकास भारतीय दूर संचार निगम के साथ जियो, एयरटेल आदि निजी कम्पनियों द्वारा भी किया गया है। मोबाइल कंपनियों द्वारा टॉवर लगाये जाकर, मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराई गई है।

ग्वालियर विकास योजना में दूरसंचार सुविधाओं से संबंधित नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार प्रस्तावित है।

1. एक दूरभाष प्रति व्यक्ति की दर से 1 लाख की जनसंख्या के लिये एक दूरसंचार केन्द्र हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें प्रशासनिक क्षेत्र, भंडार, कर्मशाला आदि सुविधायें सम्मिलित है।
2. विभागीय दूरसंचार कार्यालय एक लाख जनसंख्या के लिये एक की दर से सामुदायिक केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस हेतु 900 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।

3. बुकिंग एवं वितरण कार्यालय पांच लाख जनसंख्या पर एक की दर से जिला केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस हेतु 900 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
4. डाकघर काउन्टर बिना वितरण व्यवस्था के 10 हजार से 15 हजार की जनसंख्या के लिए एक की दर से स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
5. मुख्य डाकघर वितरण व्यवस्था के साथ सामुदायिक केन्द्र में 2.5 लाख जनसंख्या के लिए एक की दर से उपलब्ध कराये जाने चाहिये। इसके लिये 600 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
6. मुख्य डाकघर-सह-प्रशासनिक कार्यालय जिला केन्द्रों में छः लाख की जनसंख्या पर एक की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसके लिये 2500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।

#### 3.14.4 अग्नि शमन सेवा

ग्वालियर नगर में अग्नि शमन सेवा नगर निगम द्वारा संचालित है। यह सेवा आग लगने की दुर्घटनायें, मकानों के गिरने आदि आपात स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। नगर निगम द्वारा नगर सीमा से बाहर के लिए भी यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। नगर निगम द्वारा संचालित अग्नि शमन केन्द्र सिटी सेंटर क्षेत्र में स्टेडियम के पास स्थित है। यह अग्नि शमन केन्द्र शहर की जनसंख्या तथा बहुमंजिले भवनों की संख्या के मान से अपर्याप्त है। अग्निशमन केन्द्र में 10 वाहन हैं। नगर के विभिन्न परिक्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित पारिक्षेत्रिक योजना/अभिन्यास बनाते समय क्षेत्र के लिये सुगम पहुंच सेवाओं को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

ग्वालियर अग्नि शमन सेवा विभाग को बहुमंजिला भवनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पुराने क्षेत्रों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं में भी अग्नि शमन सुविधा की आवश्यकता के अनुसार विस्तार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अग्नि शमन प्रावधान निम्नानुसार संचालित होंगे—

- एक अग्नि शमन/उप अग्नि शमन केन्द्र 1 से 3 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र तथा दो लाख की जनसंख्या के लिये।
- अग्नि शमन केन्द्र हेतु आवासीय सुविधा सहित 1.0 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
- उप अग्नि शमन केन्द्र हेतु आवासीय सुविधा सहित 0.6 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2035 की जनसंख्या एवं भवनों की ऊँचाई के लिए नगर में चार अग्नि शमन केन्द्र तथा चार उपकेन्द्रों की आवश्यकता होगी। जिसमें प्रत्येक केन्द्र के लिए आवासीय सुविधा सहित एक हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

### 3.14.5 दुग्ध वितरण सेवा

वर्तमान में ग्वालियर नगर में दूध का वितरण ग्वालियर दुग्ध संघ, निजी डेरियों तथा दूध विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2035 तक 6 लाख लीटर दूध वितरण की आवश्यकता होगी। विकास योजना में विभिन्न निवेश इकाईयों के सेवा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन एवं वितरण केन्द्रों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रावधान करना आवश्यक होगा। नगर की आवश्यकतानुसार नगर सेवा केन्द्रों एवं ग्रामीण अंचलों में दुग्ध उत्पादन संयंत्रों एवं डेरियों हेतु स्थान आरक्षित किया जाना होगा।

ग्वालियर नगर को लश्कर, मुरार, हजीरा एवं सिटी सेंटर के चार केन्द्रों में विभाजित किया जाकर प्रत्येक केन्द्र में एक-एक मुख्य दुग्ध वितरण केन्द्र 150 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है तथा अन्य वितरण केन्द्रों के लिये 4 वर्गमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

### 3.14.6 सुरक्षा सेवार्यें

नगर में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी बढ़ रही है। निवेश क्षेत्र में सात पुलिस थाने एवं बीस पुलिस चौकियां हैं। पुलिस बल की


कमी एवं शासन में उच्च पदस्थ व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग से जन सामान्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, जिसके कारण अर्द्ध शासकीय संस्थानों एवं आवासीय परिक्षेत्र द्वारा निजी सुरक्षा एजेन्सियों की सेवाएँ ली जा रही हैं, लेकिन नगर की अधिकांश जनसंख्या निजी सुरक्षा एजेन्सियों के शुल्क की अदायगी कर पाने में सक्षम नहीं हैं। नगर की वर्तमान एवं भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक स्तर पर एक लाख की जनसंख्या पर एक पुलिस थाना तथा स्थानीय केन्द्र स्तर पर 10 से 15 हजार की जनसंख्या पर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 द्वारा नियंत्रित होंगे।


### 3.14.7 सामाजिक एवं सार्वजनिक सुविधायें


ग्वालियर नगर सांस्कृतिक विविधताओं का केन्द्र रहा है। ग्वालियर विकास योजना में ग्वालियर को कला एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विचार किया गया है। विकास योजना कालावधि 2035 के लिये पाँच नगर स्तरीय सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास बाडा, सिटी सेंटर, डी.डी. नगर, मुरार एवं ग्वालियर में प्रस्तावित किया गया है। सामुदायिक स्तर पर 20 से 25 हजार की जनसंख्या पर एक सामाजिक केन्द्र का विकास प्रस्तावित है। इन गतिविधियों के विकास हेतु मानक विकास योजना नियमन एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में वर्णित प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे।

### 3.14.8 सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas) वितरण सेवा

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. (Liquefied Petroleum Gas) गैस सिलेण्डरों एवं सी.एन.जी. गैस पाइप लाईन द्वारा गैस की सप्लाई की जाती है। विकास योजना 2035 की कालावधि तक सम्पूर्ण क्षेत्र में गैस पाइपलाईन की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।





**अध्याय-4****विकास योजना प्रस्ताव-2035****4.1 विकास योजना 2035 की अवधारणा**

ग्वालियर विकास योजना 2035 में नगर स्तर के थोक एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक केन्द्र, प्रशासनिक, मनोरंजन केन्द्र आदि के प्रस्ताव दिए गये हैं। मार्ग संरचना में सुगम यातायात की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया है। ग्वालियर विकास योजना 2035 में बहु-केन्द्रीय प्रणाली के अनुसार नगरीय विकास को नियोजित किया जाना प्रस्तावित है। नगर से गुजरने वाले नालों के तटीय क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्रों के समीप जल प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से हरित क्षेत्र का विकास प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

**4.2 प्रस्तावित भूमि उपयोग**

ग्वालियर विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 10.34 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2021 में 14.06 हेक्टेयर प्रति हजार भू-उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी।

## प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4-सा-1.

क्र.	भूमि उपयोग वर्गीकरण	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		भूमि उपयोग दर	विकसित क्षेत्र 2020 (हेक्टेयर में)		प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (हेक्टेयर में)		भूमि उपयोग दर
		क्षेत्रफल	प्रतिशत		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	आवासीय	13122.69	58.33	8.20	4887.98	51.39	11910.32	50.05	5.18
2	मिश्रित	-	-	-	-	-	3232.79	13.58	1.41
3	वाणिज्यिक	529.13	2.35	0.33	477.21	5.01	657.74	2.76	0.29
4	औद्योगिक	1719.12	7.64	1.07	335.18	3.52	971.93	4.08	0.42
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	2685.4	11.94	1.68	1748.34	18.38	2402.86	10.10	1.04
6	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं	67.61	0.3	0.04	109.84	1.15	109.84	0.46	0.05
7	आमोद-प्रमोद	2128.27	9.46	1.33	252.61	2.66	2134.72	8.97	0.93
8	यातायात एवं परिवहन	2245.76	9.98	1.40	1699.41	17.87	2378.74	10.00	1.03
	<b>योग</b>	<b>22497.98</b>	<b>100</b>	<b>14.06</b>	<b>9510.57</b>	<b>100</b>	<b>23798.94</b>	<b>100.00</b>	<b>10.35</b>

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

नोट :- भूमि उपयोग दर 2035 में अनुमानित जनसंख्या 23.00 लाख के आधार पर संगणित की गई है।

## भूमि उपयोग प्रस्तावों का विवरण

## 4.2.1 आवासीय

विकास योजना में 2035 तक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 11910.32 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। यह आवासीय उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 50.05 प्रतिशत है। आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का कार्य केन्द्रों से सक्षम परिभ्रमण संरचना द्वारा संबंध स्थापित होगा तथा यह क्षेत्र क्षेत्रीय यातायात से अविचलित रहेंगे। भीड़-भाड़ से युक्त वर्तमान आवासीय क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। प्रस्तावित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र के स्तर में सुधार होगा।



#### 4.2.2 मिश्रित

भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 3232.79 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। यह मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 13.58 प्रतिशत है। आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण मिश्रित गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है।

#### 4.2.3 वाणिज्यिक

विकास योजना में विविध प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु 657.74 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 2.76 प्रतिशत है।

#### 4.2.4 औद्योगिक

नगर में कृषि आधारित उद्योगों की प्रबल संभावनाएं हैं जिसको दृष्टिगत रखते हुए नगर में औद्योगिक उपयोग के लिए 971.93 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान विकास योजना में किया गया है। यह विकसित क्षेत्र का 4.08 प्रतिशत है।

#### 4.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 2402.86 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह कुल प्रस्तावित भूमि का 10.10 प्रतिशत आता है। विकास योजना में भावी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न निवेश इकाइयों में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

#### 4.2.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं

इस उपयोग के अन्तर्गत 109.84 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह कुल प्रस्तावित भूमि का 0.46 प्रतिशत है। सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिता अन्तर्गत कब्रिस्तान, शमशान, विद्युत उप केन्द्र, जल वितरण एवं शुद्धिकरण संयंत्र आदि आते हैं। इसके

अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं के लिये आवश्यक स्थल का चयन, स्थल स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकता अनुरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से किया जावेगा।

#### 4.2.7 आमोद-प्रमोद

इस उपयोग के अंतर्गत कुल 2134.72 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। यह कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.97 प्रतिशत है। इस उपयोग अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान, नगर उद्यान, खेल मैदान, खुले क्षेत्र, मेला मैदान एवं अन्य आमोद-प्रमोद गतिविधियां आती हैं। विकास योजना में भुजरिया तालाब का पर्यावरण सुधार कर इसके निकट उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 4.2.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में इस उपयोग हेतु 2378.74 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है। यह कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.00 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत यातायात अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल, बस स्थानक तथा परिवहन संबंधी सभी सेवा-सुविधाओं का समावेश होता है।

#### 4.3 आवास आवश्यकता

आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्वालियर नगर में 1,89,156 आवासों में 2,31,924 परिवार निवास करते हैं। नगर में लगभग 42,768 आवासीय इकाइयों की कमी पाई गई है। वर्ष 2011 में नगर में औसत परिवार आकार 5.38 व्यक्ति है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 24 लाख के लिए परिवार आकार 5.00 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाइयों का अनुमान लगाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकतायें

## सारणी 4-सा-2.

क्र.	विवरण	2011	2035 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जनसंख्या (लाख में)	1248604	2400000
2.	औसत परिवार आकार	5.38	5.00
3.	परिवारों की संख्या	231924	480000
4.	आवास उपलब्धता	189156	-
5.	आवास कमी	42768	-
6.	2035 के लिये अत्याधिक आवास आवश्यकतायें	-	290844

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है:-

- नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा-सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना।
- नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों/कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना।

#### 4.4 निवेश इकाईयाँ

ग्वालियर निवेश क्षेत्र को 08 निवेश इकाईयों में विभाजित किया गया है। विकास योजना में नगर केन्द्र, मुख्य कार्य केन्द्र, नगर स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य एवं आमोद-प्रमोद केन्द्र, बस स्टैण्ड तथा यथा सम्भव रेलवे स्टेशन से इन इकाईयों को समुचित रूप से जोड़ा गया है। प्रत्येक इकाई को आवासीय क्षेत्रों एवं वृत्त खण्डों में विभाजित किया गया है जिससे वृत्त खण्ड, उप वृत्त खण्ड स्तरीय बाजार एवं अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध होगी। नगर में विद्यमान विभिन्न भूमि उपयोगों एवं प्रस्तावित विकास के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नगर को भौतिक रचना के अनुरूप एक सुलभ एवं सरल आकार प्रदान कर इकाईयों में बांटा गया है। इन निवेश इकाईयों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में अंकित है।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

## निवेश इकाईयाँ

सारणी 4-सा-3.

क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	निवेश इकाई क्रमांक - 1 लश्कर	4069.57
2.	निवेश इकाई क्रमांक - 2 न्यू लश्कर	9543.98
3.	निवेश इकाई क्रमांक - 3 थाटीपुर-सिटी सेंटर	17393.52
4.	निवेश इकाई क्रमांक - 4 मुरार वृद्धि क्षेत्र	710.28
5.	निवेश इकाई क्रमांक - 5 पुराना ग्वालियर	632.26
6.	निवेश इकाई क्रमांक - 6 शिंदे की छावनी	5678.80
7.	निवेश इकाई क्रमांक - 7 सीवेज फार्म	3887.88
8.	निवेश इकाई क्रमांक - 8 दीनदयाल नगर	11477.29
योग		53420.57


स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

## निवेश इकाई क्रमांक - 1

इस निवेश इकाई की सीमा पश्चिम में बेला की बावडी से गुप्तेश्वर मंदिर के पास निवेश क्षेत्र की सीमा तक पूर्व में राजपथ, दक्षिण में शिवपुरी लिंक मार्ग तथा उत्तर में शिंदे की छावनी, घोसीपुरा तक है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 4096.57 हेक्टेयर है। इस निवेश इकाई में मुख्यतः मध्य क्षेत्र, जयारोग्य चिकित्सालय तथा प्रमुख बाजार केन्द्र सम्मिलित हैं।

## निवेश इकाई क्रमांक - 2

इस निवेश इकाई की सीमा पश्चिम में राजपथ, पूर्व में झाँसी रेल मार्ग, उत्तर में शिवपुरी लिंक मार्ग होते हुए जय विलास पैलेस तक, तथा दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से मोतीमहल, मेडीकल कॉलेज, ए. जी. ऑफिस, चंद्रवदनी नाका, बाराघाटा औद्योगिक क्षेत्र, एस.ए.एफ क्षेत्र तथा नवीन विकसित आबादी का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 9543.98 हेक्टेयर है।



**निवेश इकाई क्रमांक - 3**

इस निवेश इकाई की सीमा पश्चिम में झाँसी रेलवे लाइन, उत्तर में गांधी रोड तथा दक्षिण एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 17393.52 हेक्टेयर है। इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट, थाटीपुर शासकीय आवास, कर्मचारी आवास, स्टेडियम, सिटी सेंटर तथा नवीन सिटी सेंटर का क्षेत्र के साथ नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है।

**निवेश इकाई क्रमांक - 4**

इस निवेश इकाई की सीमा में पूर्व में मुरार केन्टोनमेंट क्षेत्र तक, पश्चिम में रेसकोर्स मार्ग, दक्षिण में गांधी रोड तथा उत्तर में रेसीडेन्सी मार्ग तक क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 710.28 हेक्टेयर है इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से कृषि विश्व विद्यालय, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, मेला ग्राउंड, मयूर मार्केट, मुरार एवं विकसित आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है।

**निवेश इकाई क्रमांक - 5**

इस निवेश इकाई में पूर्व की ओर रेसकोर्स मार्ग, पश्चिम में किला मार्ग, दक्षिण में नेरोगेज रेलवे लाइन तथा उत्तर में जे.सी. मिल मार्ग, किला गेट तक का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 632.26 हेक्टेयर है। इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से हजीरा, तानसेन नगर, बिरला नगर, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा वर्तमान आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित है।

**निवेश इकाई क्रमांक - 6**

इस निवेश इकाई की सीमा पूर्व में खेड़ापति कॉलोनी से किला मार्ग तक, पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक, दक्षिण में नेरोगेज रेलवे लाइन तथा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक है। इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से ग्वालियर किला, मोती झील, यातायात नगर, पुरानी छावनी एवं रायरू तक नवीन आवासीय विकास का क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का क्षेत्रफल 5678.80 हेक्टेयर है।

**निवेश इकाई क्रमांक - 7**

इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से चार शहर का नाका, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान एवं मुरैना लिंक मार्ग पर औद्योगिक एवं नवीन आवासीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इस निवेश इकाई का क्षेत्रफल 3887.88 हेक्टेयर है।

**निवेश इकाई क्रमांक - 8**

इस निवेश इकाई की सीमा पूर्व एवं उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक, पश्चिम में आई.टी.आई. के पास स्थित नारायण बिहार कॉलोनी मार्ग तक, तथा दक्षिण में आई.टी.आई. तिराहे तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई में मुख्य रूप से एयर पोर्ट, डी.डी. नगर, जडेरूआ औद्योगिक क्षेत्र, शताब्दीपुरम, गोले का मंदिर तथा नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का क्षेत्रफल 11477.29 हेक्टेयर है।

**4.5 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना**

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त होने वाले स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गये हैं।

**असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना**

सारणी 4-सा-4.

क्र.	स्थान परिवर्तन एवं उपयोग का क्षेत्र	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर स्थल का प्रस्तावित उपयोग
1	2	3	5
1.	शासकीय मुद्रणालय, जीवाजी चौक	औद्योगिक क्षेत्र	पार्किंग
2.	केन्द्रीय जेल, बहोड़ापुर	शंकरपुर की पहाड़ी	वाणिज्यिक एवं पार्किंग
3.	थोक बाजार, दालबाजार, नयाबाजार, जीवाजीगंज	यातायात नगर	वाणिज्यिक / पार्किंग
4.	कबाड़ी बाजार, दौलतगंज	यातायात नगर	वाणिज्यिक / पार्किंग
5.	आरामिल, दालमिल, ब्रास मिल एवं मध्यक्षेत्र में कार्यरत अन्य औद्योगिक इकाईयाँ	औद्योगिक क्षेत्र	वाणिज्यिक / पार्किंग
6.	वाहन मरम्मत दुकान, जिन्सी नाला	यातायात नगर	वाणिज्यिक / पार्किंग
7.	अग्नि, आतिश कार्य, दौलतगंज एवं हुजरात	कृषि उपयोग क्षेत्र	वाणिज्यिक / पार्किंग

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

#### 4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती हैं। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे – नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है।

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।

- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास, क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

#### 4.7 पुनर्विकास क्षेत्र

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण नगर के अन्दर के भाग विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जाएगी।

- उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भूमि उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि की अन्य सक्षम उपयोग हेतु माँग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
- पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात् निवेश प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे।
- उपयोग एवं गतिविधि का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर, जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा। जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- स्वीकार्य विकास का घनत्व, उपयोगिता एवं अधोसंरचना का, यातायात दबाव की वहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा। यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए. आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किए गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि के दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्विकास के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गये हैं।

## पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

सारणी 4-सा-5.

क्र.	पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विवरण	भूमि उपयोग प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	शासकीय आवास	गांधीमार्ग, रेसकोर्स मार्ग, झांसी मार्ग, पड़ाव, सिंचाई कॉलोनी, कृषि कॉलोनी, पुलिस लाईन, में आवासों से संलग्न भूमि रिक्त है, इन शासकीय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण करने पर सभी कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी, इसके साथ ही शासन को अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी। जिससे विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।	पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत इन क्षेत्रों की विस्तृत परियोजना तैयार कराई जाकर पुराने के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
2.	शासकीय कार्यालय	हुजरात एवं जनकगंज कोतवाली, गोरखी, शासकीय मुद्रणालय, आबकारी कार्यालय, सेन्द्रल वर्कशॉप, पी. डब्ल्यू.डी. वर्कशॉप आदि।	तदैव
3.	स्कूल	गोरखी स्कूल, महारानी विद्यालय गजराराजा, जनकगंज एवं हरिदर्शन स्कूल	तदैव

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

## 4.8 गंदी बस्ती एवं झुग्गी/झोपडी क्षेत्र

ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक निगम द्वारा अधिसूचित 243 गंदी बस्तियां हैं। नगर पालिक निगम द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है:-

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिए विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थापित पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

#### 4.8.1 अवैध कालोनियां

ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में 634 अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं। इन कालोनियों में भी मूल-भूत सुविधाओं का अभाव है।

#### 4.8.2 खुला स्थल प्रणाली


विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो, वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्य-कलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू-दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

#### 4.9 ग्राम आबादी विस्तार

ग्वालियर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 250 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

#### 4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है, यह वर्ग प्रायः रोजगार, अस्थाई ठेला, गुमठी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करना है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान स्वीकार्य होगा। यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।



**अध्याय-5****विकास नियमन**

सूर्य मंदिर

**5.1 प्रवृत्तशीलता**

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे:-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

## 5.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।
5. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
6. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, दुकानें, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं

- स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्र तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं।
7. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
  8. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है; तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।
  9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
  10. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।
  11. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
  12. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
  13. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  14. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- तक एवं नालों की स्थिति में मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
15. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
  16. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
  17. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन-परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
  18. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
  19. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

20. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
21. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरो के आधार पर ही किया जायेगा।
22. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।
23. हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) से आशय है कि हस्तांतरणीय विकास नियमन 2018 के अनुसार एक भूखण्ड से दूसरे भूखण्ड पर अतिरिक्त तल क्षेत्र के निर्माण हेतु विक्रय किया जा सकने वाला तल क्षेत्र अनुपात।

**5.3 परिभाषायें****उपयोग परिक्षेत्र :-**

मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

**उपयोग परिसर :-**

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

**अभिन्यास :-**

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

**भूमि उपयोग मानचित्र :-**

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।

**परिक्षेत्रिक योजना :-**

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।

**नगरीय ग्राम :-**

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।

**नगरीय विरासत का क्षेत्र :-**

नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर जिसे संस्कृति विभाग द्वारा यूनेस्को प्रोग्राम के तहत प्रस्तावित विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन योजना (Heritage Conservation and Management Plan) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित क्षेत्र अथवा संरचनायें।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

**विकसित क्षेत्र :-**

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।

**एकल/संयुक्त परिवार हेतु****भूखंडीय विकास :-**

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।

**मिश्रित उपयोग :-**

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।

**ऊँचे भवनों का विकास :-**

ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।

**फर्शी क्षेत्र अनुपात :-**

फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।

**भवन की ऊँचाई :-**

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।

**संवेदनशील क्षेत्र :-**

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

**5.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र**

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

**उपयोग परिक्षेत्र**

सारणी 5-सा-1.

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)


## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
4	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टैंड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेलवे स्टेशन	(टी 4)
		रेलवे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		जल शोधन संयंत्र जल-मल शोधन संयंत्र विद्युत सब स्टेशन ट्रेचिंग ग्राउण्ड ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र /अपघटन संयंत्र कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 1) (पीयूएफ 2) (पीयूएफ 3) (पीयूएफ 4) (पीयूएफ 9) (पीयूएफ 10)
9	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से ग्वालियर नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।



## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

## सारणी 5-सा-2.

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम रैचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य ईकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

**नोट:-**

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग सहित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। ऐसी अवस्था में जब भूतल, आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर होगी।
6. उपरोक्त सारणी के कॉलम 12 में अंकित अधिकतम भवन की ऊँचाई में कुर्सी (Plinth) की ऊँचाई सम्मिलित नहीं है।
7. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
8. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
9. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

10. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी।
11. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

**5.6 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण**

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

**5.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा**

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

**5.8 मिश्रित उपयोग**

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां।

**5.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन**

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है।

मिश्रित उपयोग के संबंध में अध्ययन किया गया जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः वास्तविकता को अनदेखा करना

नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

### 5.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

- मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।
- ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
- मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

### 5.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

- मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
- मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे।
- 24.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे :- वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

## 5.9 वाणिज्यिक

## 5.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

## वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 5-सा-3.

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू-आच्छादन	FAR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 से अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 से अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	12.0 X 18.0	216	12 से अधिक	9.0	3.0	60	1.5
4.	18.0 X 30.0	540	12 से अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 से अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीप :-

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
  - 18 मीटर एवं उससे अधिक 1.75
  - 24 मीटर एवं उससे अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई अनुसार निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी।

मार्ग चौड़ाई  
12.00 मीटर  
18.00 मीटर  
24.00 मीटर  
30.00 मीटर  
40.00 मीटर  
60.00 मीटर

भवन रेखा (मार्ग मध्य से )  
09.00 मीटर  
13.50 मीटर  
16.50 मीटर  
21.00 मीटर  
26.00 मीटर  
37.50 मीटर

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 5-सा-4.

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर 18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

## 5.10 औद्योगिक

## 5.10.1 औद्योगिक विकास के मानक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

## 5.11 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

## सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 5-सा-5.

क्र	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b> 1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला 2. प्राथमिक विद्यालय 3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 4. महाविद्यालय	40 प्रतिशत 33 प्रतिशत 30 प्रतिशत 25 प्रतिशत	1.50 1.50 1.50 1.50	12.0 12.0 18.0 24.0	6.0 7.5 12.0 15.0	3.0 3.5 5.0 6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b> हॉस्पिटल - 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर नेच्रोपेथी सेन्टर हेल्थ सेन्टर नर्सिंग होम पालीक्लीनिक पेट क्लीनिक ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत	1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	24.00 24.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00 12.00	15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	06.00 06.00 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50
3	<b>जनउपयोगिता एवं सेवायें</b> पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन उप अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत -	1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 -	- 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 -	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
4	<b>धार्मिक भवन</b>	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	<b>शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय</b>	35 प्रतिशत	1.25	18.0		

**नोट** - उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.25 से अधिक नहीं होंगे, जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यहां मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

**5.12 यातायात****5.12.1 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक/बायपास मार्ग**

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी

ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियाँ।

(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन

- मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
- सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।

यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

(स) बायपास मार्ग हेतु नियमन

विकास योजना 2035 में दर्शित बायपास मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 44 एवं 46) की चौड़ाई 80 मीटर प्रस्तावित की गई है। इस मार्ग पर 35 मीटर नियंत्रित प्रस्तावित किया गया है। उक्त हरित क्षेत्र में निम्न गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी, जिनका भूतल आच्छादन 6 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 0.10 होगा।

1. ईंधन भराव केन्द्र, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन
2. बस स्टैण्ड
3. पुलिस स्टेशन
4. धर्मकांटा
5. सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें
6. पार्किंग

### 5.13 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

- वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, FAR एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा तैयार किये गये जोनल प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान अनुमोदन उपरांत प्रभावशील नहीं होगा, तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- भूमि उपयोग परिवर्तन कराने की स्थिति में विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
- भवनों की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेगी।

#### 5.13.1 मध्यक्षेत्र

स्मार्ट सिटी का अधिसूचित क्षेत्र, मुरार का पुराना विकसित क्षेत्र एवं ग्वालियर का किलागेट, लोहा मण्डी, हजीरा तथा घासमण्डी मध्यक्षेत्र के अंतर्गत माने जायेंगे।

#### (अ) मध्यक्षेत्र में भूमि उपयोग

- मध्यक्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग को यथावत रखा जाएगा।
- असंगत तथा भू-उपयोग को मध्यक्षेत्र से स्थानांतरित करने पर रिक्त हुये स्थान में पार्किंग प्रावधानों सहित वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य होगा।
- मध्यक्षेत्र के 12 मीटर एवं अधिक चौड़ाई के मार्गों पर वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य होगा।
- मध्यक्षेत्र के शैक्षणिक स्थलों को पुर्नघनत्वीकरण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पार्किंग के प्रावधानों सहित मिश्रित उपयोग हेतु विकसित किया जा सकेगा।
- मध्यक्षेत्र में पार्किंग स्थलों की आवश्यकता की पूर्ति मशीनीकृत पार्किंग (Mechanical Parking) व्यवस्था के प्रावधानों को स्वीकार करते हुये गणना की जाएगी।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- मध्यक्षेत्र के पुराने आवासीय क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र योजना (Local Area Plan) के माध्यम से मिश्रित उपयोग के लिये विकसित किया जा सकेगा।
- मध्यक्षेत्र के सीमांत खुले क्षेत्र में 4.5 मीटर स्थान वाहन आवागमन के लिये छोड़ने के पश्चात् क्षेत्र शेष सीमांत खुले क्षेत्र को पार्किंग की गणना में लिया जावेगा।
- स्मार्ट सिटी के अधिसूचित क्षेत्र (मध्यक्षेत्र) में एफएआर सीमांत खुले क्षेत्र, भू-आच्छादन एवं पार्किंग के नियमन शासन द्वारा अनुमोदित स्थानीय क्षेत्र योजना (Local Area Plan) के अनुसार प्रभावशील होंगे।
- मध्यक्षेत्र के व्यवसायिक मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निम्नानुसार होंगी :-

## (ब) मध्यक्षेत्र के व्यवसायिक मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1	सराफा मार्ग	30
2	डीडवाना ओली मार्ग	18
3	नई सड़क	24
4	जनकगंज मार्ग	18
5	लक्ष्मीगंज मार्ग	24
6	दौतलगंज मार्ग	18
7	माधौगंज-तारागंज-स्काउट चौराहा, खासगी बाजार	18
8	जिंसी नाला मार्ग (1,2,3 नम्बर तक)	30
9	पाटनकर बाजार	24
10	नया बाजार	18
11	राजपायगा बाजार	30
12	फाल्के बाजार मार्ग (भारत टॉकीज तक)	15
13	लोहिया बाजार	18
14	दानाओली मार्ग	9
15	सनातन धर्म मंदिर मार्ग	24
16	चाबड़ी बाजार मार्ग	18
17	दर्जीओली-लाला का बाजार	18
18	कम्पू मार्ग	18

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
19	दाल बाजार	24
20	लाईट हाउस नाला मार्ग	18
21	रोशनीघर मार्ग	18
22	जयेन्द्रगंज मार्ग	30
23	हुजरात मार्ग	18
24	दौलतगंज से खुर्जे वाला मोहल्ला होकर मैथलीशरण चौक	12
25	निम्बालकर की गौठ मार्ग	12
26	टापू मोहल्ला मार्ग	12
27	लाला का बाजार से गीता कॉलोनी चौराहा मार्ग	15
28	अस्पताल मार्ग	18
29	लक्ष्मीगंज-डोली बुआ पुल होकर खासगी तक	12
30	टकसाल मार्ग	18
31	चावड़ी बाजार मार्ग (डोली बुआ पुल तक)	12
32	जीवाजीगंज मार्ग	18
33	फाल्के बाजार से रामदास घाटी मार्ग	18
34	राम मंदिर से ग्वालियर टॉकीज होते हुये नई सड़क तक	12
35	क्षत्री बाजार मार्ग	18
36	जयेन्द्रगंज-जिंसी नाला लिंक मार्ग	12
37	मैना वाली गली से लोहिया बाजार मार्ग	12
38	माधौगंज- रॉक्सी टॉकीज मार्ग	12
39	चिटनीस की गोठ-हुजरात मार्ग	12
40	पारख जी का बाड़ा मार्ग	12
41	मेची ओली मार्ग	12
42	मोर बाजार मार्ग	18
43	हुजरात मण्डी से शासकीय मुद्रणालय मार्ग	12
44	मैथलीशरण चौराहे से लोहिया बाजार	12
45	तारागंज मार्ग	12
46	मामा का बाजार मार्ग	12
47	जयेन्द्रगंज से जिंसी नाला मार्ग	12
48	कैलाश टॉकीज मार्ग	15
49	माधव डिस्पेंसरी गेट से नया बाजार चौराहा	18

नोट:- मध्य क्षेत्र के 24.00 मीटर एवं अधिक चौड़ाई के सभी मार्गों पर मिश्रित उपयोग स्वीकार होगा।

**(स) मध्यक्षेत्र के नियमन**

- मध्यक्षेत्र में भवन रेखा विभिन्न चौड़ाई मार्गों के लिये निम्नानुसार होगी :-
 

12 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 9.0 मीटर
15 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 10.5 मीटर
18 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 12.0 मीटर
20 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 13.0 मीटर
24 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 15.0 मीटर
30 मीटर चौड़ाई के मार्ग	—	मार्ग मध्य से 18.0 मीटर
- मध्यक्षेत्र के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा मिश्रित उपयोगों हेतु FAR की सामान्य सीमा 1.5 होगी। इससे अधिक FAR म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 तथा विकास योजना में TDR नियमों के तहत अनुज्ञेय FAR की सीमा तक देय होगा।
- मध्यक्षेत्र में पीछे एवं दोनों साईड के न्यूनतम खुले क्षेत्र 12.5 मीटर तक ऊँचाई के भवनों के लिये 1.50 मीटर स्वीकार योग्य होंगे।
- मध्यक्षेत्र में अधिकतम भूआच्छादन 12.5 मीटर ऊँचाई तक 60 प्रतिशत एवं इससे अधिक ऊँचाई के लिये 40 प्रतिशत होगा।

**5.13.2 मध्यक्षेत्र के अतिरिक्त वर्तमान विकसित क्षेत्र****1. वर्तमान आवासीय क्षेत्र**

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्र

सारणी 5-सा-6.

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.25

नोट :- जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा।

## 2. वर्तमान आवासीय क्षेत्र में विकसित स्वास्थ्य सुविधाओं/नर्सिंग होम के प्रशमन (Compounding) हेतु मापदण्ड

इस विकास योजना के प्रभावशील होने के पूर्व आवासीय भू-खण्डों पर अस्तित्व में आये 20 बिस्तरों तक के नर्सिंगहोम का प्रशमन (Compounding), स्थानीय संस्था द्वारा निर्धारित दर पर राशि जमा कराने के पश्चात् तथा नियमानुसार पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध होने पर, स्वीकार योग्य होगी। स्थानीय संस्था द्वारा एकीकृत रूप से उक्त हेतु सामुदायिक पार्किंग बनाये जाने की दशा में उक्त पार्किंग हेतु भी शुल्क लिया जा सकेगा तथा परिसर में पार्किंग की अनिवार्यता में छूट दी जा सकेगी।

## 3. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

- (1) मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (2) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (3) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के दोगुना अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

- |  |            |
|--|------------|
| ● 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड   | 80 प्रतिशत |
| ● 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड | 60 प्रतिशत |
| ● फर्शी क्षेत्र अनुपात                       | 1:1.50     |

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

### 5.13.3 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

मध्यक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार होगी।

#### निवेश क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1	पड़ाव से हजीरा तक	30
2	हजीरा चौराहे से किला गेट मार्ग	18
3	हजीरा चौराहे से ए.बी. लिंक रोड	30
4	झाँसी मार्ग (तानसेन तिराहे से निवेश क्षेत्र की सीमा तक)	40
5	भिण्ड मार्ग (गोला का मंदिर से निवेश क्षेत्र की सीमा तक)	60
6	पुरानी छावनी से गोले का मंदिर - बडागांव तक	40-60
7	6 नं. चौराहे से सदर बाजार, बारादरी चौराहे तक	30
8	7 नं. चौराहे से बारादरी चौराहे तक	30
9	शिन्दे की छावनी तिराहे से रामदास घाटी तक	24
10	कम्पू पेट्रोल पम्प से गुड़ी-गुड़ा शिवपुरी लिंक रोड तक	30-40
11	नौगजा मार्ग	18
12	7 नं. चौराहे से सी.पी. कॉलोनी-जडेरूआ-भिण्ड मार्ग तक	30
13	फूलबाग से सेवानगर तक	30
14	किला गेट से सेवा नगर तक	18
15	किला गेट से कोटेश्वर तक	12
16	गैंडे वाली सड़क	18
17	रामदास घाटी से काजल टॉकीज तक	15
18	मुर्गी केन्द्र से सिकन्दर कम्पू तक	18
19	भारत टॉकीज मार्ग	15
20	खुला संतर तिराहे से अल्पना टॉकीज तक	15
21	दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम मुख्य मार्ग	40
22	विश्वविद्यालय मार्ग-न्यू कलेक्ट्रेट-सिरोल तिराहे तक	40
23	भिण्ड मार्ग से दीनारपुर मण्डी मार्ग	40
24	ए.बी. रोड बेला की बावडी से बरौआ नूराबाद तक	40-60
25	सचिन तेंदुलकर मार्ग- सिटी सेंटर- सिरोल बायपास तक	30
26	बारादरी-डोंगरपुर-नैनागिर	30-60
27	बहोडापुर-सागरताल-मानपुर	30-60
28	शिवपुरी-लिंक रोड	60
29	एम.एल.बी. मार्ग शिंदे की छावनी से रेलवे स्टेशन तक	40
30	चंद्रवदनी नाका से न्यू कलेक्ट्रेट-डोंगरपुर तक	40

नोट:- सभी वाणिज्यिक मार्गों पर मार्ग की चौड़ाई की दुगुनी गहराई तक वाणिज्यिक

उपयोग मार्ग के दोनों ओर स्वीकार्य होंगे।

The image shows a document page with a table and text. The text is extremely blurry and illegible. The table has several columns and rows, but the data within them cannot be discerned. A horizontal line is visible across the middle of the page, possibly separating a header or title from the main content.

पालिका विभाग, 2021

क्र.सं.	नाम	पता	विवरण
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

### 5.16 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 24.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

### 5.17 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

### 5.18 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शीक्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः धनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

### 5.19 विभिन्न गतिविधियों हेतु नियमन

#### 5.19.1 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.50
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र –</b>	
(अ) सम्मुख	6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	6.0 मीटर
<b>अन्य नियंत्रण –</b>	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।	

**5.19.2 मैरिज गार्डन**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

**5.19.3 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल**

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र –</b>	
सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	6.0 मीटर

**अन्य नियंत्रण :-**

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

**5.19.4 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण**

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात — 1:0.40
- अधिकतम आच्छादन — 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई — 12.0 मीटर
- अग्र सीमांत खुला क्षेत्र — 6.0 मीटर
- अन्य तीन ओर सीमांत खुला क्षेत्र — 4.50 मीटर (12.50 मीटर ऊँचाई तक)

**टीप—** 12.50 मीटर से अधिक ऊँचाई होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार सीमांत खुला क्षेत्र रहेगा एवं शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

#### 5.19.5 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे, जो आवासीय वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा मिश्रित उपयोग में मान्य होंगे।

#### 5.19.6 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

#### 5.19.7 उद्यान

- समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधि स्वीकार्य होगी।
- स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

## 5.20 तल क्षेत्र अनुपात

## तल क्षेत्र अनुपात

सारणी 5-सा-9.

No.	Use Zone	Base FAR	Maximum FAR (TDR Rules, MPBVR Rules & Premium FAR)
1	2	3	4
1	Residential	1.25	3.00
2	Commercial/Mixed	1.50	3.00
3	Industries	1.50	-
4	Public Utilities & Facilities (STP, Power Supply, SWM, Fire station, Cremation Ground etc)	0.50	-
5	Public & Semi-Public (Administrative, Educational, Health, Other Institutions)	1.50	3.00
6	Gardens and Parks	0.05	-
7	Transportation (For the use of Airport, Railways, Cargo, Bus Terminal and Stand, Bus stop, Multimodal Hubs, Transport Nagar, Metro, Roads, Depot, Parking lots, Multi-Level Parking)	1.25	-
8	Logistics, Warehousing and Wholesale	1.50	-
9	General Agriculture Zone	0.10	-
10	Village (Gramin Aabadi)	1.25	-

नोट :-

- 1- टी.डी.आर. नियमों के तहत 0.25 अतिरिक्त एफ.ए.आर. देय होगा।
- 2- 0.25 प्रीमियम एफ.ए.आर.देय वर्ष की प्रभावशील कलेक्टर गाइडलाइन की पाँच प्रतिशत राशि जमा किये जाने पर देय होगा।
- 3- उपरोक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. संवेदनशील क्षेत्रों (जलग्रहण क्षेत्रों, संरक्षित स्मारकों, छावनी क्षेत्र, एयरफोर्स क्षेत्र एवं DRDE के सीमावर्ती क्षेत्रों) में देय नहीं होगा।
- 4- अतिरिक्त FAR की गणना निम्नानुसार की जाएगी उदाहरणार्थ :-
  - (i) यदि विकास योजना 2035 एवं म.प्र. भूमि विकास नियमों के तहत किसी भूमि/भू-खण्ड पर 1.5 FAR देय होता तो उस दशा में, उक्त भू-खण्ड पर 0.25 FAR, TDR नियमों के तहत तथा 0.25 FAR प्रीमियम FAR के रूप में अतिरिक्त प्रदाय किया जा सकेगा।
  - (ii) ग्वालियर विकास योजना 2035 के तहत अधिकतम 2.5 FAR ही देय होगा। यदि इससे अधिक FAR प्राप्त करना हो तो, 0.25 FAR, TDR नियमों के तहत तथा 0.25 FAR प्रीमियम FAR के तहत ही प्रदान किया जाएगा।

### 5.20 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम खुले क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
2. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
4. भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रीडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए, से जोड़ना होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी में रख-रखाव एवं विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

#### अ) ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

#### ब) संरक्षित स्मारक :-

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित स्मारकों, ग्वालियर किला, मोती महल, गूजरी महल, मोहम्मद गौस का मकबरा आदि से 100 मीटर की दूरी तक भवनों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा तथा 101 मीटर से 300 मीटर की दूरी तक भवन निर्माण अनुमति पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के पश्चात् ही दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन स्मारकों, बाड़ा, कम्पूकोठी, पद्मा विद्यालय, जयारोग्य हॉस्पिटल, के.आर.जी. कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, गोरखी, मराठा छात्रावास, बैजाताल, सागरताल, जीवाजी क्लब, जयविलास पैलेस आदि के आसपास भी भवन निर्माण अनुमति इन भवनों के रूपांकन एवं ऊँचाई को दृष्टिगत रखते हुये ही विचार योग्य होगी।

## 5.21 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, मल्टीप्लैक्स, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, फिटनेस क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए. टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग, कोचिंग सेन्टर (20 छात्रों के समूह तक के लिये)
	वाणिज्यिक	
2	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर), सिनेमा हाल, होटल, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, शॉपिंग माल।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>प्रयोगशाला, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल, होटल, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।</p>
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	<p>अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव, बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक</p>

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**
5.	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाइन/ रेलवे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प, बैटरी चार्जिंग स्टेशन।
7.	आमोद-प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/नगर उद्यान / मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साइट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साइट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब) स्टेडियम/खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थायी प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साइट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थायी प्रकृति के, खेल उद्यान,

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं, कन्वेंशन सेन्टर।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8	वन	वन विभाग के प्रावधानों अनुसार
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव, बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध शीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अप्रशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***, समस्त प्रकार के भण्डारण।

**नोट :-**

- (1) \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) \*\*गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) \*\*\* कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।
- (4) उपरोक्त परिसरों की स्वीकृति के लिये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में विहित न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई आवश्यक होगी। भूमि विकास नियमन में जिन परिसरों का उल्लेख नहीं है उनमें न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।
- (5) स्वीकृति परिसरों में न्यूनतम 50 प्रतिशत भू-खण्डों का क्षेत्र विकास योजना में उल्लिखित भूमि उपयोग के अनुसार रखने पर ही भू-खण्डीय विकास की स्वीकृति दी जाएगी।

**5.22 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

## अध्याय-6

## विकास योजना क्रियान्वयन



विकास योजना प्रस्तावों को यथासंभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन किया जावे तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्ति या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि विकसित करके योगदान देना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, निवेश सलाह देकर किया जावे जिससे कि प्रस्तावित विकास एवं निर्माण अनुमोदित विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप हो। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय/अर्द्धशासकीय हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त की जावे। भूमि उपयोग तथा भूमि विकास

के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः ग्वालियर विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, विभाग लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिक निगम द्वारा भी अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु अनेक शासकीय/अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति के अंतर्गत निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित है।

### 6.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की अवधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वित करने में लगभग **967302.20 लाख** रुपये व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि के 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों एवं ओवरब्रिज का निर्माण आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर 100.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## योजना क्रियान्वयन की लागत

## सारणी 6-सा-1.

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				भूमि अर्जन प्रति हेक्टेयर रुपये 50 लाख की दर से	शेष कुल भूमि का 60 प्रतिशत विकास व्यय			कुल लागत (रुपये लाख में)
		प्रस्तावित	वर्तमान विकसित	शेष भूमि	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	दर (लाख रुपयों में)	लागत (रुपये लाख में)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	आवासीय	11910.32	4887.98	7022.34	550.00	27500.00	4213.40	100	421340.40	448840.40
2.	मिश्रित	3232.79	0	3232.79	400.00	20000.00	1939.67	100	193967.40	213967.40
3.	वाणिज्यिक	657.74	477.21	180.53	20.00	1000.00	108.32	100	10831.80	11831.80
4.	औद्योगिक	971.93	335.18	636.75	100.00	5000.00	382.05	100	38205.00	43205.00
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	2402.86	1748.34	654.52	100.00	5000.00	392.71	100	39271.20	44271.20
6.	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00
7.	आमोद-प्रमोद	2134.72	252.61	1882.11	430.00	21500.00	1129.27	100	112926.60	134426.60
8.	यातायात एवं परिवहन	2378.74	1699.41	679.33	600.00	30000.00	407.60	100	40759.80	70759.80
	योग :-	23798.94	9510.57	14288.37	2200.00	110000.00	8573.02		857302.20	967302.20

(क्षेत्र हेक्टेयर में तथा रुपये लाख में)

नोट :- उपरोक्त आंकड़े सांकेतिक स्वरूप के हैं।

## 6.2 योजना क्रियान्वयन नीति

योजना क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध निरन्तर प्रयासों की आवश्यकता होती है, ताकि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि कई महत्वपूर्ण विकास के घटकों का अपेक्षित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसके फलस्वरूप योजना के मूल प्रस्तावों का भौतिक रूप में रूपांतरण नहीं हो पाया है। सक्षम प्रबंधन की कमी ही योजना के प्रभावित होने का प्रमुख कारण रहा है। ग्वालियर विकास योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्वालियर विकास प्राधिकरण का है तथा अन्य विकास/निर्माण संस्थाएं सहभाग करेगी।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है—

1. भूमि का कुशलतम उपयोग।
2. सेवायें एवं अधोसंरचना का विकास।
3. भूमि की निरंतर उपलब्धता तथा अधोसंरचना विकास में संस्थागत/निजी सहभागिता।
4. प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन।
5. सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन।

### 6.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जलाशयों का संरक्षण, उनकी जल गुणवत्ता, जल फैलाव क्षेत्र एवं जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों की भूमि पर विकास नियंत्रण सम्मिलित है। अन्य पर्यावरणीय समस्याओं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निर्वतन एवं पुर्नचक्रीकरण तथा नगरीय विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण सम्मिलित है।

जलाशयों के किनारे होने वाले नगरीय विकास के दबाव को कम करने के लिये विकास नियंत्रण आवश्यक है। जलाशय प्रदूषण एवं मिट्टी के कटाव को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में रोका जाना आवश्यक है। इसी तरह से जल ग्राह्य क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियंत्रण की नितांत आवश्यकता है, जिसे पर्यावरण स्तर में और अधिक गिरावट को रोका जाकर वांछित पर्यावरण का स्तर प्राप्त हो सके। उपरोक्त संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है—

1. जलाशयों के जल मल प्रवाह को रोकने हेतु सीवर लाईनों की व्यवस्था।
2. जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से जलाशयों का प्रदूषण।
3. जल फैलाव क्षेत्र एवं सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. सीवर लाइन से बहने वाले प्रदूषित पानी को रोकने हेतु जल-मल शोधन संयंत्रों का निर्माण एवं परिचालन सुनिश्चित करना।

#### 6.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा सुविधाओं संबंधी योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रखा गया है—

- (1) नियंत्रित विकास के द्वारा भूमि की निरंतर उपलब्धता के लिये उपयुक्त भूमि प्रबंधन की व्यवस्था तथा नगर विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक के लिये पर्याप्त मात्रा में भूमि का अधिग्रहण।
- (2) विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- (3) भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं सार्वजनिक परियोजनाओं के नियोजन तथा रूपांकन में भूमि का युक्तियुक्त उपयोग।
- (4) नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्तकरण।

#### नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:

- नियंत्रित विकास।
- अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
- अधोसंरचना विकास निधि का गठन।
- एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
- विकास नियमन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण।

#### 6.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र की प्राप्ति की जाएगी। यहाँ समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवायें एवं यातायात तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास, संयुक्त क्षेत्रों पर

सहभागियों के संसाधनों के समन्वय द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार विकसित भूमि का आवंटन, अधोसंरचना भूमि बैंक एवं अधोसंरचना विकास निधि बनाने हेतु किये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए भू-अंश एवं अन्य निवेश के सहयोग के अनुपात में किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वयन हेतु शासन के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

#### 6.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागी सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में निहित भूमि में अनुपातिक एवं समान आधार पर भूमि पर अंशदान की सहायता हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है।

मुख्य नगर मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक में अंशदान करने वालों को राज्य शासन की स्वीकृति से प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

#### 6.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार एवं क्रियान्वित किया जा सकेगा।

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिसमें निर्धारित चरणबद्ध नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह क्रियान्वयन कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा।
2. नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता की पहल एवं समन्वय द्वारा वार्षिक विकास क्रियान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिगृहण लक्ष्य, भूमि विकास, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। निवेश योजना की एकीकृत नीति, आवश्यकता क्षेत्रों में शहरी अधोसंरचना विकास हेतु समुचित वित्त का सामयिक प्रबंध करेगा।
3. योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका प्रदायकर्ता के रूप में होगी। इस हेतु समन्वित पद्धति तैयार करने की आवश्यकता है।
  4. परिक्षेत्र योजनायें, स्थानीय संस्थाओं द्वारा विकास योजना लागू होने के तुरंत बाद बनायी जाएगी।
  5. नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं की बजट उपलब्धता एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित करते हुए नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति करना प्रस्तावित है।
    - एकीकृत नगरीय विकास योजना के अंतर्गत विकास के घटकों का निर्धारण।
    - कार्यक्रम के समन्वयक प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत क्षेत्रों का निर्धारण।
    - विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
    - एकीकृत नगर विकास की परियोजना तैयार करना।
    - निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो निजी निवेश अथवा सहभागिता का उपयोग करते हुए क्रियान्वित किये जा सकते हैं।
    - समन्वय प्राधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं के लिए क्रियान्वयन लक्ष्यों का निर्धारण।

**6.5 योजना एवं कार्यक्रम**

विकास योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण सन 2026 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा शेष अवधि द्वितीय एवं तृतीय चरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रखी गई है। योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामूहिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

से स्रोत गतिशीलता का प्रभावी कार्यक्रम एवं वार्षिक विकास दर एवं वित्तीय कार्यक्रम बनाना आवश्यक है ।

योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीतियों को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की भूमिका सहयोगी संस्था के रूप में होगी। इन उद्देश्यों पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा—

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार कर उसे नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू करने हेतु अंतिम स्वरूप दिया जायेगा।
2. नवीन क्षेत्रों में अत्यावश्यक मार्गों के विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो अन्य सभी गतिविधियों को भी गति दे सके।
3. नगरीय क्षेत्र में भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामूहिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी द्वारा क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ पांच से दस हेक्टेयर के अर्द्ध विकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना।
5. वर्तमान जल के स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करना तथा नये स्रोतों के माध्यम से प्रस्तावित योजना के दोनों चरणों की पूर्ति करना।
6. नवीन उपनगरीय क्षेत्रों में नगरीय विकास में प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु मूल-भूत अधोसंरचना, पावा ग्रिड एवं जल निकास व्यवस्था का विकास।
7. प्रस्तावित नवीन उपनगरीय क्षेत्रों में भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनाओं के साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा तंत्र तैयार करना।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

8. परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे उपनगरों के विकास तथा सहभागियों के स्रोत में वृद्धि तथा गतिशीलता लाई जा सके।
9. लक्षित समूहों के मध्य कोर हाउसिंग का विकास, समृद्धिशाली जनसंख्या के लिये विशेष आवासीय क्षेत्र मध्यक्षेत्र के लिये बाजार का विकास तथा उपनगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
10. अर्द्ध विकसित क्षेत्रों को मिलाकर सभी रहवासी क्षेत्रों में जन-यातायात प्रणाली का विस्तार करना।

**6.6 प्रथम चरण कार्यक्रम**

प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक विकास संस्थाओं, सहकारी समितियों एवं सहभागी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिकता के अनुरूप विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम चरण में प्रस्तावित घटकों का विवरण निम्नानुसार है—

1. पूर्वी बायपास मार्ग का निर्माण।
2. कमजोर आय वर्ग के लिये भवनों का निर्माण।
3. सीवर लाइनों का निर्माण।
4. उच्च स्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण।
5. आंशिक विकसित क्षेत्रों में नगर एवं जोड़ मार्गों का निर्माण।
6. सघन एवं भारी यातायात वाले मार्गों का सुधार एवं चौड़ीकरण।
7. पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक निर्माण।
8. आंशिक विकसित क्षेत्रों में आवश्यक सेवा सुविधाओं का विस्तार।
9. पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सीता सागर तालाब का संरक्षण एवं सुविधाओं का विकास।
10. यातायात नगर का विकास।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

प्रथम चरण में प्रावधानित विकास प्रस्तावों में क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण लागत सहित क्षेत्र के विकास की वर्तमान अनुसार लागत रुपये 316400.00 लाख अनुमानित है -

## प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत


सारणी 6-सा-2.

क्र	कार्य विवरण	भू-अर्जन भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर)	भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)	भूमि का विकास व्यय			कुल व्यय (रुपये लाख में)
				भौतिक लक्ष्य (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	व्यय रुपये लाख में	दर	
1	2	3	4	5	6	7	4
1	आवासीय	200.00	10000.00	1200.00	100.00	120000.00	130000.00
2	मिश्रित	50.00	2500.00	830.00	100.00	83000.00	85500.00
3	वाणिज्यिक	50.00	2500.00	37.00	100.00	3700.00	6200.00
4	औद्योगिक	50.00	2500.00	127.00	100.00	12700.00	15200.00
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	50.00	2500.00	130.00	100.00	13000.00	15500.00
6	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं	50.00	2500.00	0.00	100.00	0.00	2500.00
7	आमोद-प्रमोद	100.00	5000.00	380.00	100.00	38000.00	43000.00
8	यातायात एवं परिवहन	100.00	5000.00	135.00	100.00	13500.00	18500.00
	योग-	<b>650.00</b>	<b>32500.00</b>	<b>2839.00</b>		<b>283900.00</b>	<b>316400.00</b>

नोट :- उपरोक्त आंकड़े सांकेतिक स्वरूप के हैं।

### 6.7 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु समुचित प्रयास किये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हुआ है। अतः नियोजन के एकीकृत प्रयास एवं संसाधनों के उचित उपयोग द्वारा विकास को गतिशील किया जाना प्रस्तावित है। शहरी शासकीय भूमि स्वयं महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि संसाधनों के नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं असमन्वित रहे हैं।



216

ग्वालियर नगर की नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के फल स्वरूप भूमि के बाजार मूल्यों पर नियंत्रण रखते हुए, संसाधनों के बहुल अवसरों एवं क्षमताओं का दोहन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय राजस्व को सृजित करने हेतु एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो नगर में कार्यरत नगर भूमि व्यावसायिक को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस हेतु संभावित निम्न उपाय किये जाना प्रस्ताव है -

बेटरमेंट शुल्क, भू-उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधि शुल्क (आवासीय के अतिरिक्त), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, भूमि शुल्क, निर्माण शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क प्रीमियम FAR आदि। इन विभिन्न शुल्कों द्वारा संकलित राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु ही किया जाना प्रस्तावित है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में भी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलिज करने में सहयोग प्रदान करेगी।

### 6.8 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन एवं प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र, स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

**योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है-**

- पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
- आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
- प्रथम चरण क्रियान्वयन कार्य योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध बजट का पर्यवेक्षण करना।

- iv. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
- v. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
- vi. समुचित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
- vii. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम निर्धारण।
- viii. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिभाषित करना।

**योजना पर्यवेक्षण तंत्र से योजना का पर्यवेक्षण निम्न माध्यम से प्रस्तावित है—**

- (1) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण।
- (2) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (3) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (4) शासन को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (5) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

#### **6.9 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन**

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-36/2020/18-5 भोपाल, दिनांक 16.06.2020 द्वारा 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति का पुर्नगठन स्थानीय स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में नगरीय विकास प्रक्रिया से संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। नगर तथा ग्राम निवेश के जिले कार्यालय का प्रभारी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञाप क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए यह पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेगी।

**(1) भूमि की मांग/वितरण**

- i. नगरीय अधोसंरचना।
- ii. आवास।
- iii. लक्ष्य समूह हेतु आश्रय कार्यक्रम।
- iv. सार्वजनिक खुले क्षेत्र।
- v. कार्यकेन्द्र।

**(2) भूमि विकास प्रस्ताव**

- i. नवीन उपनगरीय क्षेत्रों का लक्ष्य रखते हुये परिसीमा अधोसंरचना के साथ भूमि का विकास।
- ii. आवास एवं आश्रय परियोजना।
- iii. निवेश इकाई क्षेत्र में अन्य सामाजिक सुविधायें।
- iv. आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास तथा सुरक्षित खुले क्षेत्र।
- v. वृत्त खण्ड एवं उप वृत्त खण्ड का विकास।

**समिति हर तीन माह में निम्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेगी-**

- i. कार्यक्रम बनाना।
- ii. परियोजना तैयार करना।
- iii. परियोजना की वित्तीय परियोजना।
- iv. परियोजना का क्रियान्वयन।

मूल्यांकन के आधार पर सुधार प्रस्तावों का क्रियान्वयन।

**6.9.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

वार्षिक विकास प्रतिवेदन द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नियोजन/क्रियान्वयन के सभी पहलुओं के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

वार्षिक विकास प्रतिवेदन, समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सहित संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश को विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संचालक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

**6.10 योजना की व्याख्या**

ग्वालियर विकास योजना मूलतरु नीतिगत दस्तावेज है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत एवं सांकेतिक स्वरूप के है। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किये गये है—

- i. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखनीय विषयवस्तु के साथ-साथ भूमि विकास नियम, 2012 का अनुसरण आवश्यक है।
- ii. यह एक नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनर्समायोजित की जा सकती है।
- iii. प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र में गतिविधियों का संचालन अध्याय-5 में दिये गये विकास नियमों एवं भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत होगा।
- iv. म.प्र. संस्कृति विभाग द्वारा विरासत भवनों की योजना एवं चिन्हांकित स्थल ग्वालियर विकास योजना 2035 के भाग माने जायेंगे।
- v. विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की संरचना में आंशिक स्थल परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकताओं के आधार पर मार्ग संरचना का वास्तविक रेखांकन किया जाएगा। भूमि का उपयोग संस्पर्शी उपयोग अनुरूप मार्ग रेखांकन पर आधारित होगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं विकास योजना प्रावधानों का भाग माना जावेगा।

आवास एवं पर्यावरण नीति 2007 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होंगे।

### 6.11 योजना कालावधि

विकास योजना कालावधि नगर विकास की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। ग्वालियर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना की कालावधि वर्ष 2035 तक निर्धारित की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया जाने के साथ-साथ इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है।

विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते हैं। चूंकि नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिए आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः ग्वालियर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

गुणवत्ता, प्रशिक्षण, आवास, आरक्षण

ग्वालियर विकास योजना | 2035

विज्ञापनी

ग्वालियर विकास योजना के अन्तर्गत आवास, प्रशिक्षण, आरक्षण आदि सुविधाओं के लिए आवेदन आमंत्रित है।

परिभाषायें

ग्वालियर विकास योजना के अन्तर्गत आवास, प्रशिक्षण, आरक्षण आदि सुविधाओं के लिए आवेदन आमंत्रित है।

## परिभाषायें

- 1 **आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**  
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।
- 2 **आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**  
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों ।
- 3 **आवासीय फ्लेट**  
एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।
- 4 **आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**  
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।
- 5 **आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र**  
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।
- 6 **छात्रावास (होस्टल)**  
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।
- 7 **अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर ।  
बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।
- 8 **धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थायी रहवासी जगह उपलब्ध हो ।
- 9 **बारात घर**  
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।
- 10 **रैन-बसेरा (नाइट शैल्टर)**  
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ

## ग्वालियर विकास योजना 2035

- उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय शासन या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।
- 11 **फुटकर दुकानें**  
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।
  - 12 **मरम्मत दुकान**  
गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।
  - 13 **व्यक्तिगत सेवा दुकान**  
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।
  - 14 **बेडिंग बूथ**  
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।
  - 15 **सुविधाजनक दुकान केन्द्र**  
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।
  - 16 **स्थानीय दुकान केन्द्र**  
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।
  - 17 **साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**  
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।
  - 18 **थोक व्यापार**  
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।
  - 19 **स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**  
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता है ।
  - 20 **कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**  
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।
  - 21 **गैस गोदाम**  
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- 22 **तेल डिपो**  
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।
- 23 **कबाड़खाना**  
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।
- 24 **वाणिज्यिक कार्यालय**  
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।
- 25 **बैंक**  
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।
- 26 **मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**  
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।
- 27 **छविगृह**  
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।
- 28 **पेट्रोल पंप**  
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।
- 29 **रेस्टोरेंट/अल्पहार गृह**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।
- 30 **होटल**  
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।
- 31 **मोटल**  
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।
- 32 **फ्लैटेड समूह उद्योग**  
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- 33 सेवा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके ।
- 34 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग**  
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।
- 35 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग**  
ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।
- 36 उद्यान (पार्क)**  
आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।
- 37 क्रीड़ांगन**  
बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।
- 38 बाह्य खेल स्टेडियम**  
बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।
- 39 आंतरिक खेल स्टेडियम**  
अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।
- 40 आंतरिक खेल हॉल**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।
- 41 शूटिंग रेंज**  
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।
- 42 तरण पुष्कर**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।
- 43 आमोद-प्रमोद क्लब**  
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

- 44 ऐतिहासिक स्मारक**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।
- 45 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**  
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।
- 46 पक्षी अभ्यारण्य**  
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।
- 47 वनस्पति उद्यान**  
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।
- 48 पिकनिक हट/कैम्पिंग साइट**  
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।
- 49 फ्लाईंग क्लब**  
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।
- 50 माल एवं टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भंडारण के लिए किया जाता हो ।
- 51 रेल माल गोदाम**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।
- 52 रेल टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो ।
- 53 सड़क परिवहन टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।
- 54 वाहन विराम**  
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।
- 55 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

**56 बस अवसान केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

**57 बस स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

**58 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर**

1. **पानी की टंकी** – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. **भूमिगत टंकी** – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. **आक्सीकरण पौंड** – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. **सेप्टिक टैंक** – ऐसा परिसर जिसमें जल-मल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. **जल-मल पंपिंग स्टेशन** – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. **सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय** – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. **विद्युत उपकेन्द्र** – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. **घूरा एवं कचराघर** – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. **धोबीघाट** – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

**59. केन्द्र शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

**60 स्थानीय शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया

- जाता हो ।
- 061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
- 062 न्यायालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
- 063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**  
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।
- 064 चिकित्सालय**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।
- 065 स्वास्थ्य केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।
- 066 उपचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।
- 067 औषधालय**  
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।
- 068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।
- 069 उपचार प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।
- 070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**  
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।
- 071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

## ग्वालियर विकास योजना 2035

- 072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**  
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।
- 073 माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।
- 074 प्राथमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।
- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।
- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं ।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।
- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।
- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं ।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।
- 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।
- 087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
- 088 बाल यातायात उद्यान**  
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो ।
- 089 संग्रहालय**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।
- 090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**  
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो
- 091 समागृह (ऑडिटोरियम)**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।
- 092 खुला रंगमंच**  
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।
- 093 सामुदायिक भवन**  
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।
- 094 मेला मैदान**  
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।
- 095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

- 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**  
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।
- 097 सुधार गृह**  
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।
- 098 अनाथालय**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
- 099 धार्मिक**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।
- 101 पुलिस चौकी**  
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
- 102 पुलिस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**  
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**  
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हो ।
- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

- 108 **अग्निशमन केन्द्र**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।
- 109 **डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।
- 110 **डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
- 111 **मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
- 112 **टेलीफोन एक्सचेंज**  
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।
- 113 **रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**  
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।
- 114 **ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।
- 115 **उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।
- 116 **वैधशाला एवं मौसम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।
- 117 **कब्रिस्तान**  
मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर
- 118 **विश्रामघाट**  
दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
- 119 **सिमिट्री**  
ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
- 120 **विद्युत दाहगृह**  
ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो ।

## खालियर विकास योजना | 2035

- 121 **बाग (ओरचर्ड)**  
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।
- 122 **पौध नर्सरी**  
पौध के उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर ।
- 123 **वन**  
सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर
- 124 **डेरी फार्म**  
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
- 125 **कुक्कुट फार्म**  
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
- 126 **सुअर पालन**  
सुअर प्रजनन एवं उत्पादन उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
- 127 **फार्म हाउस**  
एक फार्म पर बनी आवासीय इकाई ।
- 128 **ग्रामीण केन्द्र**  
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

संस्कृत विश्वविद्यालय, बhopal

ग्वालियर विकास योजना | 2035

परिशिष्ट

## ग्वालियर विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट-1

(नियम 14 देखिए)

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

महोदय,

मैं नगर \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार \_\_\_\_\_ ग्राम \_\_\_\_\_ में स्थित खसरा क्रमांक \_\_\_\_\_ भूखण्ड क्रमांक \_\_\_\_\_ क्षेत्र \_\_\_\_\_ हेक्टेयर / वर्ग मीटर \_\_\_\_\_ (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा \_\_\_\_\_ वास्तुविद या संरचना इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक \_\_\_\_\_ जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ

- 1- मुख्य रेखांक नियम 16(3) अनुसार \_\_\_\_\_
- 2- स्थल रेखांक नियम 16(4) अनुसार \_\_\_\_\_
- 3- उपविभाग/अभिन्यास योजना नियम 16(5) अनुसार \_\_\_\_\_  
(सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
- 4- सेवा आयोजना रेखांक नियम 16(7) अनुसार \_\_\_\_\_
- 5- प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट \_\_\_\_\_
- 6- स्थल के सम्बन्ध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16(11) अनुसार \_\_\_\_\_
- 7- नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16(11) अनुसार \_\_\_\_\_
- 8- आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21(2)(झ) अनुसार \_\_\_\_\_
- 9- इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो ) \_\_\_\_\_
- 10- पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान \_\_\_\_\_
- 11- ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी \_\_\_\_\_

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यो को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हम कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
आवेदक का नाम \_\_\_\_\_  
आवेदक का पता \_\_\_\_\_  
ई-मेल पता \_\_\_\_\_  
दूरभाष / मोबाईल नम्बर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

## परिशिष्ट-2

## (नियम-49(3))

## विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर..... मोहल्ला, बाजार.....

बस्ती/कालोनी/गली..... खसरा क्रमांक..... की भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ, क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना में संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिये उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

स्थान :-

दिनांक :-

नाम- नगर/नगर निगम/नगर पालिका/  
विकास प्राधिकरण/नगर निवेश अधिकारी

स्वामी के हस्ताक्षर.....

स्वामी का नाम.....

(स्पष्ट अक्षरों में).....

स्वामी का पता.....

ग्वालियर विकास योजना 2035

## परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश शासन  
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक :- 24 जनवरी 1974

क्रमांक/2021/एफ/1-7/बत्तीस/74 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन्-1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा ग्वालियर नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :-

## अनुसूची

## ग्वालियर : निवेश क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर में :- ग्राम- रायरू, रूद्रपुरा, मदनपुरा, मगरोली, सेन्थरी, भोंडेरी, जोनपुरा, गिरगांव को सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुये ग्राम शेखपुर तक।
- पूर्व में :- ग्राम- शेखपुर, जड़ेरूआं खुर्द, जड़ेरूआं कलां, मुरार, मेहरा, सिरौली की सीमाओं को सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुये ग्राम ओहदपुर तक।
- दक्षिण :- ग्राम- ओहदपुर, कोटावीरान, लालियापुरा, गुडी, गुडा, अजयपुर की सीमाओं को सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुये ग्राम वीरपुर तक।
- पश्चिम में :- ग्राम- वीरपुर, गिरवाई, कोटा लश्कर, बहोडापुर, किशनबाग, शंकरपुर, थर, टेहलरी, खेरियाभान और रायरू की सीमाओं को सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(नवलचंद जैन)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

## परिशिष्ट-4

**नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल****सूचना****भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014**

क्रमांक एफ-3-78-2011-बत्तीस- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. कलेक्टर, ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश
3. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर मध्यप्रदेश

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात् 12 सितम्बर 2014 से प्रवर्तित होगी।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार**

हस्ता/-  
(वर्षा नावलेकर)  
उपसचिव

## परिशिष्ट-5

**मध्यप्रदेश शासन**  
**नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2016**

क. एफ-3-37-2016-अटारह-5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ग्वालियर निवेश क्षेत्र तथा ग्राम नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 282-एफ-1-7-तैतीस-74, भोपाल दिनांक 24 जनवरी 1974, जिला योजना समिति ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1864-189-जियो-99, ग्वालियर दिनांक 9 जुलाई 1999 तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69-2007-बत्तीस, भोपाल दिनांक 21 सितम्बर 2017 की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमायें निम्न अनुसूची में परिलक्षित की गई हैं।

**अनुसूची**

**ग्वालियर पुनरीक्षित निवेश क्षेत्र की सीमाएँ**

<b>उत्तर में</b>	-	ग्राम बरौआ नूराबाद, सुसेरा कुवरपुरा, करगवां, टीकरी नरेश्वर एवं बरेठा की उत्तरी सीमा तक
<b>पूर्व में</b>	-	ग्राम चंद्रपुरा, सूरु, चककेशोपुर, वीरमपुरा, धनेली, बनारपुरा, गनेशपुरा, सुनारपुरा, हिरीं बघोली, सौंसा, रमौआ, बस्तरी एवं अलीनगर की पूर्वी सीमा तक
<b>दक्षिण में</b>	-	ग्राम छौंदा, सातऊ, कुशराजपुर, पुरासानी, डोंगसरकार एवं अलीनगर की दक्षिणी सीमा तक
<b>पश्चिम में</b>	-	ग्राम छौंदा, खिरिया मृत्यू, अजयपुर, नीमचन्दौहा, चक गिरवाई, कोटा लशकर, बहोड़ापुर, किशनबाग, थर, शंकरपुर, टिलहरी, खिरियाभान, रायरु एवं बरौआ नूराबाद की पश्चिमी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(उपसचिव)

## परिशिष्ट-6

(म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.06.2017)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर  
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकरण के प्रकाशन की सूचना

ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा वृद्धि में सम्मिलित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गांवों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अतः उपरोक्त ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा वृद्धि के अनुसूची में विनिर्दिष्ट गांवों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 23 जून, 2017 से दिनांक 30 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

## अनुसूची

- |                |                |                |                   |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1. छौंदा       | 9. बडौरी       | 17. बस्तरी     | 25. गणेशपुरा      |
| 2. सातऊ        | 10. नागौर      | 18. रमौआ       | 26. बनारपुरा      |
| 3. खिरिया कछाई | 11. डाँग सरकार | 19. सौसा       | 27. धनेली         |
| 4. नौनेरा      | 12. लोडरा      | 20. बंधौली     | 28. वीरमपुर       |
| 5. सिकरोदी     | 13. अडूपुरा    | 21. उदयपुरा    | 29. सूरु          |
| 6. कुशराजपुर   | 14. अलीनगर     | 22. हिरी       | 30. चंद्रपुरा     |
| 7. पुरासानी    | 15. रबार       | 23. सिंघारपुरा | 31. करिगाँव खुर्द |
| 8. तिलैथा      | 16. रोरा       | 24. सुनारपुरा  | 32. पिपरौली       |

व्ही. के. शर्मा,  
संयुक्त संचालक  
वास्ते-संचालक,

ग्वालियर विकास योजना 2035

## परिशिष्ट-7

**मध्यप्रदेश शासन**  
**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल दिनांक 19 फरवरी 2021**

क्र. एफ-3-34/2021/118-5 एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत ग्वालियर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-30-09-बत्तीस दिनांक 30.06.2009 को निरस्त करते हुये ग्वालियर विकास योजना 2035 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17-क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	महापौर	नगर निगम, ग्वालियर	सदस्य
ख	1. अध्यक्ष	जिला पंचायत, ग्वालियर	सदस्य
	2. अध्यक्ष	जिला पंचायत, मुरैना	सदस्य
ग	1. लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र ग्वालियर	सदस्य
	2. लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र मुरैना	सदस्य
घ	1. विधायक	विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण	सदस्य
	2. विधायक	विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर-पूर्व	सदस्य
	3. विधायक	विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर	सदस्य
	4. विधायक	विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर-दक्षिण	सदस्य
	5. विधायक	विधानसभा क्षेत्र, मुरैना	सदस्य
ङ	अध्यक्ष	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	सदस्य
च	1. अध्यक्ष	जनपद पंचायत, घाटीगांव	सदस्य
	2. अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मुरार	सदस्य
	3. अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मुरैना	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, अडूपुरा (रबार, अलीनगर)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, बघौली (बघौली)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरेठा (बरेठा)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, बस्तरी (बस्तरी)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, सातऊ (सातऊ, डाँग सरकार, कुशराजपुर)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, रोरा (रोरा)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, सोसा (सोसा)	सदस्य

## ग्वालियर विकास योजना 2035

	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, सुनारपुरा (सुनारपुरा, सिंघारपुरा)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, उदयपुरा (उदयपुरा, हिरी)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, वीरमपुरा (वीरमपुरा, धनेली)	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, सुसेरा (सुसेरा)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, चककेशोपुरा (चककेशोपुरा)	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, गनेशपुरा (गनेशपुरा, बनारपुरा)	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, सूरु (सूरु, चंद्रपुरा)	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, बसपुर (नरेश्वर)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, टीकरी (टीकरी एवं करगवाँ)	सदस्य
ज	1. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया नई दिल्ली	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया कोलकाता	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	वनसंरक्षक, ग्वालियर	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर	सदस्य
झ	संयुक्त संचालक (समिति का संयोजक)	नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.	समिति का संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुभाषीशा बनर्जी**, उपसचिव.